राजभाषा कार्यान्वयन और राजभाषा प्रबन्धन
(RAJBHASHA KARYANVAYAN AUR RAJBHASHA PRABANDHAN)

Thesis

Submitted to

COCHIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

For the Degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY

In

Hindi

Under the Faculty of Humanities

By

जूलिया इम्मानुवल

JULIYA EMMANUEL

DEPARTMENT OF HINDI
COCHIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
KOCHI - 682 022

OCTOBER 2009

DEPARTMENT OF HINDI
COCHIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
COCHIN - 682 022, KERALA, INDIA

Prof. (Dr.) A. ARAVINDAKSHAN
Dean, Faculty of Humanities
Cochin University of Science and Technology

Phone: (Off) 0484-2575954
(Res) 0484-2424004
Mobile: 9447667313

Certificate

This is to certify that the research work presented in the thesis entitled **"Rajbhasha Karyanvayan Aur Rajbhasha Prabandhan"** is an authentic record of research work carried out by Smt. Juliya Emmanuel under my supervision at the Department of Hindi, Cochin University of Science and Technology, in partial fullfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in Hindi and that no part thereof has been included for the award of any other degree.

Dr. A. Aravindakshan
Professor
Supervising Guide

Place :
Date :

Declaration

I hereby declare that the thesis entitled **"Rajbhasha Karyanvayan Aur Rajbhasha Prabandhan"** is the bonafide report of the original work carried out by me under the supervision of Dr. A. Aravindakshan at the Department of Hindi, Cochin University of Science and Technology and no part there of has been included in any other thesis submitted previously for the award of any degree.

Place :

Date :

Juliya Emmanuel

भूमिका

करीब साठ वर्ष पहले भारतीय संविधान में हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली थी। लेकिन सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा राजभाषा संबन्धी संवैधानिक प्रावधानों को पहल देने और तदनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, शोध संस्थानों आदि से संबद्ध व्यापक कार्य-कलापों के माध्यम से हिन्दी को प्रतिष्ठित करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जाने के बावजूद भी इस दिशा में समुचित सफलता नहीं मिल पाई है। प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन के इस युग में सभी सुविधाओं के होते हुए भी सरकारी संगठनों में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन की दिशा में वाँछित प्रगति क्यों नहीं संभव हो पा रही है? यही विचार मेरे शोध कार्य की प्रेरक शक्ति है।

भारत जैसे बहुभाषी देश में राजभाषा की समस्या का जटिल होना स्वाभाविक ही है। लेकिन आज के बदलते सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवेश में सभी का ध्यान सामाजिक लाभ, आर्थिक विकास, राजनीतिक संतुलन जैसे नए महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित हो रहा है जिससे राजभाषा का मुद्दा आकर्षक नहीं रहा। राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा का मसला हमारी संस्कृति से संबन्धित है।

संस्कृति संबन्धी इस विषय को अपेक्षित महत्व नहीं दिया जा रहा है। सरकारी समितियों के आश्वासनों के बावजूद राजभाषा का क्षेत्र जड़ता की स्थिति में है। उस स्थिति को कैसे बदला जा सकता है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का लक्ष्य यही है।

शोध प्रबन्ध का शीर्षक है 'राजभाषा कार्यान्वयन और राजभाषा प्रबन्धन'। राजभाषा को प्रबन्धन के प्रकरण में देखना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। साठ साल के इस लंबे दौर के बावजूद राजभाषा ठीक से कार्यान्वित नहीं हुई है तो उसको नए सिरे से कार्यान्विय करने के हेतु प्रबन्धकीय दृष्टि की आवश्यकता है। जो ठीक नहीं है उसको हटना और जो ठीक है उसमें समयानुसार परिवर्तन लाना।

यह शोध प्रबन्ध पाँच अध्यायों में विभक्त है।

पहले अध्याय में राजभाषा की विकासयात्रा पर प्रकाश डाला गया है। अंग्रेज़ी काल से लेकर सन् 1950 तक की हिन्दी की विकासयात्रा के अतिरिक्त इस अध्याय में राजभाषा संबन्धी संवैधानिक उपबंधों, संसद द्वारा पारित अधिनियमों आदि के साथ हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत करने में गाँधीजी तथा अन्य राजनीतिज्ञों और राजनीतिक दलों की भूमिका पर भी विचार किया गया है। संक्षिप्त रूप में राजभाषा का इतिहास इस अध्याय में आकलित किया गया है।

दूसरे अध्याय में प्रबन्धकीय परिप्रेक्ष्य में राजभाषा प्रबन्धन और उसके अंतर्गत राजभाषा संबन्धी संवैधानिक प्रावधानों के कार्यान्वयन की समस्याओं का विश्लेषण किया गया है। इन समस्याओं का प्रबन्धकीय समाधान ढूँढने की कोशिश भी इस अध्याय में किया गया है।

राजभाषा प्रबन्धन के सन्दर्भ में कार्यालयों में समानता का अभाव कई प्रकार की कठिनाईयाँ उत्पन्न करती है। राजभाषा कार्यान्वयन को लेकर सरकारी कार्यालयों में समानता की सख्त ज़रूरत है। यह समानता हिन्दी पदों की नियुक्ति से लेकर कार्यान्वयन के समस्त कार्यकलापों में आवश्यक है। तीसरे अध्याय में इस समस्या पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया है।

चौथे अध्याय में राजभाषा प्रबन्धन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को प्रस्तुत किया गया है। प्रौद्योगिकी के इस युग में राजभाषा प्रबन्धन को व्यवस्थित करने में, उसमें गति लाने में, उसको सरल बनाने में, साधन संपन्न बनाने में तथा लक्ष्योन्मुख बनाने में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः उक्त अध्याय में प्रौद्योगिकी की सुविधाओं को राजभाषा के साथ जोडकर देखा गया है।

पाँचवें अध्याय में राजभाषा संबन्धी संवैधानिक प्रावधानों में परिवर्तन की आवश्यकता पर समीक्षात्मक विश्लेषण किया गया है। साथ ही साथ परिवर्तन के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। जब तक

संवैधानिक प्रावधानों में परिवर्तन नहीं होगा तब तक किसी भी प्रबन्धकीय व्यवस्था का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध कोच्चिन विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के आदरणीय गुरुवर प्रो. डॉ. अरविन्दाक्षन जी के कुशल एवं सुयोग मार्ग निर्देशन में संपन्न हुआ। उनके बहुमूल्य सुझावों तथा प्रेरणावर्द्धक निर्देशन से ही यह अध्ययन पूर्ण हो पाया है। उनके प्रति मैं सदैव आभारी रहूँगी।

सौहार्द्र और सहयोगपूर्ण आशीर्वचन हेतु कोच्चिन विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के सभी गुरुजनों विशेषकर डॉ. शशिधरन जी एवं स्टाफ सदस्यों के प्रति मैं हृदय से सादर सम्मान प्रकट करती हूँ।

इस शोधकार्य के संपन्न होने के पीछे कुछ विशेष व्यक्तियों की प्रेरणा प्रोत्साहन और सहायता मुझे मिली है। केन्द्रीय मात्स्यकी प्रौद्योगिकी संस्थान की राजभाषा अधिकारी श्रीमती जेस्सी जोसफ, सी.एस.ऐ.आर. मद्रास के राजभाषा अधिकारी श्री. राजेन्द्रन, ऐ.टी.ऐ. बैग्लूर की राजभाषा अधिकारी श्रीमती सजिनी सेबास्ट्यन, जिसकी अचानक असामयिक दुखद निधन हुई, इन सबके प्रति मैं सदैव आभारी रहूँगी।

मेरे हर कदम पर प्रार्थना और प्रोत्साहन के द्वारा मेरे साथ देनेवाले पूज्य माँ-बाप, भाई-बहन और परिवार के सभी सदस्यों के प्रति मैं सर्वथा कृतज्ञ हूँ।

मैं अपने प्रिय पति आन्टो डेविस के प्रति अपार सदाशयी स्नेह प्रकट करना चाहती हूँ जिन्होंने असुविधाओं को झेलते हुए मुझे सहर्ष सहयोग दिया।

विभाग एवं छात्रावास के मेरी प्रिय मित्रों को भी मैं इस समय याद करती हूँ, उनके स्नेह, प्रोत्साहन एवं सुझाव के लिए मैं उन सब से विशेष आभारी हूँ। श्रीकला, षीना, अनिता, प्रीति, दिव्या, पूजा, टीना, सौम्या, मेर्ली, सीमा, श्रीजा, बिन्दु, षैनी, विजि, प्रीता, प्रिया, बीना, निम्मी, लौली, सजिता, इंदु, राजन, जोइस, प्रदीप, बिबिन और अन्य सभी मित्रों से मैं अपना स्नेह प्रकट करती हूँ।

इस शोध कार्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से योगदान देनेवाले सभी महानुभावों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।

सर्वोपरी मैं ईश्वर की कृपा की ऋणी हूँ।

जूलिया इम्मानुवल

विषयसूची

अध्याय : एक 1-61

राजभाषा की विकासयात्रा

हिन्दी की स्वीकृति का राष्ट्रीय संदर्भ
अंग्रेज़ी काल में हिन्दी की स्वीकृति
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और हिन्दी के विकास में नया मोड
सार्वदेशिक भाषा के रूप में हिन्दी का चयन
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा हिन्दी का समर्थन
हिन्दी की स्वीकृति : गाँधीजी का नेतृत्व
समाजसेवी संस्थाओं का योगदान
राजभाषा के रूप में स्वीकृति - संवैधानिक प्रावधान
संविधान और राष्ट्रीय एकता
राजभाषा के रूप में हिन्दी की स्वीकृति
संविधान में हिन्दी : ऐतिहासिक निर्णय
राजभाषा संबन्धी संवैधानिक उपबंध
राजभाषा हिन्दी की वर्तमान अवस्था पर कुछ प्रतिक्रियाएँ

अध्याय : दो 62-97

राजभाषा प्रबन्धन : प्रबन्धकीय परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण

प्रबन्धन के मुख्य तत्व
राजभाषा प्रबन्धन
राजभाषा प्रबन्धन के क्षेत्र
राजभाषा प्रबन्धन में कार्यालयों / संस्थाओं की भूमिका
राजभाषा अधिकारी
संवैधानिक प्रावधानों के कार्यान्वयन की समस्यायें
समस्याओं का प्रबन्धकीय समाधान

अध्याय : तीन 98-125
कार्यालयों का वैविध्य और राजभाषा प्रबन्धन की समस्यायें
विभिन्न प्रकार के कार्यालय
सरकारी कार्यालय
सार्वजनिक उपक्रम
शोध संस्थान
बैंक
बोर्ड
सहकारी
राजभाषा कार्यान्वयन के सन्दर्भ में संस्थाओं में समानता का अभाव
राजभाषा कार्यान्वयन और बजट प्रावधान में असमानता

अध्याय : चार 126-163
राजभाषा प्रबन्धन : प्रौद्योगिकी की भूमिका
राजभाषा प्रबन्धन का प्रौद्योगिकी के साथ संबन्ध
सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका
प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से राजभाषा कार्यान्वयन में अनुमानित परिवर्तन
वर्तमान स्थिति - हिन्दी सोफ्टवेयर और कंप्यूटर
अपेक्षित स्थितियाँ - प्रबन्धकीय परिप्रेक्ष्य

अध्याय : पाँच 164-197
राजभाषा प्रबन्धन : संवैधानिक स्थिति में परिवर्तन की आवश्यकताएँ
संविधान के वर्तमान सन्दर्भ में राजभाषा प्रबन्धन
संवैधानिक स्थिति में परिवर्तन की आवश्यकताएँ
परिवर्तन का प्रबन्धकीय पक्ष
प्रबन्धन के सृजनात्मक आयाम

उपसंहार 198-205
संदर्भ ग्रंथसूची 206-211

अध्याय - एक

राजभाषा की विकासयात्रा

हिंदी की स्वीकृति का राष्ट्रीय सन्दर्भ

हर एक देश को दूसरे से अलग कराने वाले कई तत्व होते हैं जैसे लोगों के आचार-विचार, रहन-सहन, खान-पान और तीज-त्योहार और सांस्कृतिक विरासत आदि। इन तत्वों के अलावा एक और प्रमुख तत्व है भाषा। भाषा प्रत्येक देश की पहचान होती है। जिन मूलभूत तत्वों के कारण कोई देश राष्ट्र कहलाता है, उनमें राष्ट्रीय संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्र-गीत के साथ ही राष्ट्रभाषा या राजभाषा का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा केवल भावों या विचारों को व्यक्त करने का साधन नहीं है बल्कि वह संस्कृति और सत्ता का अंग ही है। दुनिया भर में अब दो हज़ार सात सौ छियानबे भाषायें बोली जाती हैं। भारत भी कुछ कम नहीं है। भारत में अब संविधान द्वारा अनुमोदित 22 राष्ट्रभाषायें और अनेक गौण भाषायें भी हैं।

किसी देश केलिए यह ज़रूरी नहीं है कि समूचे देश केलिए एक ही भाषा का प्रयोग करें। किंतु केवल एक भाषा की अनिवार्यता न होते हुए भी अलग अलग भाषाओं के बीच एक कड़ी की आवश्यकता ज़रूर होती है। भारत में भी यहाँ के सभी क्षेत्रों या राज्यों की अपनी भाषाओं का अस्तित्व और महत्व है। परन्तु समूचे देश में पारस्परिक

संपर्क, आदान-प्रदान, विचार-विमर्श, संचार-संवाद और राष्ट्रीय स्तर पर पत्राचार आदि केलिए किसी एक संपर्क भाषा का होना ज़रूरी था। इसी उद्देश्य केलिए हमारे देश के सभी अग्रणी विचारक, शिक्षाविद् और राजनीतिज्ञ हिंदी को ही भारत की एकमात्र सर्वक्षम भाषा मानते रहे हैं। भारत जैसी एक बहुभाषा-भाषी देश में हिंदी को ही संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार करने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण भी थे। हमारी आज़ादी की लडाई में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने जन संपर्क की इस भाषा को नया अर्थ और नया संस्कार प्रदान किया था। गुजरात शिक्षा सम्मेलन के सभापति पद से बोलते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने सन् 1917 में यह कहा था कि किसी देश की राष्ट्रभाषा वही भाषा हो सकती है जो सरकारी कर्मचारियों केलिए सहज और सुगम हो; जो सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में माध्यम भाषा बनने की शक्ति रखती हो, जिसके बोलनेवाले बहुसंख्यक हो और जो पूरे देश के लिए सहज रूप में उपलब्ध हो।[1] उनके अनुसार हिंदी ही वह भाषा है जो राष्ट्रभाषा की अपेक्षाओं को पूरा करती है।

सदियों से लेकर हिंदी भाषा अपनी सर्वग्राह्य क्षमता और विस्तृत परिप्रेक्ष्य के कारण भारतीय अस्मिता की पहचान रही है।

---

1. रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव - हिन्दी भाषा का समाजशास्त्र - पृ. 133

अपने प्रारम्भिक काल से लेकर आज तक हिन्दी ने एक सर्वक्षम भाषा के रूप में जनता के विश्वास को पाकर राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त किया है। यह बात दूसरी है कि राजकीय प्रशासनिक स्तर पर कभी संस्कृत, कभी फारसी और बाद में अंग्रेज़ी को राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई। किन्तु सम्पूर्ण राष्ट्र के जनसमुदाय के आपसी सम्पर्क, संवाद-संचार, विचार-विमर्श, सांस्कृतिक ऐक्य और सामान्य व्यवहार की भाषा हिंदी ही रही। इसी कारण आधुनिक भारत के राजनैतिक, साहित्यिक, सामाजिक प्रतिनिधियों ने एक मत से हिंदी को राष्ट्र के सर्वोत्तम माध्यम स्वीकार किया।[1]

राजभाषा को चुनने में सबसे महत्वपूर्ण आधार है इसके बोलनेवालों की संख्या और उस भाषा की व्यापकता। "जहाँ तक हिन्दी भाषा की व्यापकता और व्यवहार - क्षमता का प्रश्न है, उसके लिए यही कहा जा सकता है कि न केवल मातृभाषा के रूप में इसके बोलनेवालों की संख्या सबसे अधिक है, बल्कि अन्य भाषा के रूप में इसे व्यवहार में लानेवालों का अनुपात भी सर्वाधिक है। 1971 की जनगणना के अनुसार भारत की पूरी आबादी 54,81,95,652 है और मातृभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करनेवालों की संख्या 20,85,14,005 है। इसके साथ ही हिंदी कम से कम 6 राज्यों तथा

---

1. डॉ. रमेशचन्द्र त्रिपाठी, डॉ. पवन अग्रवाल - प्रयोजन मूलक हिन्दी विविध परिदृश्य, 2001 - पृ. 109

2 संघीय क्षेत्रों की प्रमुख भाषा के रूप में भी मान्य है। राजस्थान में 91.73 प्रतिशत, हरियाणा में 89.42 प्रतिशत, उत्तरप्रदेश में 88.54 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 86.87 प्रतिशत, मध्यप्रदेश में 85.3 प्रतिशत, बिहार में 79.77 प्रतिशत, दिल्ली में 75.77 प्रतिशत और चंडीगढ में 55.96 प्रतिशत हिंदी भाषी हैं। इसके अतिरिक्त संख्या की दृष्टि से अहिन्दी प्रदेशों में हिंदी पंजाब, पश्चिमी बंगाल, आंडमान-निकोबार में दूसरी प्रमुख भाषा और कम-से-कम पाँच प्रदेशों - जम्मू कश्मीर, असम, महाराष्ट्रा, आँध्रप्रदेश एवं त्रिपुरा में तीसरे स्थान पर है।"[1] इस विवरण से यह स्पष्ट है कि भारत की समूची जनसंख्या का एक-तिहाई अंश हिंदी भाषी है और भारत की सम्पूर्ण द्विभाषी जनसंख्या के चौथाई अंश की यह संपर्क भाषा है।

सन् 1937 में जब भारत में पहली बार आम चुनावों के आधार पर सरकारें गठित हुईं तब एक अखिल भारतीय भाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए भारत के अग्रणी नेता पंडित जवहरलाल नेहरु ने कहा था - "हर प्रांत के सरकारी कामकाज के लिए उस प्रांत की भाषा होनी चाहिए। परंतु हर जगह, अखिल भारतीय भाषा होने के नाते हिंदुस्तानी को सरकारी तौर पर माना चाहिए। अखिल भारतीय भाषा कोई हो सकती है तो वह सिर्फ हिंदी या हिंदुस्तानी कुछ भी कह

---

1. रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव - हिन्दी भाषा का समाजशास्त्र - पृ. 135

दीजिए यही हो सकती है।"[1] हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत कराने के पीछे हमारे राष्ट्र के कई महान व्यक्तियों का कठिन परिश्रम है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति होने के लिए हमें लडाई लड़नी पड़ी, अपनी एक भाषा को राजभाषा का दर्जा देने के लिए भी हमें संघर्ष करना पडा।

अंग्रेज़ी काल में हिंदी की स्वीकृति

अंग्रेज़ लोग आज से 207 साल पूर्व अर्थात सन् 1802, जबकि अंग्रेज़ी शासन का सितारा बुलंदी पर था, हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। सन् 1802 ई में फोर्ट विलियम कॉलेज में राष्ट्र भाषा के प्रश्न पर एक परिचर्चा के अंत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड वेलेज़ली ने यह कहा था कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी अथवा हिंदुस्तानी ही होनी चाहिए। उक्त परिचर्चा में भाग लेने आए सभी विद्वान अंग्रेज़ थे, जो बंगला, उर्दू और हिंदी के अच्छे जानकर थे। उनमें से एक प्रमुख विद्वान डब्ल्यू. बी. बेले ने यह मत व्यक्त किया था कि भारत की एकता के लिए राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी होनी चाहिए। उन्होंने अपना पूरा भाषण हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों ही भाषाओं में दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत की प्रचलित भाषा हिंदुस्तानी है और यदि इसके स्थान पर और किसी

---

1. डॉ. रामप्रकाश, डॉ. दिनेश गुप्त - प्रयोजन मूलक हिन्दी संरचना एवं अनुप्रयोग, 1997 - पृ. 149

भाषा को स्थान दिया गया तो एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से संपर्क बिल्कुल टूट जाएगा। श्री. बेले ने अपने निबंध के अंत में सार रूप में यह कहा कि व्यापारी, यात्री, नागरिक, सेना अधिकारी, दार्शनिक, चिकित्सक तथा अन्य सभी लोगों के लिए जो भारतीय जनता से संपर्क बनाए रखना चाहते हैं, हिंदुस्तानी भाषा अत्यंत आवश्यक एवं लाभप्रद है।[1] इसके पश्चात् लार्ड वेलेज़ली ने यह आदेश जारी किया था कि भारत में उच्च पदों पर कार्य करने की इच्छा रखनेवाले छात्रों को प्राच्य भाषाओं की अच्छी जानकारी होनी चाहिए।

ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भी आदेश एवं अधिसूचनाएँ हिंदी में जारी की जाती थी। 1797 ई में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक अधिनियम बनाकर यह व्यवस्था कर दी थी कि भारत संबंधी विधि के भारतीय भाषाओं में अनुवाद सरकारी तौर पर प्रकाशित किए जाएँ। सन् 1803 ई में गवर्नर जनरल ने एक कानून बनाकर यह आवश्यक कर दिया था कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में लागू होने वाले कानूनों के हिंदी अनुवाद सरकारी तौर पर उपलब्ध किए जाएँ। इसी प्रकार सैकडों कानूनों के हिंदी अनुवाद अंग्रेज़ी शासनकाल में प्रकाशित हुए। इंडियन

---

1. डॉ. इकबाल अहमद - राजभाषा हिन्दी : प्रकृति और प्रयाण - जगतपति शरण निगम - हिन्दी राजभाषा - सदियों से, 2000 - पृ. 18

पेनल कोड का हिंदी अनुवाद अंग्रेज़ी पाठ लागू होने के साथ ही 1861 ईं में प्रकाशित कर दिया गया था।[1]

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और हिंदी के विकास में नया मोड

सन् 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने अंग्रेज़ों की भाषा संबन्धी नीति को गहराई से प्रभावित किया। इस आन्दोलन के बाद उन्होंने 'फूट डालो और राज करो' की नीति अपनाते हुए हिन्दू और मुसलमानों के बीच साम्प्रदायिकता के आधार पर विभाजन करने की नीति अपनाई। इसके लिए उन्होंने भाषा का भी सहारा लिया। नतीजा यह हुआ कि हिन्दू और मुसलमानों का प्रश्न हिंदी और उर्दू का प्रश्न बना दिया गया।[2]

---

1. डॉ. इकबाल अहमद - राजभाषा हिन्दी : प्रकृति और प्रयाण - जगतपति शरण निगम - हिन्दी राजभाषा - सदियों से, 2000 - पृ. 18, 19
   "भूमि मथुराजी की तथा ब्रज की बडी पूजनीय है। इस ज़मीन में ज़रूर है कि गऊ की रक्षा तथा पालन हो, किसी तरह से इनकी ईर्ष्या न हो, ये दुख न पाएं। इस वास्ते जरनल जरारद लार्ड लेक साहब बहादूर की मेहरबानी दया दिल में बहोत है। इसी वास्ते हुक्म दिया कोई कौम कसाई बगैर मथुरा जी की तथा तस्कर धाते आवने जानेवाले सेहन मोलस्कर तथा गिरह सेंहर के गऊ वध न करें। इस मुफ्दी में की इस्तीहार दीया जाता है अगर जो कोई इस सर जमीन में गऊ बध करेगा तो सजा खाएगा। ईस की तकसीर माफ न हो गया। ता. 5 जुलाई सन् 1805 ईं."
   (लार्ड लेक द्वारा मथुरा और ब्रज क्षेत्र में गोवध निषेध पर हिन्दी में जारी किया गया ऐतिहासिक निर्णय का मूल पाठ)
2. डॉ. विजय अग्रवाल - हिन्दी भाषा : अतीत से आज तक, 1996 - पृ. 92

सन् 1857 के आन्दोलन के बाद सम्पूर्ण देश में फैलती हुई स्वराष्ट्र और स्वराज्य की भावना ने इस देश के विचारकों और राजनीतिज्ञों के मन में सारे देश के लिए एक सर्वसुलभ सार्वदेशिक भाषा को मानने के लिए बाध्य किया। राष्ट्रीय चेतना के साथ-साथ राष्ट्रभाषा की माँग भी उभरने लगी।

1857 के आन्दोलन की असफलता के कई कारण बताए जाते हैं। इसका एक मुख्य कारण यह भी माना गया कि एक उपयुक्त सामान्य या सार्वदेशिक भाषा के अभाव में आँदोलन के सन्देश को भारत के कोने कोने तक न पहूँचाया जा सका और देशी भाषाओं में उचित शिक्षा के अभाव के कारण जनता के मन में ब्रटीश साम्राज्य के विरुद्ध भावनाओं को जागृत नहीं किया जा सका।[1] देश के एक कोने की समस्या, भावना या विचार को दूसरे प्रदेशों तक पहूँचाना आवश्यक था, तभी लोगों को संघर्ष के लिए संगठित किया जा सकता था। उस समय अखिल भारतीय स्तर पर जो भाषाई माध्यम उपलब्ध थे - (संस्कृत, फारसी और अंग्रेज़ी) उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो कि भारत की करोडों जनता को राष्ट्रीय संदेश पहूँचा सके। भारत की सार्वदेशिक भाषा भारतीय ही होनी चाहिए, इसका समर्थन सबने किया।

---

1. डॉ. उमेशचन्द्र मिश्र - व्यावहारिक हिन्दी भाषा और व्याकरण, 1990 - पृ. 37

सार्वदेशिक भाषा के रूप में हिंदी का चयन

सभी भारतीय भाषाओं में हिंदी ही ऐसी भाषा थी जिसकी सार्वदेशिकता ने आसानी से उसे राष्ट्रभाषा का गौरव प्रदान किया। राष्ट्र के नेताओं को जिन राष्ट्रीय उद्देश्यों से एक सार्वदेशिक भाषा की आवश्यकता महसूस हुई उसकी पूर्ती के लिए उन्हें हिंदी के अलावा कोई दूसरी भाषा नज़र नहीं आई। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करनेवालों में अहिंदी-प्रदेश के नेता ही अग्रिम पंक्ति में थे। सर्वप्रथम, सारे देश के लिए एक राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करनेवालों में सबसे प्रमुख हैं बंगाल के श्री केशवचन्द्र सेन, जिन्होंने 1873 ई में अपने पत्र 'सुलभ समाचार' में लिखा - "यदि भाषा एक न होने पर भारतवर्ष में एकता न हो तो उसका उपाय क्या है? समस्त भारतवर्ष में एक भाषा का प्रयोग करना इसका उपाय है। इस समय भारत में जितनी भी भाषाएँ प्रचलित हैं, उनमें हिंदी भाषा प्रायः सर्वत्र प्रचलित है। इस हिंदी भाषा को यदि भारतवर्ष की एक मात्र भाषा बनाए जाए तो अनायास ही (यह एकता) शीघ्र ही सम्पन्न हो सकती है।"[1]

हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में ही उदित हुआ और प्रारम्भ से अन्त तक वहाँ के मूर्धन्य नेताओं का सक्रिय सहयोग एवं नैतिक बल प्राप्त होता रहा। बंगला के प्रसिद्ध

---

1. डॉ. उमेशचन्द्र मिश्र - व्यावहारिक हिन्दी भाषा और व्याकरण, 1990 - पृ. 37

साहित्यकार श्री बंकिम चन्द्र चैटर्जी ने विश्वास के साथ भविष्यवाणी की थी कि हिंदी एक दिन भारत की राष्ट्रभाषा होकर रहेगी, 'क्योंकि हिंदी भाषा की सहायता से भारत के विभिन्न प्रदेशों में जो ऐक्य-बन्धन स्थापित कर सकेगा, वही भारत-बन्धु कहलाने योग्य है।'[1] कवीन्द्र-रवीन्द्र ने भी हिंदी का समर्थन किया है - "यदि हम प्रत्येक भारतीय नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धान्तों को स्वीकार करते हैं, तो हमें राष्ट्रभाषा के रूप में उस भाषा को स्वीकार करना चाहिए जो देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती है और जिसे स्वीकार करने की सिफारिश महात्मा गाँधिजी ने हम लोगों से की है। इसी विचार से हमें एक भाषा की भी आवश्यकता है, और वह हिंदी है।"[2] भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और स्वाधीनता आन्दोलन के विधिवत् रूप ग्रहण करने के पूर्व ही अहिंदी भाषियों द्वारा हिंदी के माध्यम से राष्ट्रीय रंगमंच निर्माण का कार्य सुचारु रूप से प्रारंभ हो चुका था।

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद यह माँग ज़ोर पकड़ने लगी थी कि न्यायालय की भाषा सरल, सुबोध और नागरी लिपि में लिखित हिंदी होनी चाहिए। इस माँग ने एक व्यापक आन्दोलन का रूप ले लिया। हिंदी के लिए सार्वजनिक रूप से प्रस्ताव पारित किए गए और सरकार के पास ज्ञापन भेजे गए। इसके फलस्वरूप सरकार ने सन्

---

1. डॉ. विजय अग्रवाल - हिन्दी भाषा अतीत से आज तक, 1996 - पृ. 95
2. कलकत्ता हिंदी क्लब बुलेटिन - सितंबर 1908

1873 में यह आदेश जारी किया कि बिहार की अदालतों और दफ्तरों में सभी विज्ञप्तियाँ और घोषणाएँ हिंदी भाषा में जारी की जाएँ। पुलिस अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि यदि वे सन् 1881 के आरंभ तक नगरी लिखना - पढना नहीं सीखेंगे, तो उन्हें हटा दिया जाएगा; और उनके स्थान पर हिंदी जाननेवालों की भर्ती कर ली जाएगी। इस प्रकार सही अर्थों में हिंदी के प्रचार का काम सन् 1881 से ही शुरू हुआ माना जा सकता है।[1]

सन् 1885 ई में अखिल भारतीय स्तर की राजनीतिक संस्था कांग्रेस का जन्म हुआ। शुरू में कांग्रेस के सदस्यों का ध्यान अंग्रेज़ी की भाषानीति की ओर नहीं गया। लेकिन बाद में जब उग्र राष्ट्रीय नीति के नेता स्वदेशी को अपनाने और विदेशी के बहिष्कार केलिए दृढ संकल्प करने लगे, उस संदर्भ में स्वदेशी वस्तु, स्वराज्य, स्वभाषा और राष्ट्रीय शिक्षा को स्वाधीनता प्राप्ति का आवश्यक अंग समझे जाने लगा। विदेशी शिक्षा और विदेशी माध्यम का बहिष्कार होने लगा। राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन राजनीतिक असहयोग आँदोलन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। देश भर में राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई। राष्ट्रीय शिक्षा की विचारधारा अबाध गति से चलती रही और उसका राजनीतिक आन्दोलनों को चलाने में बडा हाथ रहा। इस

---

1. डॉ. विजय अग्रवाल - हिन्दी भाषा अतीत से आज तक, 1996 - पृ. 92

प्रकार इन राजनीतिक और राष्ट्रीय आँदोलनों से भारतीय भाषाओं के प्रति, विशेषकर हिंदी के प्रति लोगों का प्रेम जाग्रत् हुआ। इसी राजनीतिक पृष्टभूमि पर आगे चलकर देश की सबसे बडी राजनीतिक संस्था कांग्रेस ने हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा घोषित करने का साहस किया।[1]

स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक सशक्त भाषिक माध्यम के रूप में हिंदी के महत्व को सभी लोगों ने स्वीकार किया। श्री किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार "इस संघर्ष के फलस्वरूप सच्ची राष्ट्रीयता का जागरण हो रहा था। राष्ट्रभाषा की चर्चा ज़ोरों से चल रही थी। अनेक बंगाली, गुजराती, पंजाबी और महाराष्ट्रीय नेता यह उद्योग कर रहे थे कि अपने राष्ट्र की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, जो अन्तर - प्रान्तीय व्यवहार का माध्यम बन सके और आगे चलकर जब देश स्वतंत्र हो, यही अपनी राष्ट्रभाषा अंग्रेज़ी भाषा का स्थान ग्रहण करके समस्त देश की केन्द्रीय सरकार की भाषा बने।"[2]

विदेश में भी भारतीय क्रान्तिकारी एक भारतीय भाषा का महत्व अनुभव करने लगे थे। भारत के विभिन्न प्रदेशों के युवा इन विदेशी क्रान्तिकारी दलों के संगठित थे। उनमें राष्ट्रीयता और राष्ट्रप्रेम की भावना तीव्रतम हो गई थी। उनके राष्ट्रप्रेम के अन्तर्गत राष्ट्रभाषा

---

1. डॉ. विजय अग्रवाल - हिन्दी भाषा अतीत से आज तक, 1996 - पृ. 96
2. डॉ. उमेशचन्द्र मिश्र - व्यावहारिक हिन्दी भाषा और व्याकरण, 1990 - पृ. 37

हिंदी के प्रति आस्था भी बढ गई थी। वीर सवारकर के नेतृत्व में विदेश में संगठित एक सशक्त क्रांतिकारी दल ने राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रयोग का संकल्प किया था।[1]

19 वीं शताब्दी के आठवें दशक के आरम्भ में ही हिंदी आन्दोलन की जडें मजबूत हो गईं। इसी समय इस आन्दोलन को भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जैसे महान व्यक्तियों का नेतृत्व मिला, जिसने हिंदी की जड़ों को अधिक मज़बूत बना दिया। उन्होंने कहा था कि भारत ही ऐसा एक देश है जहाँ की अदालती भाषा न शासकों की मातृभाषा है और न प्रजा की। "हिंदी का प्रयोग होने से ज़मींदार, साहूकार, व्यापारी और सभी को सुविधा होगी, क्योंकि सभी जगह हिंदी का ही प्रयोग है।"[2] भारतेन्दुजी के नेतृत्व में साहित्यकारों के एक बडे वर्ग ने हिंदी के कार्य को अपना उद्देश्य बना लिया। पं. प्रताप नारायण मिश्र ने 'हिंदी-हिंदु-हिंदुस्तानी' का नया नारा लगाना शुरु किया। इस उद्देश्य की पूर्ती के लिए अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ, तथा हिंदी-उर्दू विवाद एवं नागरी लिपि के संबन्ध में लेख भी लिखे जाने लगे। सन् 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा का गठन हुआ जिसका उद्देश्य नागरी लिपि का प्रचार करना था।[3]

---

1. डॉ. उमेशचन्द्र मिश्र - व्यावहारिक हिन्दी भाषा और व्याकरण, 1990 - पृ. 37
2. डॉ. विजय अग्रवाल - हिन्दी भाषा अतीत से आज तक, 1996 - पृ. 92
3. डॉ. विजय अग्रवाल - हिन्दी भाषा अतीत से आज तक, 1996 - पृ. 93

इसप्रकार 19 वीं शताब्दी के अंत होने तक भारत के सभी नेता एकमत थे कि यदि भारत की कोई एक सार्वदेशिक भाषा हो सकती है तो इसकी क्षमता मात्र हिंदी भाषा में ही है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा हिंदी का समर्थन

यद्यपि सन् 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से ही स्वतंत्रता आन्दोलन की विधिवत शुरुआत हो गई थी, किन्तु उसमें एक गुणात्मक परिवर्तन और तीव्रता का समावेश 20 वीं शती के आरम्भ में सन् 1905 से आया। उस समय तक इस आन्दोलन का प्रभाव राजनीतिक जीवन के साथ-साथ सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर भी पडने लगा। अब लोग, भाषा को भी राष्ट्रीय दृष्टि से देखने लगे थे। ऐसा माना जाने लगा था कि राष्ट्रीय चेतना का सीधा संबन्ध भाषा से है।

सन् 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी ने सर्वप्रथम 'स्वराज्य' शब्द का प्रयोग किया जिसके बाद काँग्रेस की नीति भी स्वराज्य के मार्ग पर अधिक दृढ हो गई। इसी समय गाँधीजी का पदार्पण भारतीय राष्ट्रीय जगत् में हुआ। स्वदेशी आन्दोलन के सन्दर्भ में स्वभाषा का महत्व भी उभर उठने लगा। कांग्रेस के नेतृत्व में हिंदी को एक अखिल भारतीय महत्व की भाषा समझा जाने लगा। इस भाषा के प्रश्न पर गाँधिजी के विचारों का व्यापक प्रभाव भी था।

सन् 1924 में बेलगांव में हुए कांग्रेस के उन्तालीसवाँ अधिवेशन में हिंदी के प्रचार-कार्य को भी सम्मिलित कराया जिसके सभापति गाँधीजी थे। इसीके परिणाम स्वरूप कांग्रेस के 40 वें अधिवेशन में कानपुर में हिंदी संबन्धी निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया :

"यह कांग्रेस तय करती है कि कांग्रेस का, कांग्रेस की महासमिति का और कार्यकारिणी समिति का कामकाज आम तौर पर हिन्दुस्तानी में चलाया जाएगा।"[1]

कांग्रेस द्वारा ऐसा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाना राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में एक महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी पड़ाव था। इसके बाद हिंदी भाषी कार्यकर्ता ही नहीं, कुछ अहिंदी भाषी लोग भी अपने अधिकतर भाषण हिंदी में देने लगे। अभी तक अंग्रेज़ी में छपे जा रहे कांग्रेस के अधिवेशनों का विवरण भी हिंदी में छपना शुरू किया।

सन् 1936 में फाइज़पुर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में हिंदी की राष्ट्रभाषा के रूप में सांकेतिक करनेवाली एक घटना हुई। पं. जवहरलाल नेहरु इस अधिवेशन के सभापति थे। इस अधिवेशन के विराट् मण्डप में डॉ. राजेन्द्रप्रसाद की अध्यक्षता में 'राष्ट्रभाषा सम्मेलन' का भी आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह

---

1. डॉ. के.पी. सत्यनाथन नायर - राजभाषा हिन्दी विकास की मंज़िलें, 1992 - पृ. 93

प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत के विभिन्न राज्यों में हिंदी जाननेवालों की संख्या इतने अधिक हैं कि राष्ट्र का अन्तर्प्रान्तीय काम राष्ट्रभाषा हिंदी में ही होना उचित और हितकर है। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि अन्तर्प्रान्तीय कार्यों में अंग्रेज़ी भाषा का उपयोग हमारे गौरव के विपरीत और राष्ट्रीय भावों की जागृति और उनके प्रचार के लिए हानिकारक है।[1] इसके दो साल बाद 1938 में हरिपुरा में हुए अधिवेशन में भी एक और राष्ट्रभाषा सम्मेलन हुआ। इस प्रकार कांग्रेस के अधिवेशनों में हिंदी का प्रबल समर्थन होता रहा तथा हिंदी की राजनीतिक स्थिति दृढ हो गई।[2]

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कारण हिंदी भाषा के लिए अनुकूल राजनीतिक वातावरण बनता चला गया। कांग्रेस के हिंदी भाषी नेताओं के साथ अहिंदी भाषी नेताओं ने भी हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा मानकर उसे देशव्यापी भाषा बनाने में पूरा सहयोग दिया। कांग्रेस के लोकप्रिय नेता सुभाष चन्द्र बोस के शब्दों में यह बात स्पष्ट है - "देश की एकता के लिए एक भाषा का होना जितना आवश्यक है, उससे अधिक आवश्यक है देश-भर के लोगों में देश के प्रति विशुद्ध प्रेम तथा अपनापन होना। अगर आज हिंदी भाषा मान ली गई है तो वह इसलिए नहीं कि वह किसी प्रान्त विशेष की भाषा है, बल्कि इसलिए कि वह

---

1. डॉ. विजय अग्रवाल - हिन्दी भाषा अतीत से आज तक, 1996 - पृ. 97
2. वही

अपनी सरलता, व्यापकता तथा क्षमता के कारण सारे देश की भाषा हो सकती है।"[1]

इसप्रकार हिंदी की राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने में कांग्रेस के नेताओं का महत्वपूर्ण हाथ रहा था। स्वदेश को पाने के साथ ही साथ स्वभाषा को भी पाने की आवश्यकता उन महान नेताओं के ज़रिए सामान्य जनता को नज़र आई। इन लोगों ने न केवल हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया, बल्कि उसे व्यापक भी बनाया। इन महान नेताओं में प्रमुख है - लोकमान्य बालगंगाधर तिलक, लाला लाजपतराय, पं. राजेन्द्रप्रसाद, काका साहेब कालेलकर, सेठ गोविन्ददास आदि।

मराठी भाषी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का यह मानना था कि वर्तमान में भारत में हिन्दी भी एकमात्र भाषा है, जो राष्ट्रभाषा हो सकती है। उन्होंने हिन्दी प्रचार-प्रसार के लिए सन् 1903 में 'हिन्दी केसरी' नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया।

पंजाब में हिन्दी के प्रचार का श्रेय लाला लाजपतराय को जाता है। हिन्दी-उर्दू संघर्ष में उन्होंने हिन्दी के पक्ष में वातावरण बनाया। वहाँ की शिक्षण संस्थाओं में हिन्दी की पढ़ाई को अनिवार्य कराने में लालाजी की भूमिका सराहनीय है।

---

1. लक्ष्मीकान्त वर्मा - हिन्दी आन्दोलन - हिन्दी और राष्ट्रीय एकता, 1964 - पृ. 32

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी ने एक साधारण कांग्रेसी कार्यकर्ता से लेकर स्वतंत्र भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति पद से हिन्दी की सेवा की है। साथ ही उन्होंने सरकारी स्तर पर हिन्दी में कार्य करने को भी प्रोत्साहित किया।

गाँधीजी के सच्चे अनुयायी के रूप में दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार के कार्य के कर्णधार थे काका साहब कालेलकर। गुजरात में भी इन्होंने हिन्दी के कार्य को काफी आगे बढाया।

हिन्दी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, राजनेता, प्रखर वक्ता तथा हिन्दी के सजग प्रहरि सेठ गोविन्ददास की हिन्दी सेवा - सृजनात्मक साहित्य, पत्रकारिता, हिन्दी प्रचारक तथा सांसद के रूप में उल्लेख्य है।

इन सभी नेताओं के सबसे आगे आनेवाला नाम है हमारे राष्ट्रपिता महात्मागाँधी। आगे हम गाँधिजी और हिंदी के उस विशुद्ध संबन्ध पर विचार करेंगे।

हिंदी की स्वीकृति : गाँधीजी का नेतृत्व

गाँधीजी यह सच्चाई अच्छी तरह जानते थे कि देश की स्वाधीनता सिर्फ देशवासियों की एकता से संभव है और यह एकता प्राप्त करने का सबसे पहला कदम है भाषाई एकता। अहिंदी भाषी होकर भी उन्होंने हिंदी को भारत की जिह्वा मान ली। भारत के राजनैतिक जीवन में प्रवेश करने के पूर्व ही गाँधीजी का यह दृढ

विश्वास था कि जब तक अंग्रेज़ी के प्रति मोह बना रहेगा तब तक भारत स्वाधीन नहीं होगा और जब तक हिंदी का प्रचार सम्पूर्ण भारत में नहीं होगा, तब तक देश की राष्ट्रीय एकता भी मजबूत नहीं होगी। गाँधीजी के लिए भाषा का प्रश्न स्वराज्य का ही प्रश्न था। सन् 1931 में गाँधीजी ने स्पष्ट रूप से लिखा -

"यदि स्वराज्य अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे भारतवासियों का है, और केवल उनकेलिए है तो सम्पर्क भाषा अवश्य अंग्रेज़ी होगी। लेकिन यदि वह करोडों भूखे लोगों, करोडों निरक्षर लोगों, निरक्षर स्त्रियों और सताए हुए अछूतों के लिए है, तो सम्पर्क भाषा केवल हिंदी ही हो सकती है।"[1] गाँधीजी आरम्भ से ही केवल अंग्रेज़ों के ही नहीं, बल्कि अंग्रेज़ी के भी विरोधी रहे। 28 मई 1917 ई में 'प्रताप' में उन्होंने अपना एक छोटा-सा निबन्ध प्रकाशित करवाया था जिसमें उन्होंने लिखा है -

"हिंदी ही हिन्दुस्तान के शिक्षित समुदाय की सामान्य भाषा हो सकती है, यह बात निर्विवाद सिद्ध है। यह कैसे हो, केवल यही विचार करना है। जिस स्थान को अंग्रेज़ी भाषा आजकल लेने का प्रयत्न कर रही है और जिसे लेना उसकेलिए असंभव है, वही स्थान हिंदी को मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदी का उसपर पूर्ण अधिकार है। यह स्थान

---

1. संपूर्ण गाँधी वाङ्मय - खण्ड 13 - पृ. 424

अंग्रेज़ी को नहीं मिल सकता, क्योंकि वह विदेशी भाषा है और हमारेलिए बडी कठन है। अंग्रेज़ी की अपेक्षा हिंदी सीखना बहुत सरल है। बंगला, बिहारी, उड़िया, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी और सिन्धी हिंदी की बहिनें है। उक्त भाषाओं के बोलनेवाले थोडी बहुत हिंदी समझ तथा बोल लेते हैं। इन सबको मिलाने से संख्या प्रायः 22 करोड हो जाती है। जिस भाषा का इतना प्रचार है, उसकी बराबरी करने के लिए अंग्रेज़ी जिसे एक लाख हिन्दुस्तानी भी ठीक-ठीक बोल नहीं सकते, क्योंकर समर्थ हो सकती है?"[1]

गाँधीजी ने हिंदी को केवल एक भाषा न मानी, बल्कि उसे भारतीय संस्कृति से भी जोडा। हमारी संस्कृति को बनाए रखने का उपाय अपनी भाषा की सेवा है। गाँधीजी के विचार में हिंदी सीखना हर एक भारतीय के लिए एक राष्ट्रीय धर्म भी है। राष्ट्रनिर्माण के रचनात्मक कार्यों में उन्होंने हिंदी-प्रचार को भी स्थान दिया। सन् 1917 ई में उन्होंने एक परिपत्र निकालकर हिंदी सीखने की आवश्यकता पर बल दिया। गाँधीजी के विचारों से प्रेरित होकर सारी गाँधीवादी संस्थाओं ने हिंदी के प्रचार के कार्य को अपने हाथ में ले लिया।

---

1. "स्वराज्य जो अंग्रेज़ी बोलना हिन्दीओनुं, तेमने माटेण यवन, होय तो बेशक अंग्रेज़ी राष्ट्रभाषा होय। पण स्वराज्य जो भूखे मारतां करोडोनुं, निरक्षर करोडोनुं, निरक्षर बहेनोनुं, दलित अत्यजोन, अने ते योने माटे यवानुं होय तो हिन्दी अज एक मात्र राष्ट्रभाषा धइ शके ओय छे।"
नवजीवन, 21 जून, 1931, पृ. 181

गाँधीजी ने अंग्रेज़ी की शिक्षा का भी सख्त विरोध किया। वे अंग्रेज़ी माध्यम से दी जानेवाली शिक्षा को बन्द करना भी चाहते थे।

दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार-प्रसार की शुरुआत भी गाँधीजी ने किया था। वे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का आजीवन अध्यक्ष रहे। जब तमिलनाडु के कुछ लोगों ने यह शंका खडी की थी कि हिंदी के प्रचार से प्रान्तीय भाषाओं के विकास में बाधा पडेगी तब गाँधीजी ने उसका खण्डन करते हुए कहा - "मैं हमेशा से यह मानता रहा हूँ कि हम किसी भी हालत में प्रान्तीय भाषाओं को मिटाना नहीं चाहते। हमारा मतलब तो सिर्फ यह है कि विभिन्न प्रान्तों के पारस्परिक सम्बन्ध के लिए हम हिंदी भाषा सीखें।"[1]

स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान गाँधीजी पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी बात पूरे देश की बात मानी जाती थी। गाँधीजी की प्रेरणा से सभी प्राँतों के विद्वान, साहित्यकार और राजनीतिक कार्यकर्ता हिंदी में बोलने व भाषण देने की पहल करने लगे।

हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का पहला कदम था उसे राष्ट्रभाषा बनाना। गाँधीजी ने इस तथ्य को अच्छी तरह समझता था कि प्रान्तों के बीच संबन्ध रखने के लिए स्वीकृत सर्वमान्य भाषा ही

---

1. संपूर्ण गाँधी वाङ्मय, खंड 60 - पृ. 490

प्रशासन की भाषा हो सकती है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उन्होंने जो कठिन श्रम किये, वे सफल हुए। भारत की आज़ादी से पहले दक्षिण भारत में हिंदी की लोकप्रियता और इसके वहाँ पर प्रसार की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए 14 सितंबर 1946 को भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का यह कथन उसका स्पष्ट उदाहरण है- " मैं ने दक्षिण में एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा की है। मुझे यह देखकर दिली प्रसन्नता हुई कि दक्षिण के लोगों ने महात्मा गाँधी के आह्वान का कितना अच्छा स्वागत किया है। मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि ऐसा करने में उन्हें कितनी कठिनाई का सामना करना पडा। लेकिन इस संबन्ध में जिस उत्साह का उन्होंने प्रदर्शन किया वह अद्भुत है।"[1]

समाज सेवी संस्थाओं का योगदान

राष्ट्रभाषा हिंदी को जनता के मन में स्थिर प्रतिष्ठा दिलवाने में हमारे उन महानेताओं ने जितने सफल प्रयत्न किये उनमें यहाँ की धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं ने भी पर्याप्त सहायता की है। उन्नीसवीं और बीसवीं शती में इन विभिन्न संस्थाओं के द्वारा राष्ट्रभाषा हिंदी के आन्दोलनों को नई स्फूर्ति मिली। इन संस्थाओं में प्रमुख है - ब्रह्मसमाज, आर्य समाज, सनातन धर्म सभा, प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसइटी आदि।

---

1. कांस्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स : कॉ 1490

ब्रह्मसमाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने जनता में राष्ट्रीय चेतना को गतिशील किया एवं राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रभाषा होने पर बल देते हुए हिन्दी को इस पद के लिए सर्वधा उपयुक्त बतलाया। उन्होंने सन् 1826 में कलकत्ता से 'बंगदूत' नामक एक साप्ताहिक निकाला था, जिसके कुछ पृष्ठ हिन्दी में छपते थे। राजाराम मोहनराय के अलावा केशव चन्द्र सेन, रानारायण बोस, भूदेव मुखर्जी और नवीन चन्द्र राय आदि ब्रह्म समाज के नेताओं ने भी हिन्दी की काफी सेवा की।[1]

आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए हिन्दी की शिक्षा और उसके विकास को अनिवार्य बना दिया था। हिन्दी को उन्होंने आर्य भाषा कहा और आर्य समाज के अट्ठाईस नियमों में से पाँचवें नियमानुसार प्रत्येक आर्य समाजी को हिन्दी पढ़ना अनिवार्य है। आर्य समाज ने देश की शिक्षा प्रणाली में हिन्दी को सम्मिलित करने के भरसक प्रयास किए। उसने अदालतों में हिन्दी का प्योग किए जाने संबंधी आन्दोलन चलाया। स्वामीजी का इतना प्रभाव था कि देश की अनपढ जनता आर्य समाज के सिद्धाँतों को समझने के लिए हिन्दी का अक्षर ज्ञान प्राप्त किया।[2]

आर्य समाज की तरह सनातन धर्म सभा के संस्थापक पं. दीनदयाल शर्मा ने भी अपने विचारों के प्रचार के लिए हिन्दी का

1. विनोद गोदरे - प्रयोजनमूलक हिन्दी, 1991 - पृ. 63
2. डॉ. विजय अग्रवाल, हिन्दी भाषा अतीत से आज तक, 1996 - पृ. 105

माध्यम अपनाया। इनके सारे प्रकाशन हिन्दी में होते थे। पंजाब, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में इसने अनेक शिक्षण संस्थाएँ खोली, जिसमें हिन्दी को प्रमुख स्थान दिया गया।[1]

सन् 1867 में श्री महादेव गोबिन्द रानाडे द्वारा संस्थापित प्रार्थना समाज, अपने साप्ताहिक प्रवचन में हिन्दी का थोडा बहुत प्रयोग करती थी। रानाडे जी के विचारों ने उस युग के हिन्दी साहित्य के अवश्य प्रभावित किया था।[2]

थियोसॉफिकल सोसायटी ने अनेक शिक्षण संस्थानों की स्थापना की थी, जिनमें धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ भारतीयता, भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषाओं पर बहुत अधिक बल दिया जाता था। इससे शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दी को पनपने का अवसर मिला। थियोसॉफिकल सोसायटी की संस्थापिका श्रीमती ऐनी बेसेन्ट हिन्दी की प्रबल समर्थक थीं। वे हिन्दी को राष्ट्र निर्माण का एक अंग मानती थी।[3]

राष्ट्रीय आन्दोलन के आरंभिक दिनों में मात्र राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार को लक्ष्य करके कई संस्थाओं ने जन्म लिया। देश के विभिन्न प्रान्तों में हिंदी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने तथा जनता को हिंदी-शिक्षण की सुविधाएँ प्रदान करने में ये संस्थाएँ कार्यरत थी।

---

1. डॉ. विजय अग्रवाल - हिन्दी भाषा : अतीत से आज तक, 1996 - पृ. 105
2. विनोद गोदरे, प्रयोजन मूलक हिन्दी, 1991 - पृ. 64
3. डॉ. विजय अग्रवाल - हिन्दी भाषा : अतीत से आज तक, 1996 - पृ. 106

काशी नागरी प्रचारणी सभा, प्रयाग की हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा (मद्रास), वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, गुजरात विद्यापीठ (अहमदाबाद), बंबई हिंदी विद्यापीठ, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा (पूणे), हिंदी विद्यापीठी (देवघर), असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति (गोहाटी), अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, नागरी लिपि परिषद् (नई दिल्ली) आदि। पूरे देश में फैली हुई इन हिंदी प्रचारक और नागरी प्रचारक संस्थाओं ने अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा की मान्यता दिलवाने में बहुत बडा योगदान दिया है। जब से हिंदी को राजभाषा का पद मिला, तब से इन संस्थाओं का कार्यक्षेत्र भी बहुत व्यापक हो गया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति तक हिंदी का स्थान स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक साधन जैसी थी तो उसके बाद हिंदी एक साध्य अर्थात लक्ष्य बन गयी। यह हिन्दी का नया वर्तमान है। उसकी विकास-यात्रा का यह नया अध्याय है।

राजभाषा के रूप में स्वीकृति - संवैधानिक प्रावधान

संविधान और राष्ट्रीय एकता

15 अगस्त, 1947 में भारत आज़ाद हुआ। अब शासन की बागडोर भारतीयों के हाथों में आ गयी। शासन-प्रणाली को तय करना तथा देश के भावी निर्माण को सही दिशा देने का दायित्व देश की

जनता और उसके नेताओं के कंधों पर आ गया। शासन-प्रणाली को रूपायित करने का पहला कदम या - भारत के संविधान का निर्माण। संविधान ऐसा एक बृहत् आयोजन है जिसके ज़रिए देश का शासन चलाया जाता है। संविधान में लिखे गए सिद्धांतों का देश की व्यवस्था में इतना महत्व होता है जितना किसी भव्य इमारत की नींव की शिलाओं का।

संविधान के निर्माताओं ने बडी दूरदर्शिता और सावधानी से संविधान तैयार करने का काम किया है और इसमें देश की एकता पर यथोचित बल दिया। संविधान की 'उद्देशिका', जिसे संविधान की आत्मा कहते हैं, में ऐसा लिखा है -

'हम, भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न समाजवादी पंथ-निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय.... और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा.... राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढाने केलिए..... इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं।'[1]

संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब डॉ. बी.आर. आंबेड़कर भाषिक एकता को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि एक

---

1. कन्हैयालाल गाँधी - हिन्दी की भगीरथ यात्रा, 1998 - पृ. 153

भाषा राष्ट्र को जोडती है, दो भाषाएँ राष्ट्र को निश्चित तोड़ती है। उनके अनुसार एक भाषीय राज्य स्थायी होता है और बहुभाषी राज्य अस्यायी होता है।

राजभाषा के रूप में हिंदी की स्वीकृति

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी अपनी एक भाषा को राजभाषा बनाने की आवश्यकता देश के सभी नेताओं ने महसूस किया। भारत जैसे एक बहुभाषा भाषी देश में भावात्मक एकता स्थापित करने के लिए एक संपर्क भाषा नितान्त आवश्यक ही थी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले अंग्रेज़ी शासन काल में सरकार की राजभाषा तथा शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी थी। लेकिन स्वतंत्र राष्ट्र में एक विदेशी भाषा को राजभाषा के रूप में बचाए रखने के औचित्य पर देश के राष्ट्रीय नेता विचार करने लगे और अंततः इस विचार पर आ पहूँचे कि अंग्रेज़ी के स्थान पर किसी भारतीय भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया जाए। 15 आगस्त, 1947 के देश आज़ाद होने के एक महीने बाद 21 सितंबर को गाँधीजी ने 'हरिजन सेवक' में लिखा -

"मेरा कहना यह है कि जिस तरह हमारी आज़ादी को छीननेवाले अंग्रेज़ों की सियासी हुकूमत को हमने सफलतापूर्वक इस देश से निकाल दिया, उसी तरह हमारी संस्कृति को दबानेवाली अंग्रेज़ी भाषा को भी हमें यहाँ से निकाल देना चाहिए। हाँ, व्यापार और राजनीति की

अंतर्राष्ट्रीय भाषा के नाते अंग्रेज़ी का अपना स्वभाविक स्थान हमेशा कायम रहेगा।"[1]

स्वतंत्र भारत के लिए एक सर्वमान्य राजभाषा की तलाश हिंदी में आकर रुकी थी। अगर भारत के लिए एक सम्पर्क भाषा हो सकती है तो वह हिंदी ही है - इस तथ्य को हमारे राष्ट्र के महारथियों ने बहुत पहले ही समझा था।

संविधान में हिंदी : ऐतिहासिक निर्णय

सन् 1947 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए एक संविधान सभा गठित की थी। उस संविधान सभा की प्रथम बैठक दिसंबर, 1946 में ही हुई थी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को चुन लिया गया। 14 दसंबर, 1946 को संविधान सभा की नियम समिति ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में यह निर्णय किया कि संविधान सभा का कामकाज हिंदुस्तानी या अंग्रेज़ी में किया जाना चाहिए और अध्यक्ष की अनुमति से कोई भी सदस्य सदन में अपनी मातृभाषा में भाषण दे सकेगा।

14 जुलाई, 1947 को जब संविधान सभा का सत्र प्रारंभ हुआ तब सत्र के दूसरे ही दिन यह संशोधन प्रस्तुत किया गया कि -

---

1. शंकरदयाल सिंह - हिन्दी : राष्ट्रभाषा : राजभाषा : जनभाषा, 2002 - पृ. 64

'हिंदुस्तानी' के स्थान पर 'हिंदी' शब्द रखा जाए।[1] बाद में इस विषय पर बहुत विचार-विमर्श हुए। लेकिन ज्यादातर लोग हिंदी के पक्ष में ही थे।

देश के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया सन् 1946 में शुरू हो गई थी। इस प्रक्रिया में देश की राजभाषा संबंधी नीति पर चर्चा 12, 13 और 14 सितंबर सन् 1949 को हुई। राजभाषा के संबन्ध में सदस्यों के बीच मुख्यतया दो प्रकार के दृष्टिकोण थे। कुछ लोग अंग्रेज़ी को ही ज्यादा स ज्यादा समय तक राजभाषा के रूप में बनाए रखना चाहते तो दूसरे कुछ लोगों का विचार था कि एक भारतीय भाषा जल्द-से-जल्द अंग्रेज़ी का स्थान ले ले। इस कारण चर्चा में काफ़ी उत्तेजना और कटुता भी उत्पन्न हो गई थी। इसे जानते हुए बहस के शुरू होने से पूर्व संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था कि "भले ही कोई निर्णय बहुमत से पारित हो जाए, लेकिन पूरे भारत के उत्तर या दक्षिण में जन-साधारण के किसी भी बहुत बडे वर्ग को स्वीकार नहीं होगा तो संविधान को कार्यान्वित करने में बड़ी कठिनाई पैदा होगी।"[2]

बहस के दौरान सदस्यों ने विधेयक के चारों अध्यायों पर विचार व्यक्त किए, परंतु चर्चा का मुख्य केंद्र विधेयक का पहला

---

1. सं. डॉ. इकबाल अहमद - राजभाषा हिन्दी : प्रगति और प्रयाण - शंकर दयाल सिंह - संविधान सभा और राजभाषा, 2000 - पृ. 29
2. कांस्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स - ग्रंथ 1 - काँ 1312

अध्याय था, जिसका शीर्षक था 'संघ की भाषा'। चर्चा में हिंदी, अंग्रेज़ी, हिंदुस्तानी, संस्कृत और बंगला के पक्ष में दावे पेश किए गए। ज्यादातर लोग हिंदी के पक्ष में ही थे। इसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने कहा था -

"यदि मैं हिंदी भाषा-भाषी प्रांत का रहनेवाला होता तो मुझे इस समझौते पर गर्व होता, जिसके अनुसार इस सदन के लगभग सभी सदस्यों ने स्वेच्छा से देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा स्वीकार कर लिया है।"[1]

हिंदी के विरोध में भी कई लोगों ने अपनी राय प्रकट की थी। ऐंगलों-इंडियन वर्ग से मनोनीत सदस्य फ्रैंक ऐंथनी ने कहा कि हिंदी के रूप को स्पष्ट किया जाना चाहिए। उनके अनुसार राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी का रूप सरल होना चाहिए जिसे आम लोग भी आसानी से समझ सके। और हिंदी धीरे-धीरे अंग्रेज़ी का स्थान ले, वरना (जल्दी करने से) अनेक लोगों का भविष्य दाँव पर लग जाएगा, जिसमें बहुसंख्यक वर्ग के लोग भी शामिल होंगे।"[2]

जवहरलाल नेहरु ने हिंदी के राजभाषा बनने के तथ्य का समर्थन किया, लेकिन उनकी यह भी राय थी कि हिंदी को उर्दू तथा

---

1. कांस्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स - ग्रंथ 1 - काँ 1389
2. हिंदी की भगीरथ यात्रा - कन्हैया लाल गाँधी - पृ. 33

अन्य भाषाओं के शब्द को भी अपने अंदर समाविष्ट करना चाहिए ताकि पूरे भारतीय भाषाओं का मिलन हिंदी में झलक रहें। इसके अतिरिक्त उनका कहना था कि हिंदी को लोगों की मर्जी के बिना उनपर लादना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सामान्य गति से बढना चाहिए।

अंकों के लिखने की शैली पर भी कुछ ज्यादा विवाद चला। कुछ लोग देवनागरी अंकों को स्वीकार करने की राय में थे तो कुछ लोग अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप अपनाने की राय रखती थी। अंततः डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय प्रश्नों का समाधान आदान-प्रदान और त्याग की भावना से ही निकल सकता है। अहिंदी भाषा-भाषी लोगों ने हिंदी भाषा और नागरी लिपि को स्वीकार किया है तो हिंदी भाषा-भाषी लोगों को अहिंदी भाषा-भाषी लोगों के इच्छानुसार अंतर्राष्ट्रीय अंकों को मानने में कोई अपत्ति नहीं होनी चाहिए।

अंकों के अतिरिक्त सदस्यों के बीच लिपि के बारे में भी मतभेद थे। कुछ सदस्य रोमन लिपि के पक्षधर थे तो कुछ उर्दू/फारसी के और कुछ देवनागरी लिपि के। रोमन लिपि तो पहले ही असमर्थ स्थापित हुई थी। हिंदी को देवनागरी के अतिरिक्त उर्दू लिपि में लिखने के लिए संशोधन के पक्ष में केवल बारह वोट पड़े, इसलिए यह संशोधन भी अस्वीकार हो गया।[1]

---

1. कन्हैया लाल गाँधी - हिन्दी की भगीरथ यात्रा, 1998 - पृ. 50

अंग्रेज़ी के स्थान पर हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए कितना समय चाहिए - इस बात पर भी काफ़ी विवाद हुआ। श्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसी के सिलसिले में चर्चा के दौरान कहा -

"हम पाँच वर्ष की अवधि से शुरू हुए फिर हम दस वर्ष की कालावधि पर आए, तब हमने देखा कि दक्षिण के हमारे बंधु पंद्रह वर्ष चाहते थे और हम इसपर सहमत हो गए।"[1]

1949 सितंबर 14 की शाम की बहस के समापन के बाद डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने अपने भाषण में कहा था कि - "आज पहली ही बार ऐसा संविधान बना है जबकि हमने अपने संविधान में एक भाषा रखी है जो संघ के प्रशासन की भाषा होगी और उस भाषा का विकास समय की परिस्थितियों के अनुसार ही करना होगा।"[1] उनके अनुसार हिंदी को पूरे भारत की राजभाषा स्वीकार करने से देश की एकता स्थापित हुई है - "हमने अब देश का राजनैतिक एकीकरण कर लिया है। अब हम एक दूसरा जोड़ लगा रहे हैं। जिससे हम सब एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक हो जाएँगे।"[2] उन्होंने इस बात पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की कि संविधान सभा ने 'अत्यधिक बहुमत' से भाषाविषयक प्रावधानों को स्वीकार किया। अपने वक्तव्य के उपसंहार में उन्होंने

---

1. कांस्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स - ग्रंथ 1 - कॉ. 1443
1,2. कांस्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स (हिंदी सरकारी संस्करण)

कहा, - "यह मानसिक दशा का भी प्रश्न है जिनका हमारे समस्त जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। हम केंद्र में जिस भाषा का प्रयोग करेंगे उससे हम एक-दूसरे के निकटतर आते जाऐंगे। आखिर अंग्रेज़ी से हम निकटतर आए हैं क्योंकि यह एक भाषा थी। अंग्रेज़ी के स्थान पर हमने एक भारतीय भाषा को अपनाया है, इससे अवश्यमेव हमारे संबंध घनिष्ठतर होंगे, विशेषतः इसलिए कि हमारी परंपराएँ एक ही हैं। हमारी संस्कृति एक ही है और हमारी सभ्यता में सब बातें एक ही हैं। अतएव यदि हम इस सूत्र को स्वीकार नहीं करते तो परिणाम यह होता कि या तो इस देश में बहुत-सी भाषाओं का प्रयोग होता या वे प्रांत पृथक् हो जाते जो बाध्य होकर किसी भाषा विशेष को स्वीकार करना नहीं चाहते। हमने यथासंभव बुद्धिमानी का कार्य किया है और मुझे हर्ष है, मुझे प्रसन्नता है और मुझे आशा है कि भावी संतति इसके लिए हमारी सराहना करेगी।"[1]

राजभाषा संबन्धी संवैधानिक उपबंध

भारत संघ की राजभाषा नीति से संबधित प्रावधान, संघ-संविधान के भाग-5 (120), भाग 6 (210) एवं भाग-16, राजभाषा अधिनियम 1963 (यथा संशोधित 1967), राजभाषा संकल्प 1968, राजभाषा नियम 1976 (यथा संशोधित 1987), राष्ट्रपति द्वारा

---

1. कांस्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स (हिंदी सरकारी संस्करण)

जारी किये गए आदेशों तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए निदेशों में निहित है।

भाग 5, अनुच्छेद 120 (1) में कहा गया है कि - "भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद - 348 के अधीन संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेज़ी में किया जाएगा।"[1] आगे ऐसा कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदी या अंग्रेज़ी में अपना विचार प्रकट करने में असमर्थ है तो लोकभाषा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है।

अनुच्छेद 120 (2) में यह उपबंध है - "जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि की समाप्ती के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि "या अंग्रेज़ी में" ये शब्द उसमें से लुप्त कर दिए गए हैं।"[2] अर्थात 26 जनवरी 1965 से संसद का कार्य केवल हिंदी में होगा।

भाग 6, अनुच्छेद 210(1) में विधान-मंडल में प्रयुक्त होनेवाली भाषा पर निर्णय लिखा गया है। संसद की भाषा की भाँति विधान मंडल में भी हिंदी या अंग्रेज़ी में कार्य किया जा सकता है। लेकिन

---

1. भारतीय संविधान, 1950 - पृ. 254
2. वही

इसके साथ प्रत्येक राज्य की राजभाषा या भाषाओं का भी उपयोग करने की अनुमति है। अगर किसी सदस्य उपर्युक्त भाषाओं में से किसी में भी अपना विचार प्रकट नहीं कर सकता है तो विधान सभा का अध्यक्ष या विधान - परिषद् का सभापति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। लेकिन यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं है।

अनुच्छेद 210 (2) के अनुसार जब तक विधान-मंडल विधि द्वारा कोई और उपबंध न करे, तब तक संविधान के आरंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के बाद अर्थात् 26 जनवरी 1965 ई से विधान मंडल का कार्य राज्य की राजभाषा / भाषाओं या हिंदी में ही होगा। इसी अनुच्छेद में आगे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में 'पंद्रह वर्ष' के स्थान पर 'पच्चीस वर्ष' की छूट अंग्रेज़ी-प्रयोग के लिए दी गई है।[1]

संघ की राजभाषा - भाग-17, अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार "संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।"[2] संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होनेवाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा।

---

1. भारतीय संविधान, 1951 - पृ. 309
2. भारतीय संविधान, 1950 - पृ. 408

अनुच्छेद 343 (2) के अनुसार संविधान के लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात 26 जनवरी 1965 तक संघ के सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए पहले की भाँति अंग्रेज़ी का प्रयोग जारी रहेगा। परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के पहले भी आदेश द्वारा अंग्रेज़ी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकते हैं।

अनुच्छेद 343 (3) में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह विधि द्वारा पंद्रह वर्ष की अवधि के पश्चात् भी अंग्रेज़ी भाषा का और अंकों के देवनागरी रूप का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कर सकती है।

राजभाषा के लिए आयोग और संसद की समिति - अनुच्छेद 344 (1) के अंतर्गत कहा गया है कि संविधान के लागू होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा दो आयोग बनाए जाएँगे, एक संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष की समाप्ति पर और दूसरा उसके दस वर्षों के बाद। अनुच्छेद 344 (2) में इस आयोग के कर्तव्यों को व्यक्त किया गया है कि यह आयोग राष्ट्रपति को हिंदी के प्रयोग के बारे में अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगा। और यह भी देखेगा कि किस प्रकार राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढाया जा सकता है।

अनुच्छेद 344 (4) में राजभाषा संबन्धी संसदीय समिति के गठन की बात कही गयी है और अनुच्छेद 344 (5) के अनुसार इस

संसदीय समिति का कर्तव्य यही बताया गया है कि खण्ड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करना तथा राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में रिपोर्ट देना।

राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ - अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होनेवाली भाषाओं में से किसी एक को या एक से अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जानेवाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा। ऐसा कानून बनने तक जिस प्रकार संविधान के लागू होने से पहले अंग्रेज़ी का प्रयोग होता था, वैसे ही होता रहे।

अनुच्छेद 346 में यह व्यवस्था की गयी है कि संघ में तत्समय प्राधिकृत राजभाषा एक राज्य और दूसरे के बीच में अथवा राज्य और संघ के बीच में पत्रादि के लिए प्रयुक्त भाषा होगी। इसके साथ ही राज्यों को यह अधिकार दे दिया है कि वे परस्पर करार द्वारा आपस में पत्राचार हिंदी में कर सकेंगे।

अनुच्छेद 347 के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त लोग अपने द्वारा बोली जानेवाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दिए जाने की मांग करते हैं, तब राष्ट्रपति ऐसी अनुमति दे सकते हैं।

उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा - संविधान के अनुच्छेद 348 (1) में अन्य बातों के साथ-साथ यह विदित है कि जब तक संसद द्वारा अन्यथा उपबंध न किया जाए, तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियाँ तथा केन्द्र और राज्यों के सभी अधिनियमों, विधेयकों, अध्यादेशों और संविधान के अधीन अथवा किसी राज्य अथवा केन्द्र विधि के अधीन जारी किए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों या उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेज़ी भाषा में होंगे। इसी अनुच्छेद के खण्ड 2 में यह उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य में स्थित उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए हिंदी अथवा उस राज्य के सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग की जानेवाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है, परन्तू निर्णयों, डिक्रियों और आदेशों के लिए अंग्रेज़ी का ही प्रयोग किया जाएगा। इस अनुच्छेद के खण्ड (3) के अधीन किसी भी राज्य का विधान मंडल विधेयकों अथवा अधिनियमों आदि के प्रयोग के लिए अंग्रेज़ी भाषा से इतर किसी अन्य भाषा का प्रयोग विहित कर सकता है बशर्ते कि सरकारी राजपत्र में उनका अंग्रेज़ी अनुवाद प्रकाशित किया जाए जिसे उसका अंग्रेज़ी भाषा का प्राधिकृत पाठ माना जाएगा।

अनुच्छेद 349 के अनुसार 26 जनवरी 1965 तक अनुच्छेद 348 में दिए प्रावधानों के तहत केवल अंग्रेज़ी पाठ ही प्राधिकृत माना

जाएगा। इसी संबन्ध में कोई विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद के किसी सदन में प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति अनुच्छेद 344 (1) के अधीन गठित आयोग तथा अनुच्छेद 344 (4) के अधीन गठित संसदीय समिति की रिपोर्ट पर विचार कर लेने के बाद ही देंगे।

अनुच्छेद 350 के अनुसार किसी शिकायत के निवारण केलिए प्रत्येक व्यक्ति को संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होनेवाली किसी भाषा में अभिवेदन देने का हक होगा।

अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निदेश दिया गया है। "संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी के और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वाँछनीय हो वहाँ उसके शब्द भण्डार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।"[1]

---

1. भारतीय संविधान, 1950 - पृ. 408-411

संविधान के अनुच्छेद 344 (1) और अनुच्छेद 351 में आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारतीय भाषाओं का संदर्भ आया है। इस अनुसूची में पहले केवल चौदह भाषाएँ शामिल की गई थी। अब इसकी संख्या बाईस है। वे भाषाएँ निम्नलिखित है।[1]

1.	असमिया	12.	बंगला
2.	उडिया	13.	मणिपुरी
3.	उर्दू	14.	मराठी
4.	कश्मीरी	15.	मलयालम
5.	कन्नड़	16.	संस्कृत
6.	कोंकणी	17.	सिंधी
7.	गुजराती	18.	हिंदी।
8.	तमिल	19.	मैथिली
9.	तेलुगु	20.	संधाली
10.	नेपाली	21.	बोडो
11.	पंजाबी	22.	डोगरी

राजभाषा हिंदी के विकास में सभी भारतीय भाषाओं का सहयोग अपेक्षित और वाँछनीय है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के निरन्तर विकास में ही यह कल्पना करता है। इसके आलोक में हमें

---

1. भारतीय संविधान, 1951 - पृ. 491

हिंदी के प्रगामी प्रयोग, अभिवृद्धि एवं विकास के विषय में दिशायें निर्धारित करनी है।

राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा संबन्धी जारी प्रमुख आदेश

1. 27 मई 1952 को राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 343 (2) के अधीन पहला आदेश जारी किया जिसमें राज्यपालों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति पत्रों में अंग्रेज़ी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा के तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों के अतिरिक्त देवनागरी के अंकों के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया।[1]

2. सन् 1955 ई में राष्ट्रपति द्वारा एक अन्य आदेश जारी किया गया जिसमें संघ के निम्नलिखित सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा के अतिरिक्त हिंदी के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया -

i) जनता के साथ पत्र व्यवहार ii) प्रशासनिक रिपोर्ट, सरकारी पत्रिकाएँ और संसद में प्रस्तुत की जानेवाली रिपोर्ट iii) सरकारी संकल्प और विधाई अधिनियम iv) हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता देनेवाली राज्य सरकारों से पत्र-व्यवहार v) संधियाँ और करार vi) अन्य देशों की सरकारों, उनके दूतों तथा अंतर्राष्ट्रीय

---

1. अधिसूचना सं॰सा॰नि॰आ॰ 938 ए, दि॰ 27-5-1952

संगठनों के साथ पत्र-व्यवहार vii) अन्तर्राजनीतिक तथा वाणिज्यिक अधिकारियों एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के भारतीय प्रतिनिधियों के लिए जारी किए जानेवाले लेखों में।[1]

राजभाषा आयोग / खेर आयोग का गठन

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 (1) के अनुसार संविधान के लागू होने के पाँच साल बाद 7 जून 1955 ई. को राष्ट्रपति द्वारा एक राजभाषा आयोग का गठन किया गया। बंबई के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री. बालगंगाधर खेर इस आयोग के अध्यक्ष ये तथा इसमें, संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीस अन्य सदस्य शामिल थे। इस आयोग के विचारार्थ निम्न विषय थे -

1) शासकीय प्रयोजनों में हिंदी प्रयोग
2) अंग्रेज़ी भाषा के प्रयोग पर निर्बन्धन तथा
3) अंकों के रूप पर सिफारिशों आदि।

इस आयोग की पहली बैठक 15 जुलाई 1955 को हुई। इसके बाद इस आयोग ने 76 बैठकें की जिनमें राजभाषा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित मामलों की छानबीन की। 1930 व्यक्तियों की गवाहियाँ ली गईं। अंत में 31 जुलाई, 1956 ई. में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दी।

---

1. अधिसूचना सं॰ 59/2/54, दि॰ 3.12.1955

राजभाषा आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 खण्ड (4) और (5) में दी गई व्यवस्था के अनुसार लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 दस्यों की एक संसदीय समिति का गठन किया गया। सन् 1956 में गठित इस समिति के अध्यक्ष चुने गए तत्कालीन केन्द्रीय गृहमंत्री श्री. गोविन्द वल्लभ पंत। समिति ने अपनी 26 बैठकों में आयोग की रिपोर्ट पर विचार किया और 8 फरवरी, सन् 1959 ई को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दी। इस समिति के सबसे प्रमुख सुझाव यह था कि सन् 1965 तक भारत सरकार के राजकाज की प्रधान भाषा अंग्रेज़ी रहे और इस अवधि में हिंदी गौण राजभाषा रहे। सन् 1965 के बाद हिंदी प्रधान राजभाषा रहे तथा अंग्रेज़ी को सह-राजभाषा का स्थान दिया जाए।

संसदीय समिति ने राजभाषा आयोग के अधिकांश सुझावों को स्वीकार करने की राय राष्ट्रपति को दी। इसके अनुसार राष्ट्रपति ने 27 अप्रैल, 1960 को संघ राजभाषा के संबन्ध में एक आदेश जारी किया।

राष्ट्रपति का आदेश, 1960

संविधान के अनुच्छेद 344 खण्ड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने संसदीय समिति की रिपोर्ट पर विचार

किया और इस संदर्भ में 27 अप्रैल, 1960 को एक आदेश पारित किया। इस आदेश में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देश समाविष्ट हैं -

1. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली निर्माण के लिए एक आयोग की स्थापना। परिणाम स्वरूप - वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग (CSTT - मानव संसाधन विकास मंत्रालय)

2. सांविधानिक नियमों, विनियमों, आदेशों, सभी मैनुअलों तथा अन्य कार्यविधि साहित्य का अनुवाद। परिणाम स्वरूप केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो (CTB - गृह मंत्रालय)

3. मानक विधि शब्द कोष और विधि-शब्दावली निर्माण हेतु विभिन्न राष्ट्रभाषा के कानूनी विशेषज्ञों का आयोग। परिणाम स्वरूप विधायी राजभाषा आयोग (LOLC - विधि मंत्रालय)

4. तृतीय श्रेणी से नीचे के कर्मचारियों, औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों को छोडकर अन्य केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण अतएव हिंदी शिक्षण योजना (HTS - गृह मंत्रालय) टंककों और अशुलिपिकों को हिंदी टंकण और आशुलेखन के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी गृह मंत्रालय की ओर से की जाए। (अधिसूचना सं. 2/8/60 रा.भा. दि. 27/4/1960)

इन प्रमुख प्रावधानों के अतिरिक्त सन् 1961 ई मं एक सुनियोजित कार्यक्रम के अधीन राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग,

प्रशिक्षण और असंवैधानिक कार्यालयी प्रशासनीय साहित्य के अनुवाद की एक योजना निश्चित अवधि तक तय कीगयी। जिसकी देखरेख केलिए 'राजभाषा प्रशिक्षण संस्थान' तथा कार्यान्वयन समिति बनीं। साथ ही हिंदी सलाहकार समितियों के निर्माण के साथ एक केन्द्रीय हिंदी समिति का भी गठन हुआ जिसका अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होता है।

राजभाषा अधिनियम 1963 (यथा संशोधित 1967)

यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 343 के खण्ड (3) में निहित उपबन्धों के आधार पर बनाया गया। यह विधेयक 13 अप्रैल, 1963 को लोकसभा में और 3 मई 1963 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया जो क्रमशः 17 अप्रैल तथा 7 मई 1963 को पारित हुआ और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर राजभाषा अधिनियम 1963 के रूप में लागू हुआ। इसमें कुल नौ धाराएँ हैं जिनका संक्षिप्त विवरण आगे दिया जा रहा है -

धारा-1 के पहले खंड में अधिनियम के नाम का निर्देश है। "यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम, 1963 कहा जा सकेगा।" खंड (2) में ऐसा लिखा गया है कि धारा 3, जनवरी 1965 के 26 वें दिन को प्रवृत्त होगी लेकिन बाकी धाराओं को लागू करने के दिनांक राजपत्रों / अधिसूचनाओं द्वारा जारी किए जाएँगे। इसी के परिणाम स्वरूप धारा 5 (1) 10 जनवरी 1965 को, धारा (6) 19 मई 1969

को, धारा (7) 7 मार्च 1970 को और धारा 5 (2)। अक्तूबर 1976 को प्रवृत्त हुई। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि अधिनियम तो लागू हो गया, किन्तु इसके उपबंध अब भी लागू होने बाकी है।

धारा-2 में स्पष्ट किया गया है कि आगमी धाराओं में नियत दिन का अभिप्राय 26 जनवरी 1965 है तथा हिंदी से तात्पर्य देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी से है।

धारा-3 की उपधारा (1) में कहा गया है - 'संविधान के आरंभ से पंद्रह वर्ष की अवधी समाप्त हो जाने पर भी अंग्रेज़ी भाषा नियत दिन (26-1-1965) से ही सं के उन सब राजकीय प्रयोजनों और संसदीय कार्यव्यवहार में लायी जाती रहेगी जिनकेलिए वह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लायी जाती थी। इस धारा के ज़रिए हमारे देश अंग्रेज़ी को अमरत्व मिल गया है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि कालांतर में अंग्रेज़ी राजभाषा के रूप में अधिक मज़बूत हो गयी और हिंदी कमज़ोर।

इस धारा में ऐसा भी लिखा गया है कि केंद्र या हिंदी को राजभाषा माननेवाले राज्य, हिंदी को राजभाषा न माननेवाले राज्यों के साथ पत्राचार करने में अंग्रेज़ी भाषा का ही प्रयोग करें या पत्र का अंग्रेज़ी अनुवाद ज़रूर भेजें। इसके अतिरिक्त जिन राज्यों ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया है वे अन्य राज्यों या केंद्र के

साथ पत्राचार हेतु स्वतंत्र है। इसप्रकार एक नियम बनाके वास्तव में हिंदी की प्रगति को रोक लगाया।

धारा-3 की उपधारा (2) में यह प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों, संबद्ध संस्थानों, निगमों, कंपनी - कार्यालयों आदि के बीच तब तक हिंदी या अंग्रेज़ी प्रयोग में लायी जाती रहेगी जब तक संबद्ध मंत्रालय, कार्यालय, विभाग आदि के संबद्ध कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते। स्थिति के अनुसार, अंग्रेज़ी के साथ हिंदी या हिंदी के साथ अंग्रेज़ी का अनुवाद आवश्यक होगा। स्पष्ट है कि कोई कर्मचारी हिंदी के प्रयोग करने की कोशिश तक आगे कभी नहीं करेगा। परोक्षतः यह उपबन्ध हिंदी कार्य को बाधित करता है।

धारा-3 की उपधारा (3) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों, संबद्ध संस्थानों, निगमों आदि से संबद्ध सभी संकल्पों, आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों तथा प्रेस विज्ञप्तियों, संविदाओं, करारों, अनुज्ञप्तियों आदि के लिए हिंदी और अंग्रेज़ी प्रयोग में लायी जायेंगी। जाहिर है कि इससे काम और खर्चा दोनों दोहरे रूप में बढेंगे। इसलिए बहुत कम ही कार्यालय इसका शतः प्रतिशत अनुसरण करते हैं।

उपधारा (4) में कहा गया है कि अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में प्रवीण न हो पानेवाले कर्मचारियों के हितों पर आँच लानेवाले नियम

सरकार नहीं बना सकेगी। अर्थात केवल हिंदी या केवल अंग्रेज़ी में दक्ष कर्मचारियों को इच्छानुसार भाषा में कामकाज करने की छूट रहेगी।

उपधारा (5) में कहा गया है कि जब तक कोई राज्य अंग्रेज़ी में प्रयोग समाप्त कर देने का संकल्प पारित नहीं कर लेते तब तक उन्हें अंग्रेज़ी भाषा के प्रयोग की छूट रहेगी।

धारा-4 में एक ऐसी 'राजभाषा समिति' बनाने का प्रावधान है जो धारा-3 के लागू होने की तिथि के दस वर्ष पश्चात् अर्थात् 1975 ई में, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से गठित की जायेगी। इस समिति में तीस सदस्य होंगे - बीस लोकसभा के और दस राज्यसभा के। समिति का कर्तव्य यह होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करके, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगी। दोनों सदनों और सभी राज्य सरकारों से इस रिपोर्ट पर अभिमत प्राप्त न होने पर उस रिपोर्ट के सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकेंगे, परंतू वे आदेश धारा-3 के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे।

धारा-5 में केंद्रीय अधिनियम आदि के प्राधिकृत हिंदी अनुवाद के संबंध में बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत हिंदी अनुवाद मान्य होगा।

धारा-6 में राज्य के विधान - मंडलों के नियमों, अधिनियमों आदि के हिंदी-अनुवाद का वही रूप प्राधिकृत मानने की बात कही गई है जिसे राज्यपाल द्वारा प्राधिकृत किया जायेगा।

धारा-7 में ऐसा लिखा गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में अंग्रेज़ी के अतिरिक्त हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। लेकिन इन निर्णयों के साथ ही साथ उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकृत अंग्रेज़ी-अनुवाद देना भी ज़रूरी है। (अब तक उत्तर-प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के राज्यपालों ने अपने अपने उच्च न्यायालयों में उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए हिंदी के प्रयोग की अनुमति दे दी है)।

धारा-8 में केंद्रीय सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। जिन्हें शासकीय राजपत्र में अनुसूचित किया जायेगा।

धारा-9 में यह निर्देश है कि इस अधिनियम की धारा 6, 7 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगी। अर्थात उस राज्य में संविधान का हिंदी अनुवाद और उच्च न्यायालय के निर्णय आदि के लिए हिंदी का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। अंग्रेज़ी पाठ ही प्राधिकृत होगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये 1963 की अधिनियम अंग्रेज़ी के पक्ष

को अधिक मज़बूत बना दिया है। हिंदी को एक वैकल्पिक भाषा बना दिया और अंततः यह हुआ कि हिंदी के प्रयोग राजकीय प्रयोजनों के लिए नागण्य सा हो गया।

सन् 1963 के अधिनियम का संशोधन सन् 1967 में किया गया। इस अधिनियम के धारा 4 में बतायी गयी राजभाषा समिति का गठन सन् 1976 में हुआ और यह समिति इस समय भी कार्य कर रही है। सन् 1980-90 ई में समिति ने अपने प्रतिवेदन के चार खण्ड राष्ट्रपतिजी को प्रस्तुत किया। इन चारों आदेशों में इस समिति की सिफारिशों भी उल्लेखित हैं।

राजभाषा संकल्प 1968

संसद के दोनों सदनों ने दिसंबर 1967 ई में 'राजभाषा संकल्प' पारित किया। यह संकल्प 18 जनवरी 1968 के राजपत्र में अधिसूचित किया गया, इसलिए राजभाषा संकल्प 1968 कहा जाता है। इस संकल्प में कुल चार मुख्य बातें कही गयी है। प्रथम बात सरकारी कामकाज में राजभाषा प्रयोग पर केन्द्रित है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 343 एवं 351 के अनुसार हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार करने का संकल्प लिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि कार्यान्वयन की विस्तृत रिपोर्ट हर वर्ष राज्य

सरकारों को भेजने के साथ-साथ संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएगी।

दूसरी बात यह है कि भारत सरकार, राज्य सरकार के सहयोग से आठवीं अनुसूची में उल्लिखित समस्त भारतीय भाषाओं के विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करेगी।

इस संकल्प के तीसरे भाग में राष्ट्रीय एकता के प्रोत्साहन देने के लिए त्रिभाषा-सूत्र (फार्मूला) लागू करने का निश्चय किया गया है। इस 'त्रिभाषा सूत्र' के अनुसार हिंदी-भाषी क्षेत्रों में हिंदी और अंग्रेज़ी के अतिरिक्त एक दक्षिण भारतीय भाषा और अहिंदी-भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषा और अंग्रेज़ी के साथ-साथ हिंदी के अध्ययन की व्यवस्था की जाए।

चौथा भाग केंद्रीय सरकार की नौकरियों में परीक्षा माध्यम पर आधारित है। लोक सेवाओं तथा उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं में हिंदी, अंग्रेज़ी के साथ-साथ संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं को वैकल्पिक रूप से रखने की अनुमति लोक सेवा आयोग के विचार जानने के बाद की जायेगी। लेकिन संकल्प के इस भाग का कार्यान्वयन अब भी न हुआ। सन् 1991 में संसद ने यही संकल्प को पुनः दोहराया। इसे हम राजभाषा संकल्प 1991 कहते हैं। इसके बावजूद अब भी संघ लोकसेवा आयोग द्वारा ली जा रही।

परीक्षाओं में 10 परीक्षाओं का माध्यम केवल अंग्रेज़ी ही है। इसलिए यह संकल्प केवल एक संकल्प ही रह गया है।

राजभाषा नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987)

सन् 1963 ई में राजभाषा अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (4) तथा धारा-8 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने सन् 1976 ई में 'राजभाषा नियम' लागू किया। फिर 9 अक्टूबर 1987 को सन् 1976 ई के राजभाषा नियम' में कुछ संशोधन किए गए। इसमें संकलित नियमों की कुल संख्या 12 हैं।

1. यह नियम संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग से संबंधित है और इनका विस्तार तमिलनाडु राज्य का छोडकर संपूर्ण भारत में है।

2. इसमें केन्द्रीय सरकार के कार्यालय, 'क्षंत्र क', 'क्षेत्र ख', 'क्षेत्र ग' आदि की परिभाषाएँ दी गयी है।

3. (क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और संघ क्षेत्र दिल्ली तथा आण्डमान निकोबार द्वीप समूह को, जिन्हें 'क' क्षेत्र कहा जाता है या ऐसे राज्यों में स्थित किसी अन्य कार्यालय या व्यक्ति को भेजे जानेवाले पत्र आदि हिंदी में भेजे जाएँगे। यदि

किसी खास मामले में ऐसा कोई पत्र अंग्रेज़ी में भेजा जाता है, तो उसका हिंदी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा।

(ख) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से पत्रादि पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और चंडीगढ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को (जिन्हें 'ख' क्षेत्र में शामिल किया है) सामान्यतः हिंदी में भेजे जाते हैं तो उसका हिंदी अनुवाद भी साथ में भेजा जाएगा। लेकिन इन राज्यों में किसी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्रादि हिंदी या अंग्रेज़ी में किसी भी भाषा में भेजा जा सकता है।

(ग) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से 'ग' क्षेत्र के किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र ('क' और 'ख' क्षेत्र के राज्यों को छोडकर शेष) के किसी कार्यालय या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेज़ी में भेजे जाएँगे। यदि ऐसा कोई पत्र हिंदी में भेजा जाता है तो उसका अंग्रेज़ी अनुवाद साथ भेजा जाएगा।

4. केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्र-व्यवहार हिंदी या अंग्रेज़ी में किया जा सकता है। किन्तु केन्द्र सरकार के किसी मंत्रालय / विभाग और 'क' क्षेत्र में स्थित संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के बीच होनेवाला पत्र व्यवहार सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात में, वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कम से कम दो तिहाई, हिंदी में होना चाहिए।

5. नियम 3 और नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी हिंदी में पत्रादि के, केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से उत्तर हिंदी में होंगे।

6. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज़ों के लिए हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा और इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ऐसे दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होगी।

7. केंद्रीय सरकार के कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन आदि में हिंदी या अंग्रेज़ी का प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी में प्रस्तुत या हस्ताक्षरित आवेदन आदि का उत्तर हिंदी में दिया जाएगा।

   कोई कर्मचारी सेवा-संबंधी विषयों की जानकारी अपनी इच्छानुसार हिंदी या अंग्रेज़ी में पाने का अधिकारी होगा।

8. केन्द्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी फाइलों में हिंदी या अंग्रेज़ी में टिप्पणी या कार्यवृत्त लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में भी प्रस्तुत करे। लेकिन हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखनेवाला कर्मचारी भी विधिक और तकनीकी संबन्धी हिंदी दस्तावेजों का अंग्रेज़ी अनुवाद माँग सकता है।

   नियम 9 और 10 में क्रमशः 'हिंदी में प्रवीणता' और 'हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान' को स्पष्ट किया है।

11. केंद्रीय सरकार के सभी मैन्युअल, संहिताएँ, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहिय, हिंदी और अंग्रेज़ी द्विभाषिक रूप में होगा। रजिस्टरों के प्रारूप व शीर्षक आदि भी हिंदी और अंग्रेज़ी में होंगे। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के सभी नामपट्ट, पत्रशीर्ष, लिफाफों आदि पर दी जानेवाली सामग्री भी द्विभाषिक होगी।

    किंतु केंद्रीय सरकार, आवश्यक समझने पर, उपर्युक्त उपबंधों में छूट दे सकती है।

12. केंद्रीय कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख की यह जिम्मेदारी होगी कि वह उपर्युक्त उपबंधों का नियमानुसार पालन सुनिश्चित करे।

अपनी इस संवैधानिक स्थिति के कारण राजभाषा हिन्दी भारत भर में प्रयुक्त हो रही है। प्रश्न यह है कि क्या उसका प्रयोग सार्थक है और उपयोगी भी? अब समय आ गया है कि राजभाषा के प्रयोग की जाँच-पडताल की जाए उसे प्रबंधकीय सक्षमता युक्त कर दिया जाए।

राजभाषा हिन्दी की वर्तमान अवस्था पर कुछ प्रतिक्रियाएँ

राजभाषा नियम, 1976 के धारा 2 के खण्ड (च), (छ) और (ज) के अंतर्गत भारत को हिन्दी भाषा के आधार पर तीन भागों में विभक्त किए गए हैं।

क्षेत्र 'क' - दिल्ली संघ, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उत्तरांचल, बिहार, हिमाचलप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, आडंमान और निकोबार द्वीप समूह।

क्षेत्र (ख) - गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ संघ राज्य क्षेत्र।

क्षेत्र (ग) - पं. बंगाल, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मेघालय, केरल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, लक्षद्वीप और मिनिकाय, पोण्डिचेरी संघ राज्यक्षेत्र।

'क' क्षेत्र के राज्यों में हिन्दी मातृभाषा के रूप में बोली जाती है और 'ख' क्षेत्र के राज्यों में भी उनकी अपनी भाषा के साथ-साथ संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी प्रचार में है। 'ग' क्षेत्र के राज्यों में प्रचार के क्षेत्र में कम लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दी की स्वीकृति है। भाषा प्रयोग के क्षेत्र में इन असमानता के कारण राजभाषा हिन्दी के प्रयोग संबन्धी संवैधानिक नियम भी इन तीनों क्षेत्रों के लिए समान नहीं है। संविधान के अनुसार राजभाषा हिन्दी का प्रयोग 'ग' क्षेत्र की तुलना में 'के' और 'ख' क्षेत्रों में ज्यादातर होना चाहिए।

'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में राजभाषा हिन्दी की स्वीकृति पर एक सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण के दौरान एक प्रश्नपत्र इन तीनों क्षेत्रों के कार्यलयों के हिन्दी अधिकारियों को भेजा गया था। कार्यालयों

के वैविध्य के समान उस प्रश्नपत्र की प्रतिक्रिया में भी भिन्नता विद्यमान हैं। सिर्फ 36% कार्यालयों से उत्तर प्राप्त हुए है।

प्रश्नपत्र में निम्नलिखित सवाल शामिल किए गए थे

1. राजभाषा के समुचित कार्यान्वयन हेतु आप अपने कार्यालय में किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं?
2. आपके प्रत्येक कार्यक्रम की कैसी स्वीकृति है?
3. मोटे तौर पर आपके कार्यालय में राजभाषा नीति तथा कार्यान्वयन के कार्यकलापों के बारे में क्या दृष्टिकोण हैं?
4. क्या आपके कार्यालय में नियमित रूप से तिमाही राजभाषा समितियों की बैठक होती है?
5. राजभाषा कार्यान्वयन के तहत कार्यक्रमों चलाने के पहले क्या आप राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अनुमति लेते हैं?
6. उच्च पदाधिकारियों का राजभाषा नीति के प्रति क्या दृष्टिकोण है?
7. प्रशासनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का राजभाषा नीति और उसके कार्यानवयन के प्रति का दृष्टिकोण है?
8. प्रत्येक कार्य चलाते समय आपको अपने सहयोगियों को उत्प्रेरित करना पड़ता है या वे स्वयं करने को तैयार है?
9. आपके कार्यालय में प्रशासन के क्षेत्र के अलावा किन किन क्षेत्रों में राजभाषा का समुचित उपयोग हो रहा है?

10. क्या आपके कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए संसाधन उपलब्ध हैं?

11. आपकी दृष्टि में राजभाषा के कार्यान्वयन में क्या क्या सुधार आवश्यक हैं?

13. भारत सरकार की राजभाषा नीति में कहाँ कहाँ और किया प्रकार के सुधार की आवश्यकता आप अनुभव करते हैं?

इन प्रश्नों पर मिले उत्तरों से पता चला कि लगभग सभी कार्यालयों में हिन्दी भाषा प्रशिक्षण, हिन्दी टंकण / अशुलिपि प्रशिक्षण, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक, हिन्दी कार्यशाला, हिन्दी पखवाडा / दिवस का आयोजन, अन्तर विभागीय प्रतियोगितायें, राजभाषा संबंधी निरीक्षण, कई प्रोत्साहन योजनाएँ आदि कार्यक्रम राजभाषा के समुचित कार्यान्वयन हेतु चल रहे हैं और कुछेक कर्मचारियों को छोडकर बाकि सभी द्वारा इन कार्यक्रमों की अच्छी स्वीकृति भी है। राजभाषा नीति के लिए कार्यालयों में सकारात्मक दृष्टिकोण तो है, लेकिन इसके पीछे संवैधानिक नियमों का प्रभाव है।

नियमित रूप से तिमाही राजभाषा समितियों की बैठक शत प्रतिशत कार्यालयों में होती है और 75% से ज्यादा कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन संबन्धी कार्यक्रमों का आयोजन राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अनुमति प्राप्त करने पर ही चला रहा है।

राजभाषा नीति के प्रति उच्च अधिकारियों का दृष्टिकोण ज्यादातर जवाबों में सकारात्मक है। लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का राजभाषा नीति और उसके कार्यान्वयन के प्रति रुख आशाजनक नहीं है। फिर भी प्रोत्साहन हेतु थोड़ा बहुत हिन्दी में वे काम कर लेते हैं। कार्यालय के सहयोगियों को भी उत्प्रेरित करना पडता है और इने-गिने कुछ सहयोगी स्वयं काम करने के लिए आगे जाते हैं।

शोध संस्थानों को छोडकर बहुत कम ही कार्यालयों से प्राप्त जवाबों में से गैर प्रशासनिक क्षेत्र में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के संबंध में सूचना मिली है।

राजभाषा कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी सुविधाओं तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धि पर सभी राजभाषा कर्मचारी संतुष्ट हैं। फिर भी राजभाषा संबन्धी पदों की नियुक्ति पर कुछ लोगों की शिकायत भी है। रिक्त पदों में समय पर भर्ती की ओर वे सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं।

राजभाषा के कार्यान्वयन में सुधार के लिए कई सिफारिशें दी गयी हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं।

- राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की पहल कार्यान्वयन के उच्च अधिकारियों द्वारा होनी चाहिए।
- राजभाषा के रूप में प्रयुक्त हिन्दी सरल होनी चाहिए। क्लिष्ट हिन्दी के स्थान पर आम बोलचाल के शब्द का प्रयोग आवश्यक है।

- राजभाषा कार्यान्वयन संबन्धी नियमों को सख्त बनाना चाहिए।
- वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में राजभाषा कार्यान्वयन संबन्धी कार्यों की भी प्रविष्टि चाहिए।
- राजभाषा कार्यान्वयन को सेवा-क्षमता के साथ जोडना चाहिए। अर्थात हिन्दी में काम करने पर ही वेतन वृद्धि, पदोन्नति आदि दी जानी चाहिए।

इनके अलावा हिन्दी के प्रति विरोधी मानसिकता को बदलना, इच्छाशक्ति को जगाना कार्यन्वयन का अनुपालन न करने पर दण्ड का प्रावधान आदि सिफारिशें भी दी गयी हैं। ऐसी भी कुछ सिफारिशें मिलीं कि कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए सबसे पहले राजभाषा अधिकारी तथा राजभाषा से संबन्धित अन्य कर्मचारियों की कार्यकुशलता ऊँचे स्तर की होनी चाहिए। उन्हें अपने काम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण तथा आत्मविश्वास का होना ज़रूरी है।

सर्वेक्षण के दौरान पता चला कि राजभाषा कार्यान्वयन में हिन्दी प्रदेशों की तुलना में हिन्दीतर प्रदेश आगे हैं। राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के मामले में समस्या मातृभाषा की नहीं, बल्कि शिक्षण माध्यम का है जो हिन्दी व हिन्दीतर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए किसी हद तक समान है।

❖❖❖

अध्याय - दो

राजभाषा प्रबन्धन :
प्रबन्धकीय परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण

भूमिका :

प्रबंधन और संगठन का संबन्ध मनुष्य के मन और शरीर का जैसा है। दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। "नियोजित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संगठन एक साधन है और प्रबंधन साधना।"[1]

आज जीवन के हर क्षेत्र में प्रबंधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। प्रबंधकीय दृष्टि के अभाव में किसी संगठन का आगे बढ़ना संभव नहीं होता है। हर क्षेत्र में एक तरफ प्रतियोगिता रहती है तो दूसरी तरफ उसको अपने अपेक्षित प्रगतिपथ तक आना पड़ता है। कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का सामना करने के लिए प्रबंधकीय क्षमता की सख्त आवश्यकता है।

अनेकानेक विद्वानों ने प्रबंधन को परिभाषित करने का प्रयास किया है। प्रबंधन शास्त्र के प्रारंभिक चरणों में सी. कँनबाय बाल्डरस्टन ने प्रबंधन की व्यापक परिभाषा देते हुए कहा है कि 'मनुष्य के हित के लिए प्रकृति द्वारा दी गई सामग्री और शक्ति के उपयोग के लिए किए जानेवाले मानवीय प्रयास को संगठन, निर्देशन आदि करने की कला या विज्ञान ही

---

1. बसंत देसाई - प्रबंधन के सिद्धाँत, 2000 - पृ. 13

प्रबंधन है।"[1] जेम्स मूने और एलन रेले लिखते हैं कि 'प्रबंधन वह महत्वपूर्ण ज्योति है, जो संगठन की योजना और प्रणाली को सुनिश्चित, निर्देशित एवं नियंत्रित करती है।"[2] इसी प्रकार विलियम न्यूमेन द्वारा दी गई प्रबंधन की परिभाषा इस प्रकार है - "कुछ सामान्य लक्ष्य को उपलब्ध करने के लिए व्यक्ति - समूह के प्रयासों को दिशा नेतृत्व और नियंत्रण प्रदान करना ही प्रबंधन है।"[3] विलियम ग्यूलेक ने प्रबंधन की सबसे सरल और स्पष्ट परिभाषा दी है - "किसी उपक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मानवीय और भौतिक संसाधनों का दक्षतापूर्व प्रयोग करना प्रबंधन है।"[4]

प्रबंधन की इन सारी परिभाषाओं के आधार पर निम्नांकित तत्व प्रमुख प्रतीत होते हैं।

1. प्रबंधन प्रक्रिया में नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वयन, नियंत्रण आदि का समावेश अनिवार्य है।

2. संगठन के मानवीय प्रयासों को प्रबंधन अनुकूल दिशा, नेतृत्व और प्रेरणा प्रदान करता है।

3. प्रबंधन एक समग्र गतिशील लक्ष्य - प्रेरित प्रक्रिया है।

---

1. सी. कॅनबाय बाल्डरस्टन - मैनेजमेंट ऑफ एन इंटरप्राईज़, 1935 - पृ. 5
2. जेम्स डी. मूने एव एलन सी रेले - आनवर्ड इंडस्ट्री, प्रिंसिपल्स ऑफ ओर्गेनाइज़ेशन, 1931 - पृ. 13
3. विलियम न्यूमेन - एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, 1951 - पृ. 28-29
4. विलियम एफ. ग्यूलेक - मैनेजमेंट, 1980 - पृ. 10

प्रबंधन के मुख्य तत्व

प्रबंधन के मुख्यतः पाँच कार्य हैं। उनमें प्रथम कार्य है नियोजन (Planning)। संगठन में योजना, अर्थात् भविष्य के कार्यक्रम की रूपरेखा इसलिए आवश्यक होती है, ताकि उसमें कार्यरत कर्मचारियों को यह मालूम रहना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। लक्ष्य से अवगत होने पर उपाय तय किए जा सकते हैं। इसप्रकार नियोजन, प्रबंधन की ऐसी एक कसौटी है जिससे प्रबंधन की दूरदर्शिता और विवेकशीलता का पता चलता है।

दूसरा कार्य है संगठन (Organising)। योजना बन जाने के उपरांत आवश्यक साधन, सामग्री और सुविधाओं को जुटाना होता है। सजग प्रबंधक हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि उत्पादन के वे तमाम आवश्यक घटक समय पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें। लक्ष्यों को क्षमता और दक्षता से कार्यान्वित करने के लिए समुचित स्वायत्तता और उत्तरदायित्व इसी संदर्भ में तय किए जाते हैं।

प्रबंधन की प्रक्रिया में समन्वय (co-ordination) भी आवश्यक कार्य है। संगठन के तमाम कार्यों का सिलसिला योजना के अनुरूप बराबर चलते रहने केलिए प्रत्येक विभाग का अन्य दूसरे विभागों से तालमेल रहना अनिवार्य है, इस को ही 'समन्वय' कहते हैं। संगठन में समुचित सूचना और संप्रेषण की प्रणालियाँ समन्वय की आवश्यकता को ध्यान में रखकर स्थापित की जाती है।

प्रबंधन का चौथा कार्य होता है निर्देशन (Direction)। प्रबंधक को निर्देशन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य करने पडते हैं -

1. कर्मचारियों को प्रबंधन की अपेक्षाओं से अवगत कराना
2. उनका यथोचित मार्गदर्शन करना
3. उनकी कार्य संबन्धी समस्याओं को समझना और हल करने का यथासंभव ईमानदारी से प्रयास करना एवं
4. संगठन में स्फूर्तिदायक और उत्साहवर्धक वातावरण तैयार करना।

प्रबंधन को सफल बनाने का पाँचवाँ कार्य है नियंत्रण (Controlling)। नियंत्रण में कर्मचारियों को अपेक्षित लक्ष्यों से अच्छी तरह अवगत कराने के साथ साथ उनके कार्यों के परिणामों का सही-सही आगणन भी किया जाता है। फिर उस परिणाम और लक्ष्यों में आए अंतर का अध्ययन करके उस अंतर के कारणों का पता लगाकर सही कदम उठाना अनिवार्य होता हैं।

प्रबंधन के कई सिद्धांत भी है जो कर्मचारियों का मार्गदर्शन करने के साथ साथ प्रत्येक संगठन में प्रबंधन की रीति और प्रणाली को सुधारने में सहायक भी होते हैं। हिक्स और गुलिट के अनुसार 'सिद्धाँत प्रबंधकीय कार्य को विशिष्ट दिशा में बढ़ने का आदेश देते हैं।"[1] हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के निम्नलिखित चौदह सिद्धाँतों का प्रतिपादन किया है।[2]

---

1. हिक्स एच.जी. एवं गुलिट सी. रे - मैनेजमेंट, 1981 - पृ. 10
2. ये चौदह सिद्धांत एलबिड - अध्याय 4 पर आधारित

1. श्रम विभाजन (Division of Labour) - संगठन के कार्य को उनके गुणों के अनुसार छोटे-छोटे कार्यों में बाँटकर योग्य कर्मचारियों को सौंपने को श्रम विभाजन कहते है।

2. प्राधिकार (Authority) - संगठन में प्रत्येक प्रबंधक को उसके पद और स्तर के योग्य औपचारिक शक्ति प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश देने और उनका पालन करवाने में सर्वथा समर्थ रह सके। फेयोल ने 'औपचारिक' (Formal) और 'अनौपचारिक' (Informal) प्राधिकार के महत्व का उल्लेख किया है और उनके अनुसार 'अनौपचारिक प्राधिकार' अधिक प्रभावकारी सिद्ध होता है जिसमें प्रबंधक स्वयं अपने ज्ञान, अनुभव, विवेक और व्यवहार के बलबूते पर अधीनस्थ कर्मचारियों से कार्यपालन करवाता है।

3. अनुशासन (Discipline) - इस सिद्धांत के अनुसार संगठन के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी पद या स्तर पर कार्य करता हो, संगठन के कार्य और व्यवहार संबन्धी नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए।

4. आदेश की एकरूपता (Unity of Command) - इस सिद्धांत के द्वारा फेयोल यह स्पष्ट करता है कि किसी भी कर्मचारी एक ही समय में केवल एक ही अधिकारी के प्रति जवाबदेह हो सकता है।

5. दिशा की एकरूपता (Unity of Direction) - संगठन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रत्येक कार्य करना उसकी उद्देश्य प्राप्ति के लिए अवश्यक है। अतएव प्रत्येक कार्य पूर्व निश्चित उद्देश्य की दिशा में किए जाने पर ही दिशा की एकरूपता बनी रहती है।

6. स्वहित का उदात्तीकरण (Sublimation of Individual Interest) - संगठन हमेशा व्यक्ति से बडा होता है। इसलिए संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक कर्मचारी को अपने स्वहित का त्याग करना चाहिए।

7. पारिश्रमिक (Remuneration) - इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को उसके कार्य के एवज में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों मिलकर निश्चयी समुचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए।

8. केंद्रीकरण (Centralization) - निर्णय लेने की विधा में कर्मचारियों की भूमिका को कम करते रहना 'केंद्रीकरण' कहलाता है। फेयोल के अनुसार अंतिम रूप से प्रत्येक प्रबंधक ही उत्तरदायी ठहराया जाता है, फिर भी परिस्थितियों के अनुरूप कुछ सीमा तक अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्णय लेने में हिस्सेदार बनाया जाना चाहिए।

9. रेखीय श्रृंखला (Scalar chain) - संगठन में महाप्रबंधक से कनिष्ठ पर्यवेक्षक तक अधिकार-शक्ति एक रेखीय क्रम में वितरित होनी चाहिए। फेयोल ने इस सिद्धांत से यह स्पष्ट किया है कि पद जितना बडा होगा, अधिकार-शक्ति और उत्तरदायित्व भी उतना ही बडा होना चाहिए।

10. व्यवस्था (Order) - संगठन में प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु के लिए सही स्थान होना चाहिए। साथ ही वे हमेशा अपने नियोजित स्थान पर उपलब्ध भी होने चाहिए।

11. समदृष्टि (Equity) - फेयोल का यह सिद्धांत बताता है कि संगठन के प्रत्येक प्रबन्धक की दृष्टि तथा उसका प्रत्यक्ष और परोक्ष व्यवहार सभी कर्मचारियों के प्रति समान, निष्पक्ष और सद्भावपूर्ण होना चाहिए, तभी वह उन्हें कार्य के लिए प्रेरित कर सकने में समर्थ हो सकता है।

12. कर्मचारियों का स्थायित्व (Stability of staff) - संगठन में कर्मचारियों का यथासंभव स्थायित्व बना रहना संगठन को सुचारू रूप में चलाने में सहायक है।

13. पहलशक्ति (Initiative) - भय और आशंका के कारण साधारणतया कर्मचारी किसी काम में पहल करने में हिचकिचाते है। अतएव प्रबंधकों को चाहिए कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को छूट दे ताकि उनमें कार्य के प्रति उत्साह बढ सके। सीमित स्वतंत्रता उन्हें सृजनशील और उत्तरदायी बनाती है।

14. सदाशयता (Esprit de corps) - संगठन के संचालन को सुगम बनाने के लिए संगठन में सदाशयता का वातावरण होना चाहिए। प्रत्येक का खुला व्यवहार, मौखिक वार्त्तालाप आदि से संगठन में सदाशयतापूर्ण वातावरण बनाने का प्रबंधकों का प्रयास होना चाहिए।

हेनरी फेयोल के अलावा जॉर्ज टेरी, ग्यूलिक और अर्विक जैसे विद्वान और अनेक अनुभवी एवं सफल प्रबंधकों ने भी अपने-अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। प्रबन्धन के सिद्धांत लचीले और आवश्यकता के अनुरूप होते हैं। प्रबंधक स्थितियों की अपेक्षाओं के अनुरूप उनका प्रयोग करता है, यही बात महत्वपूर्म है। प्रत्येक संगठन के उद्देश्य के अनुरूप वहाँ के प्रबन्धक को अपने प्रबन्धन कार्य का गठन करना चाहिए। उदाहरणार्थ व्यावसायिक प्रबन्धन और अस्पताल या होटल प्रबन्धन में प्रबन्धक को प्रबन्धन के अलग अलग तरीके अपनाना पडते हैं। तब अपने संगठन के उद्देश्य और परिस्थिति के अनुरूप प्रबन्धन के सिद्धाँतों को अपनाकर संगठन को प्रगति की ओर बढाना वहाँ के प्रबन्धक का दायित्व है।

उपरोक्त संकेतित प्रबंधन के सिद्धांत मूलतः सार्वजनिक उपक्रमों के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है। बैंकिंग क्षेत्र में भी ये सिद्धांत सही सिद्ध हो सकते हैं। राज भाषा का क्षेत्र इससे एकदम अलग है। संगठनों में संगठनात्मक संप्रेषण की बात आती है (Organisational communication) राजभाषा के कार्यान्वयन का संबंध संगठनात्मक संप्रेषण से भी है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि प्रबन्धन में सभी कार्यकलापों को वैज्ञानिक बनाने का उपक्रम अधिक महत्वपूर्ण है जो राजभाषा प्रबन्धन के लिए भी प्रासंगिक है। दूसरा है लक्ष्योन्मुखता। प्रबन्धन तभी-मूल्यवान होगा जब वह लक्ष्योन्मुख हो। राजभाषा प्रबंधन

को अभी तक लक्ष्योन्मुख नहीं माना गया है जिससे उसमें वाँछित प्रगति अभी तक नहीं आ पायी है। ऊपर संकेतित तथ्यों के आधार पर भी राजभाषा के कार्यान्वयन को देखना उचित होगा।

राजभाषा प्रबन्धन

प्रबन्धन शास्त्र के अनुसार संगठन के उद्देश्य ही कर्मचारी वर्ग की गतिविधियों को दिशा निर्देश देते हैं। राजभाषा प्रबन्धन में जो भी कार्य समाहित है प्रबंधकीय दृष्टि से देखते समय उनका अंतिम लक्ष्य यही होना है कि केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों, संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, निगमों, उपक्रमों आदि में लगभग सारा काम मूल रूप से हिंदी भाषा में हो। यह एक संवैधानिक लक्ष्य है। इसकी दशा और दिशा अपेक्षित अवस्था तक पहुँची नहीं है। इसलिए राजभाषा प्रबंधन पर गंभीरता पूर्वक विचार करने का समय आ गया है।

राजभाषा प्रबन्धन में राजभाषा संबंधी कार्य-कलापों की योजना, कार्यान्वयन समन्वयन से लेकर अनुपालन तक की गतिविधि के सम्यक प्रवर्तन अभीष्ट हैं। श्री गोवर्धन ठाकूर ने अपनी पुस्तक 'राजभाषा प्रबन्ध' (1993) में राजभाषा प्रबन्धन की ऐसी व्याख्या दी है - "राजभाषा हिंदी के अभीष्ट प्रयोग के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतू राजभाषा से सम्बद्ध समस्त कार्यव्यापारों का निरूपण, प्रवर्तन एवं पुनर्विलोकन की सुव्यवस्थित प्रक्रिया को राजभाषा प्रबन्ध की संज्ञा दी जा सकती है।"[1] इसके अंतर्गत

---

1. गोवर्धन ठाकूर - राजभाषा प्रबंध, 1993 - पृ. 17

राजभाषा कार्य-कलापों के कुशल संपादन के उद्देश्य से राजभाषा कर्मियों के चयन से लेकर विभागीय प्रशासन, राजभाषा प्रशिक्षण, राजभाषा प्रकाशन, हिंदी अनुवाद, कार्यालयीन मूल लेखन, राजभाषा बैठकों की व्यवस्था, राजभाषा रिपोर्ट, राजभाषा निरीक्षण, राजभाषा संबंधी मंत्रालय, राजभाषा विभाग एवं अन्य संगठनों की बैठकों / आयोजनों में सहयोग / प्रतिनिधित्व आदि समस्त राजभाषा कार्यों के प्रवर्तन, समन्वयन, समीक्षा एवं पुनर्निरूपण के कार्य आ जाते हैं।

राजभाषा प्रबन्धन को चार विभागों में बाँटा जा सकता है।

- राजभाषा कार्मिक प्रबंधन (Official language Personnel Management)
- राजभाषा प्रशासनिक प्रबन्धन (Official language Administrative Management)
- राजभाषा वित्त प्रबन्धन (Official language Financial Management)
- राजभाषा प्रोत्साहन प्रबन्धन (Official language Incentive Management)

राजभाषा कार्मिक प्रबन्धन : राजभाषा प्रबन्धन की सफलता असफलता में राजभाषा कार्मिक प्रबन्धन की अहम भूमिका है। वस्तुतः संगठन में

राजभाषा प्रावधानों को पहल देने के लिए निर्धारित कार्यक्रम के कार्यान्वयन और इस सम्बन्ध में अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समुचित नीति निर्धारण, मानवीय क्रियाओं के निर्देशन तथा तद्जन्य कार्मिक पहलुओं का नियमन-नियंत्रण ही राजभाषा कार्मिक प्रबन्ध है। इसमें संगठन के राजभाषा विभाग के लिए योग्य और कुशल कार्मिकों का चयन सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनकी योग्यता, कुशलता और निष्ठा के अनुसार प्रोन्नति-पदावनति से लेकर पुरस्कार और पदच्युति तक के समस्त कार्य-व्यापार सम्मिलित हैं। राजभाषा कार्मिक प्रबन्धन प्रक्रिया, वह प्रबन्धन प्रक्रिया है जो संगठन के राजभाषा विभाग के लिए कुशल कार्मिकों को चयन करके उनके सहयोग से राजभाषा प्रावधानों के समुचित अनुपालन को प्रोत्साहित करे और इस संदर्भ में संगठन को निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम बना सके।

राजभाषा कार्मिक प्रबन्धन के अंगभूत कार्यों में राजभाषा विभाग की संगठनात्मक संरचना आधारभूत तत्व है। उपक्रमों, बैंकों आदि के राजभाषा विभाग के संगठनात्मक संरचना के वर्तमानतः स्थित स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इसे निम्नांकित रूप में पुनरस्थापित किया जा सकता है।

राजभाषा विभाग : संगठनात्मक संरचना

विभगाध्यक्ष (राजभाषा कार्यान्वयन समिति)

मुख्य राजभाषा प्रबन्धक

उपमुख्य राजभाषा प्रबन्धक

राजभाषा प्रबन्धक

उप-प्रबन्धक (राजभाषा)

वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी

राजभाषा अधिकारी

कनिष्ठ अधिकारी (राजभाषा)	वरिष्ठ अनुवादक	
अनुवादक	वरिष्ठ सहायक	(राजभाषा)
कनिष्ठ अनुवादक	सहायक	(राजभाषा)

यह क्रम सभी कार्यालयों में एक जैसा ही हो, अनिवार्य नहीं है। यही अनिवार्य है कि सब जगह अपना एक क्रम हो।

राजभाषा प्रशासनिक प्रबन्धन : प्रशासन प्रबन्धक का वह क्षेत्र है जिसका सम्बन्ध कार्य-विधियों को निर्धारित करने और उन्हें प्रयोग करने से है जिसके द्वारा क्रियाओं की प्रगति को योजनाओं के अनुसार नियमित एवं नियंत्रित किया जाता है। इसप्रकार राजभाषा प्रशासनिक प्रबन्धन से तात्पर्य राजभाषा प्रबन्धपरक अनुशासन, प्रशासन, सुविधा और नियमन

से संबन्धित कार्यों की योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन से है। इस में मोटे तौर पर देखें तो ऐसे कुछ दायित्व समाहित है जैसे विभागीय प्रशासन, अनुशासन, कार्य-वितरण और अंतःसंरचना एवं सुविधा प्रबन्धन। विभागीय प्रशासन के प्रबन्धन में राजभाषा प्रबन्धक को अपने विभाग के कर्मचारियों के काम संबन्धी सभी कार्यों का हिसाब रखना होता है। इसके अतिरिक्त, राजभाषा संबन्धी सभी आदेशों की कार्यवाही भी विभाग के प्रशासनिक कार्यों के ही अंग है। राजभाषा प्रबन्धक को अपने विभाग के अनुशासन को बनाए रखने की ज़िम्मेदारी भी निभानी है। प्रबन्धन की गतिशीलता के लिए कार्यों का उचित बटवारा तथा उनके संपादन को सुचारू रूप से चलते देखना राजभाषा प्रबन्धक का दायित्व है। राजभाषा अनुशासन के कार्य-संपादन के लिए अनेक अन्तःसंरचना और सुविधाओं की ज़रूरत होती है, जिसकी व्यवस्था भी राजभाषा अधिकारी को खुद ही करनी होती है।

राजभाषा वित्त प्रबंधन - जीवन और उद्योग का कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, वित्त की समुचित व्यवस्था, सार्थक विनियोजन और सफल नियंत्रण के अभाव में वाँछित परिणाम की कल्पना ही निरर्थक है। वस्तुतः वित्तीय पूर्वानुमान के आधार पर ही किसी कार्यक्रम की संपूर्ण योजना की रूपरेखा तैयार की जाती है और इसकी सुलभ प्राप्ति और सार्थक विनियोजन से ही अनुकूल परिणाम की आशा की जा सकती है। राजभाषा कार्यान्वयन को लक्ष्य करके इससे संबन्धित कार्यक्रमों को रूपायित करने में राजभाषा

वित्त प्रबन्धन की अहम् भूमिका है।"[1] राजभाषा वित्त प्रबन्धन से तात्पर्य उन समस्त क्रियाओं से है जो संगठन के राजभाषा प्रावधानों से सम्बंधित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विविध एवं व्यापक राजभाषा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय पूर्वानुमान, वित्तोपार्जन, आबंटन, विनियोजन, नियंत्रण आदि से सम्बद्ध हैं।

राजभाषा प्रोत्साहन प्रबन्धन - प्रोत्साहन से तात्पर्य है किसी व्यक्ति - समूह को किसी उद्देश्य की प्राप्ति के प्रति विशेष रूप से उत्साहित और उत्प्रेरित करना। अतः राजभाषा प्रोत्साहन प्रबन्धन से तात्पर्य है राजभाषा हिंदी के प्रयोग से सम्बन्धित निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर्मचारियों को विशेष रूप से उत्साहित और उत्प्रेरित करना। यह प्रोत्साहन दो प्रकार के होते है -

1) भाषात्मक एवं प्रेरणात्मक प्रोत्साहन

2) वित्तीय प्रोत्साहन

एक में कर्मचारियों को मानसिक तौर पर हिंदी की ओर उन्मुख होने की प्रेरणा देता है तो दूसरे में वित्तीय पुरस्कारों की सहायता से राजभाषा हिंदी के प्रयोग के प्रति कर्मचारियों का झुकाव बढा कर इसके प्रावधानों के अनुपालन की दिशा में आगे ले जाता है।

---

1. गोवर्धन ठाकूर - राजभाषा प्रबंध, 1993 - पृ. 58

राजभाषा प्रबन्धन के क्षेत्र

राजभाषा प्रबन्धन का क्षेत्र कार्यालय के समस्त विभागों के कार्य व्यापारों का क्षेत्र है जहाँ राजभाषा हिंदी का प्रयोग अपेक्षित है। लेकिन वहाँ राजभाषा का प्रयोग मात्र गैर - तकनीकी पत्राचार, टिप्पण और प्रतिवेदन तक सीमित नहीं होना है बल्कि व्यावसायिक, तकनीकी क्षेत्र तथा वैज्ञानिक अनुसंधान एवं अनुप्रयोग के क्षेत्र में भी भाषिक माध्यम के रूप में हिंदी का बेहद प्रयोग होना चाहिए। राजभाषा प्रबन्धन के अन्तर्गत हम निम्नांकित क्षेत्रों के भाषिक प्रबन्धन पर विचार कर सकते हैं।

1. कार्मिक एवं प्रशासनिक (प्रशिक्षण, अनुवाद आदि)

प्रत्येक विभाग में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को पहल देने के लिए समुचित आदेश, परिपत्र आदि जारी करने, प्रगति रिपोर्ट लेने, उनकी समीक्षा करने तथा अपेक्षित परामर्श और उनका अनुपालन पुनरीक्षण आदि कार्यों का संपादन राजभाषा प्रबन्धक का दायित्व हो जाता है। प्रयोग को पहल देने के लिए केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कार्यरत हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का प्रबन्धन करना तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन कर उन्हें हिंदी में अपना कार्यालयीन कार्य सहज ढंग से निपटाने का प्रशिक्षण देना भी राजभाषा प्रबन्धक का दायित्व है। इसके अतिरिक्त जब तक समस्त सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के मूलरूप में प्रयोग नहीं हो

जाता, द्विभाषिकता की स्थिति बनी रहेगी, और इस स्थिति में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत आनेवाले 14 प्रकार के कागज़ातों के अतिरिक्त, लेखन-सामग्रियों, प्रदर्शन सामग्रियों, अनुदेशों, प्रक्रिया साहित्यों, फार्मों, साइन-बोर्डों, नाम-पट्टों आदि छोटे-बड़े अनेक मदों के लिए अंग्रेज़ी से हिंदी रूपांतर तैयार करने की व्यवस्था करना भी आज राजभाषा प्रबन्धन का अनिवार्य अंग है।

2. व्यावसायिक (शिक्षा, व्यापार, उद्योग, वैमानिकी, जहाज़रानी, वित्तीय एवं अन्य सम्बद्ध क्षेत्र)

व्यावसायिक क्षेत्र के भाषिक माध्यम के रूप में राजभाषा हिंदी को प्रतिस्थापित करने के लिए अनेक तकनीकी, गैर-तकनीकी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। इसकेलिए शिक्षा, व्यापार, उद्योग आदि तद् विषयों के साहित्य का हिंदी में सर्जन तथा उक्त विभागों - व्यवसायों से सम्बद्ध कार्मियों को तद् विषयक प्रशिक्षण हिंदी के माध्यम से देने का प्रबन्धन तो करना है। इन विषयों से सम्बन्धित भाषिक कार्य व्यापारों को इलेक्ट्रानिक उपकरणों के माध्यम से निपटाने के लिए द्विभाषी इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर, द्विभाषी पिन प्वाइंट टाइपराइटर, कम्प्यूटर में हिंदी सॉफ्टवेयर तथा द्विभाषी कुंजी-पटल की उपलब्धि तथा उनके प्रयोग का प्रबन्धन आदि भी नितान्त आवश्यक है, और राजभाषा प्रबन्धक को इन मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है।

3. तकनीकी (खनन, इंजीनियरी, चिकित्सा और अनुसंधान आदि)

तकनीकी क्षेत्रों से संबन्धित पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण और मानकीकरण के कार्य लगभग पूरे हो चुके है। लेकिन इन क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी की तद् विषयक शब्दावली के साथ उन्हें अपने विभाग से सम्बद्ध कार्यों को हिंदी के माध्यम से निपटाने के लिए गहन प्रशिक्षण का अभाव है। प्रशिक्षण देने वाले विशेषज्ञों का पता लगा कर संगठन के प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का प्रबन्धन करना वहाँ के राजभाषा प्रबन्धक का दायित्व है। तकनीकी क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन जो विकास हो रहा है, उसके साथ पारिभाषिक शब्दावली का भी नवीनीकरण करना है।

4. विधि और न्याय

विधि और न्याय के क्षेत्र में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को पहल देने के प्रबन्धन के पीछे सक्षम प्राधिकारी यानी विधायिका एवं सरकार के संकल्प मात्र की आवश्यकता है। क्योंकि उक्त क्षेत्रों की शब्दावली बहुत कुछ संस्कृत मूल की है और क्षेत्रीय भाषाओं में भी आम तौर पर समरूप ही है, जहां कहीं अंतर पाया जाए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित शब्दावली को अपनाने के आदेश के साथ ऐसी संस्थाओं में राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है।

उपरोक्त सभी क्षेत्रों में राजभाषा प्रबंधन को प्रवेश पाना है। याने अब भी जो स्थिति है उसमें समग्र परिवर्तन। राजभाषा प्रबंधन का तात्पर्य यह नहीं है कि हर कही हिंदी के उपयोग पर ज़ोर देता रहे। राजभाषा प्रबंधन का उद्देश्य यह है कि हिंदी का ऐसा प्रयोग होता रहे जिससे देश में एक भाषिक संवेदना विकसित हो।

राजभाषा प्रबन्धन में कार्यालयों/संस्थाओं की भूमिका

मार्च 1961 में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और चुने हुए अनुभागों में पहली बार कर्मचारियों को फाइलों पर हिंदी में टिप्पणियाँ लिखने की अनुमति दी गई। सरकार की राजभाषा नीति का अध्ययन करने से यह बात स्ष्ट है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों का अधिकांश काम मूल रूप से हिंदी में होना अपेक्षित है। लेकिन जब तक सभी अधिकारी तथा कर्मचारी हिंदी में भली-भाँति प्रवीण नही हो जाते तब तक अनुवाद की आवश्यकता बनी रहेगी। जब तक हिंदी का प्रयोग अनुवादी रूप से मूल लेखन तक नहीं पहूँचायेगा तब तक राजभाषा का सफल कार्यान्वयन भी नहीं हो पाएगा।

प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा प्रबन्धक का यह दायित्व है कि वहाँ के सभी कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की आवश्यकता को समझाना। उन कर्मचारियों के मन में यह प्रश्न ज़रूर होगा कि अभी

तक प्रयुक्त अंग्रेज़ी के जगह अब हिंदी को क्यों लाई जा रही है? इस संदेहनिवारण में प्रत्येक संस्था की भूमिका है। राजभाषा का कार्यान्वयन किसी एक व्यक्ति का दायित्व नहीं है। यह सही है कि एक राजभाषा प्रबंधक हर कार्यालय में रहता है। राजभाषा कार्यान्वयन उसका दायित्व मात्र नहीं है। अब राजभाषा कार्यान्वयन को राजभाषा प्रबंधन का रूप देना अनिवार्य हो गया है। अतः राजभाषा को प्रबंधकीय दृष्टि से देखना आवश्यक है। वह एक संगठन की संप्रेषण की भाषा है। संगठनात्मक संप्रेषण की भाषा के रूप में उसे स्थापित करना है। इसमें एक व्यक्ति की भूमिका पर्याप्त नहीं है बल्कि पूरी संस्था की भूमिका अनिवार्य हो जाती है।

कार्यालयों में किसी भाषा का कार्यान्वयन सरल कार्य नहीं है। इस कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक कार्यालय में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन होता है। इस समिति में विभागाध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी भाग लेना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इनके अभाव में कोई भी कार्य सुचारू रूप से चल नहीं सकता।

राजभाषा कार्यान्वयन में कार्यरत अधिकारियों को निम्नलिखित दो बातों पर ध्यान देना अनिवार्य है।

1. कार्यान्वयन संबन्धी सभी कार्यों को जनतांत्रिक और पारदर्शी होना चाहिए।
2. कार्यालय के सभी कर्मचारियों का इसमें सहभागिता और सहयोग होना चाहिए।

हिंदी के कार्यान्वयन हेतु गठित राजभाषा समिति की पहली बैठक में हिंदी से संबद्ध अधिकारी को एक सालाना नक्शा (वार्षिक कार्यक्रम) प्रस्तुत करना है जिसका अध्ययन उसे स्वयं करना है तथा उसकी विभिन्न मद्धों को दूसरों को समझाना भी है। इसे बहस का विषय बनाना है और सब के विचारों एवं विमर्शों के अधार पर आदेश ज़ारी किये जाने चाहिए। इसमें कर्मचारियों को हिंदी की प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से लघु अवधि कार्यक्रम, दीर्घ अवधि कार्यक्रम और उनसे जुडी हुई अन्य योजनाओं का प्रस्ताव रखा जाता है। प्रत्येक कार्यालय के कर्मचारियों का हिंदी में ज्ञान एक समान नहीं होगा। इसलिए प्रशिक्षण शुरू करने से पहले कार्यालय के विभिन्न शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उनके हिंदी भाषा में परिज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करके एक आँकडा तैयार करना है। इस आंकडे के आधार पर विभिन्न श्रेणी में आनेवाले कर्मचारियों को उनके पदानुसार विभिन्न स्तर का प्रशिक्षण दिलवाना आवश्यक है। प्रशिक्षण के दौरान मुद्रित सामग्रियों को उपलब्ध कराना राजभाषा अधिकारी का कार्य क्षेत्र है।

कुछ महत्वपूर्ण बातों पर कार्यान्वयन समिति को विचार करना भी चाहिए-

1. क्या सचमुच कार्यालय राजभाषा का प्रयोग गतिशील बनाना चाहता है?

2. कार्यालय की तत्संबंधी कठिनाइयाँ क्या-क्या है?
3. उन समस्याओं का सामना कैसे किया जाए?
4. राजभाषा कार्यान्वयन को यांत्रिकता से कैसे बचाए जाए?

इन मूद्दों पर विचार करने वाले कार्यालयों के उच्चतम अधिकारी है न कि राजभाषा अधिकारी। राजभाषा प्रबंधन में इस तरह की भाषा नीति की स्वीकृति अनिवार्य है। भाषा नीति यदि ढीली पड़ जाए तो राजभाषा प्रबंधन का अपने लक्ष्य तक पहुँचना कठिन है।

तिमाही प्रगति रिपोर्ट

हिंदी संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में नियमित रूप से रखना अपेक्षित है। भारत सरकार के राजभाषा संबंधी आदेशों के कार्यान्वयन की प्रगति देखने के लिए सभी मंत्रालयों और विभागों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट मंगाई जाती है। इस रिपोर्ट द्वारा एकत्रित आंकडों पर आधारित जानकारी मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के समक्ष भी प्रस्तुत की जाती है। उससे उक्त समिति के सदस्यों को मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति का पता चलता है तथा उसके अनुसार वे समिति की बैठकों में अपने सुझाव दे सकते हैं। ऐसे दो-तीन बार तिमाही बैठक में प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने से समिति के सभी सदस्यों को करने का मौका मिलता है कि पिछली तिमाही की तुलना में क्या कुछ प्रगति हुई या नहीं तथा आगे

की प्रगति के लिए क्या उपाय किए जाएं। प्रयत्न यह रहें कि सभी का सहयोग प्राप्त करके उनके कार्यालय में समस्त काम-काज हिंदी में होने की तरफ बढ़े जिससे फिर तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता ही न रहे।

कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति की निगरानी के लिए निरीक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर ऐसा कोई नया नियम लागू नहीं है और उसके अनुपालन पर कोई ध्यान नहीं दे सकता है तो नियम सिर्फ कागज़ों में ही अटका रहेगा। निरीक्षण तो उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है। तभी उसका प्रभाव पड़ सकता है। प्रबंधन में नियमित निरीक्षण की अत्यंत आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की समिति का कोई भी निर्णय नियमित निरीक्षण और परीक्षण के बल पर ही फलप्रद हो सकता है। राजभाषा प्रबंधन में इसका महत्व दुगुना है। यह प्रशासन तथा अन्य क्षेत्रों में भाषिक वैकल्पिकता का सवाल है। इसमें रुचि ही मुख्य नहीं है दृष्टि भी मुख्य है। अतः राजभाषा प्रबंधन में नियमित निरीक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

राजभाषा संबंधी समितियों की बैठकों द्वारा कार्यालय के सभी कर्मचारियों के सहयोग से ही हिंदी के प्रयोग को आगे बढा सकता है। विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी प्राप्त करके उनके प्रचार और उपयोग से अधिकतम व्यक्तियों को हिंदी सीखने तथा हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित भी किया जा सकता है। राजभाषा संकलन में राजभाषा

हिंदी के प्रयोग के मौखिक पक्ष को संरचनात्मक पक्ष में परिवर्तित करना है। पारिभाषिक शब्दावली के अनुप्रयोग के द्वारा गंभीर कार्यालयी कागज़ातों में भी राजभाषा के उपयोग को अमल में लाना अनिवार्य है।

कार्यालयों में जब तक द्विभाषिक स्थिति रहती है तब तक अनुवाद की आवश्यकता बनी रहेगी, इसीलिए सभी विभागों, उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में विभिन्न स्तरों पर हिंदी पदों का सृजन किया गया है। लेकिन धीरे धीरे पत्राचार तथा टिप्पण आदि में हिंदी का प्रयोग अनुवाद के द्वारा करने के सिवाय मूल रूप में करना कार्यान्वयन का अगला चरण है। कर्मचारियों के प्रारंभिक संकोच को दूर करने के लिए सहायक साहित्य का प्रकाशन और वितरण उचित कार्य है। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा तैयार की गयी शब्दावलियों से प्रत्येक विभाग में अधिक प्रयोग में आनेवाले शब्दों को अलग छांटकर एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करना कर्मचारियों के लिए अधिक सहायक हो सकता है। इसके अलावा प्रत्येक कार्यालय के राजभाषा विभाग द्वारा विभागीय पत्रिकाओं का हिंदी में प्रकाशन भी होता है। इसमें सदस्यों की भागीदारी की आवश्यकता है। उसे नीतिगत कार्यान्वयन के रूप में लाना है। इन पत्रिकाओं में कार्यालय के कार्य संबन्धित वस्तुनिष्ठ लेखन, हिंदी में मौलिक लेखन आदि पर ज़ोर दिया जा सकता है। इन पत्रिकाओं के प्रकाशन में याद रखने की बात यह है कि उन पत्रिकाओं के प्रकाशन से वहाँ के कर्मचारियों को सरकारी कामकाज हिंदी में करने की प्रेरणा अवश्य मिले।

सन् 1969, दिसंबर 28 को भारत सरकार के हिंदी सलाहकार की अध्यक्षता में हुई बैठक में हिंदी कार्यशालाओं की स्थापना के लिए योजना बनाई गई। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य था हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखनेवाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों में हिंदी में काम करने के सम्बन्ध में जो झिझक है उसे दूर किया जाए।

प्रशिक्षण कार्यक्रम को यांत्रिक बनने से रोकना राजभाषा प्रबंधन का कार्यक्षेत्र है। प्रशिक्षण को सरलीकृत करने या होने के जितने कारण हो सकते हैं इनकी संभावनाओं पर पहले से ही विचार किया जाना चाहिए। तभी इन संभावनाओं की रोकथाम की जा सकती है। प्रशिक्षण अक्सर यांत्रिक हो जाते हैं। मुख्य कारण यह है कि प्रशिक्षक और शिक्षार्थी इसमें कम दिलचस्पी रखनेवाले होते हैं। राजभाषा प्रबंधन में प्रत्येक कार्य को उसकी अर्हता के अनुसार गंभीर बनाने की आवश्यकता है। निम्नांकित बातों पर ज़ोर दिया जा सकता है-

क) शिक्षार्थी की भागीदारी

ख) शिक्षार्थी भावनाओं का निरीक्षण

ग) शिक्षार्थी की प्रतिक्रियाएँ

घ) प्रशिक्षण के स्वरूप और विकास में क्या-क्या परिवर्तन आवश्यक है?

ङ) प्रशिक्षक की योग्यता

च) प्रशिक्षक की सामग्री की जाँच

छ) प्रशिक्षक की संप्रेषण क्षमता

ज) आदान-प्रदान की स्थिति

झ) परीक्षा की आवश्यकता पर टिप्पणी

ञ) अगंभीर स्थितियों का निषेध

राजभाषा अधिकारी

राजभाषा प्रबंधन में इसके संयोजक का समन्वयक भूमिका का महत्व है। राजभाषा अधिकारी राजभाषा प्रबंधन का समन्वयक है।

राजभाषा अधिकारी को सरकार की राजभाषा नीति, सांविधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम की विभिन्न धाराओं, उपधाराओं, राजभाषा नियमों और राजभाषा संबंधी आदेशों का गहन अध्ययन करके उनका पूर्ण ज्ञान हासिल करना चाहिए ताकि उक्त प्रावधानों के विषय में कार्यालय के उच्चाधिकारियों को वह समय-समय पर अवगत करा सकता है। उसे कार्यालय की गतिविधियों के बारे में भी जागरूक रहना चाहिए। अगर कभी राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन होता दिखे, तो तुरन्त संबद्ध अधिकारियों को सूचित करके उसे न केवल उस समय दूर करना चाहिए बल्कि यह भी उसे सुनिश्चित करना है कि आगे इस प्रकार के उल्लंघन की पुनरावृत्ति नहीं होगी और पुनरावृत्ति होती है तो उसे उच्चतर अधिकारियों तथा प्रशासनिक प्रमुख को सूचित करना है।

राजभाषा अधिकारी का कार्यक्षेत्र भाषा का है। इसलिए उसे हिंदी और अंग्रेज़ी के साथ यथावश्यक प्रादेशिक भाषा का भी अच्छा ज्ञान होना ज़रूरी है। एक प्रबन्धक होने के नाते उसे अपनी बात और अपने तर्क से दूसरे अधिकारियों व कर्मचारियों को सही ढंग से अवगत कराने की क्षमता भी रखनी चाहिए।

राजभाषा अधिकारी को राजभाषा प्रबंधन के समस्त कार्यकलापों के समन्वयक की भूमिका में रहने की स्थिति के रहते उसे विशेष प्रबंधकीय प्रशिक्षण का प्रावधान होना चाहिए। उससे दो लाभ हो सकते हैं-

1. राजभाषा अधिकारी को प्रबंधन में दक्ष होना है।

2. राजभाषा प्रबंधन एक स्वीकृत विषय हो जाता है।

सरकार के गृहमंत्रालय के अंतर्गत जो राजभाषा विभाग है उसे इस दिशा में कार्य करना चाहिए ताकि समय-समय पर राजभाषा प्रबंधन का क्षेत्र पर्याप्त गतिशील हो जाए।

राजभाषा के मामले में नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता रखना तथा लीक से हटकर राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में कुछ नया करने का प्रयास आदि राजभाषा अधिकारी की शक्ति ही समझी जाती है। हिंदी में काम करने वालों की स्वयं प्रशंसा करने के साथ-साथ कार्यालय के उच्चाधिकारियों द्वारा भी उनकी प्रशंसा करवाना, कार्यालय के उपयोग के लिए कुछ सहायक साहित्य तैयार करना, हिंदी में कंप्यूटर के उपयोग

को बढ़ावा देना आदि भी राजभाषा अधिकारी को अपने कार्यालय में बहुमान्य बनाने वाले कार्य हैं। वह न केवल अपनी शक्तियों और कमज़ोरियों को पहचानें बल्कि यह भी नितान्त आवश्यक है कि वह अपनी शक्तियों को और भी सुदृढ करें तथा कमज़ोरियों को दूर करके उन्हें भी अपनी शक्तियों में परिवर्तित करें।

संवैधानिक प्रावधानों के कार्यान्वयन की समस्यायें

60 साल पहले अंग्रेज़ हमें आज़ाद छोडकर चले गये। लेकिन अंग्रेज़ी भाषा अब भी हमारी गुलामी मानसिकता का निशान बनकर यहाँ विराजमान है। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री गुंडार मिंडल ने 'एशियन ड्रामा' में लिखा है कि जब तक भारतीय संसद में अंग्रेज़ी का व्यवहार होता रहेगा तब तक वह देश अपने को आज़ाद नहीं कह सकता।[1] तभी हमें सोचना पडेगा कि हम आज़ाद कब होंगे?

संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रावधान है तो उसके कार्यान्वयन में अभी कौन सी समस्या रह गयी है? कारण ढूँढते समय हम अंत में संविधान में ही आ पहूँचते हैं। संविधान के भाग 17, अनुच्छेद-343 के खण्ड (2) और खण्ड (3) में ऐसा लिखा है कि संविधान के प्रारम्भ से 15 वर्ष की अवधि तक शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा और उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात, भी विधि द्वारा अंग्रेज़ी के प्रयोग का उपबंध कर सकेगी।

इसप्रकार संविधान में 'हिंदी व अंग्रेज़ी' को समान महत्ता प्रदान की गयी है। हिंदी के प्रति संविधान की इस दोहरी नीति का यह परिणाम है कि अंग्रेज़ी का खुलकर प्रयोग प्रशासनिक कार्य प्रणाली में अब भी होता है और हिंदी मात्र हिंदी दिवस और या समारोहों के बीच सम्मान का पात्र रह गयी है। राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की समस्याओं में सबसे प्रमुख समस्या भी यही है कि संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाना केवल सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया गया है किन्तु इसको अमल में लाने के संदर्भ कोई ठोस संकेत नहीं है। इस अनिश्चित स्थिति ने अंग्रेज़ी के लिए सभी रास्ते खोल दिये हैं।

कार्यालयों में कुछ अधिकारियों का मत यह है कि हिंदी अब भी विकसित भाषा नहीं है, इसमें पर्याप्त शब्दावली नहीं है और इसमें विभिन्न विषयों के विचार यथार्थ रूप में तथा प्रभावी ढंग से व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए मुख्य काम काज हिन्दी में असंभव है।

आज भी अधिकांश अधिकारी वर्ग अंग्रेज़ी के प्रयोग को ही अपनी योग्यता का प्रदर्शन मानते हैं। वे लोग सोचते हैं कि हिंदी अपनाने से विभाग की कार्यकुशलता का स्तर गिर सकता है और कार्य करने का समय भी अधिक हो सकता है। तकनीकी तथा वैज्ञानिक प्रकृति का काम तनिक भी हिंदी से नहीं चल सकताा। कानूनी मामलों में हिंदी के प्रयोग को असंभव माना गया है।

इस प्रकार की कई गलत धारणाएँ हैं विभिन्न स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मन को अपनी गिरफ्त में रखी हुई हैं। इसलिए जब-जब सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढाने की बात आती है तो उसे गम्भीरता से नहीं लिया जाता और यह समझा जाता है कि वर्तमान स्थिति में परिवर्तन आने की विशेष सम्भावना नहीं है। जो भी है, फलस्वरूप यह हुआ कि संविधान के नियमों, अधिनियमों, आदेशों में सबके होते हुए भी भारत की राजभाषा अंग्रेज़ी ही रह गयी और हिंदी तो कागज़ों में राजभाषा बनकर औपचारिकता की पूर्ति कर रही है।

समस्याओं का प्रबन्धकीय समाधान

राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन को सफल बनाने के लिए सबसे बडी आवश्यकता इस बात की है कि राजभाषा के रूप में केवल हिंदी को महत्व प्रदान किया जाए तथा उसके समानान्तर अंग्रेज़ी की महत्ता को समाप्त किया जाए। लेकिन साथ में यह भी सुनिश्चित करना है कि सरकारी कामकाज में इस्तेमाल की जानेवाली हिंदी सरल और सुबोध हो, जटिल और बोझिल नहीं क्योंकि अधिकांश अहिंदी भाषा-भाषी सरकारी कर्मचारी हिंदी में बोलने, लिखने या काम करने में इसलिए झिझकते हैं कि कहीं उनसे गलती न हो जाए। इसलिए सामान्य बोलचाल, बातचीत और कामकाज में प्रचलित शब्दों को भी राजभाषा के शब्दकोश में समाविष्ट करना चाहिए। सरकार द्वारा यह बात भी कई बार स्पष्ट की गई है और इस विषय में लिखित आदेश भी जारी हुए हैं कि अन्य भाषाओं के जो

प्रचलित शब्द हिंदी में रच पच गए हैं, उन्हें उसी रूप में अपना लेने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इसप्रकार सरकार ने यह बात भी स्पष्ट व्यक्त की है कि कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग के लिए सिर्फ हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान रखना ही काफी है।

राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने तथा प्रबन्धकीय स्तर पर इसके विश्लेषण करने से इनका समाधान असंभव नहीं है। नीचे कुछ समस्याओं तथा उनके समाधान के उल्लेख किया गया है।

समस्या	समाधान
1. राजभाषा हिंदी की स्वीकृति कार्यालयों में संदिग्ध है।	सरकार को चाहिए कि एक उच्च समिति द्वारा राजभाषा की स्वीकृति और अब की उसकी स्थिति का अध्ययन किया जाए।
2. अधिकारीगण हिंदी को बढ़ावा नहीं देते।	अनेक अधिकारियों को हिंदी की संवैधानिक स्थिति और संसद द्वारा सरकार को सौंपी गई जिम्मेदारी की जनकारी नहीं है। राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति को उन्हें समझाना चाहिए।

समस्या	समाधान
	अभी तो देखने में आता है कि हिंदी में कामकाज की गति नीचे से ऊपर की ओर है, जबकि होना चाहिए कि वह ऊपर से नीचे की ओर आए।
3. अधिकारी और कर्मचारी हिंदी में काम करने में झिझकते हैं।	उनकी यह गलतफहमी है कि बोलने की हिंदी और लिखने की हिंदी एक दूसरे से अलग है। मुख्यतः 'क' क्षेत्रों के अधिकारीगण बातचीत में हिंदी का प्रयोग करते हैं और पत्र आदि में अंग्रेज़ी का। अगर उन्हें ये अवगत किया जाए कि कार्यालयी विषय में बातचीत में प्रयुक्त हिंदी का प्रयोग पत्र में उपयोग करें और अन्य भाषाओं के शब्द जो हिंदी बोलचाल में प्रयुक्त है, उनका ज्यों का त्यों प्रयोग देवनागरी लिपि में हिंदी पत्र आदि में भी किया जाए।

समस्या	समाधान
4. अधिकारियों तथा कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने का अभ्यास नहीं है।	नियमित प्रशिक्षण और उसके प्रति गंभीरता ही एक मात्र उपाय है। मुख्य कार्य के साथ हिन्दी को जोड़ा जाना चाहिए।
5. कार्यालय के काम में हिंदी के प्रयोग को बढावा देने के लिए सहायक साहित्य की कमी है।	जो साहित्य अन्यत्र उपलब्ध है, उसे प्राप्त करना तथा अपने विभाग के विषयानुसार अपना साहित्य भी तैयार किया जाए।
6. विभाग की नियम पुस्तकों, कोड़ों तथा मैनुअलों के अभी हिंदी अनुवाद उपलब्ध नहीं है।	इन सब को कार्यालय के लिए उपलब्ध कराने की बात को प्रकार्यात्मकता के साथ देखा जाए।
7. हिंदी के कामों के लिए पदों की कमी।	काम की आवश्यकता का सही अनुमान लगाकर उसके अनुसार पदों के सृजन की कार्रवाई की जाए।
8. प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग की कमी है।	उसके लिए अलग प्रशिक्षण रीति को अपनाया जाना है।

समस्या	समाधान
9. अंग्रेज़ी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद काम में स्वाभाविक कठिनाइयाँ है।	विशेष प्रशिक्षण पद्धति अपनाई जाए।
10. राजभाषा के रूप में हिंदी की स्थिति अब भी अनुवाद की है और सरकारी कार्यों का जो हिंदी में अनुवाद रूप मिलता है, वह कृत्रिम और शुष्क है।	सरकारी कार्यों के अनुवाद में एक तरह की कृत्रिमता होती है। शुष्क होने का तर्क अपने आप में शुष्क है। क्या अंग्रेज़ी सामग्री शुष्क नहीं है। हमें सिर्फ यह देखना है कि सामग्री संप्रेषित होती या नहीं है।

प्रबंधकीय परिप्रेक्ष्य में संभवतः राजभाषा कार्यान्वयन को अभी तक देखा नहीं गया है। अब सामान्य रूप से राजभाषा कार्यान्वयन की यह रीति चल रही है -

- भारतीय संविधान में राजभाषा के अलग-अलग प्रावधान संकेतित हैं।
- गृहमंत्रालय के राजभाषा विभाग के कई आदेश और उनका अनुपालन के काम चल रहे हैं।
- पचहत्तर प्रतिशत सरकारी कार्यालयों में हिंदी के पदों पर अधिकारी से लेकर अनुवाद तक के लोग कार्यरत हैं।
- राजभाषा के कार्यान्वयन के कई प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं।

इतने पर भी सारांशतः यह ज़ोर देकर बताना पड़ रहा है कि राजभाषा का कार्यान्वयन प्रीतिप्रद नहीं है।

जैसे उपरोक्त संकेतित हैं राजभाषा कार्यान्वयन को राजभाषा प्रबंधन की दृष्टि से देखा नहीं गया है। अब समय आ गया है कि कार्यान्वयन को प्रबंधन की दृष्टि से देखा जाए।

क) अतिरिक्त दक्षता की अपेक्षा है।

ख) कार्यान्वयन में एकरूपता अनिवार्य है।

ग) मंत्रालयों की हिंदी सलाहकार समितियों की अब की रीति में परिवर्तन अपेक्षित है।

घ) कार्यान्वयन में गति लाने की आवश्यकता है।

ङ) राजभाषा प्रबंधन को नए पाठ्यक्रम के रूप में स्वीकृति दी जानी चाहिए।

च) प्रबंधन संस्थाओं की सहायता से राजभाषा प्रबंधन को नई छवि प्रदान करनी है।

छ) सरकार को अपनी भाषागत नीति में परिवर्तन लाना अनिवार्य है।

ज) संसदीय राजभाषा समितियों की जाँच की रीति में परिवर्तन अपेक्षित है।

झ) उच्च अधिकारियों के लिए राजभाषा प्रबंधन में नियमित प्रशिक्षण अनिवार्य है।

ञ) अन्य भारतीय भाषाओं के लिए हिंदी प्रदेशों में वरीयता मिलनी चाहिए।

ट) राजभाषा कार्यान्वयन की समस्त रीतियों को नए ज़िरे से पुनविश्लेषित कर नया रूप प्रदान किया जाए।

ये प्रबंधकीय दृष्टि पर आधारित कुछ सुझाव हैं। और भी हो सकते हैं। उन पर समय सीमा के अंतर्गत विचार-विमर्श अनिवार्य है और राजभाषा कार्यान्वयन को नए पथ पर लाना भी अनिवार्य है।

अध्याय - तीन

कार्यालयों का वैविध्य और राजभाषा प्रबन्धन की समस्यायें

विभिन्न प्रकार के कार्यालय

कार्यालयों के वैविध्य, उनके कार्यकलापों के वैविध्य, प्रत्येक कार्यालय की परिकल्पना और सृजन के उद्देश्य, कार्यालयों के कार्यक्षेत्र, अधिकार, कर्मचारियों की संख्या, नियुक्ति संबंधी नियम, अधिकार श्रेणी (hierarchy) मंत्रालयों के अधीन कार्यरत कार्यालय, बोर्ड, शोध-संस्थान आदि बातें सहज ही कही जाएँगी। इन सभी प्रकार के कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम के अनुसार राजभाषा नीति अपनाई गई है और उसका कार्यान्वयन चल रहा है। कार्यालयों के अपने-अपने स्वभाव, उद्देश्य, आकार-प्रकार में अंतर के अनुरूप हिन्दी कार्यान्वयन में भी अंतर दिखाई पड़ते हैं। यह स्थिति राजभाषा प्रबंधन में बाधक है। राजभाषा के प्रबंधन के संदर्भ में यह एक मामूली बात नहीं है।

सरकारी कार्यालय

सरकारी कार्यालयों में मंत्रालयों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के स्वतंत्र दफ्तर और स्वतंत्र विभाग भी आते हैं। ऐसे कुछ सरकारी कार्यालयों तथा मंत्रालय विभागों की सूची नीचे दी जा रही है।

❖ स्वतंत्र दफ्तर

- केन्द्रीय जांच अनुभाग
- केन्द्रीय सूचना आयोग
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग
- भारत के नियंत्रक - महालेखा परिक्षक
- राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
- राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग
- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
- तेरहवाँ वित्त आयोग

❖ केन्द्र सरकार (मंत्रालय)

केन्द्र सरकार के 48 मंत्रालय हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार है -

- कृषि मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

- संस्कृति मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- विधि और न्याय मंत्रालय
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
- संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- पर्यवरण एवं वन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मंत्रालय
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
- भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
- आवास और शहरी गरीबी उपशासन मंत्रालय
- श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
- सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
- खान मंत्रालय

- पंचायती राज मंत्रालय
- संसदीय कर्म मंत्रालय
- कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- विद्युत मंत्रालय
- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- पोर्त, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
- वस्त्र मंत्रालय
- जनजातीय कार्य मंत्रालय
- जनसंसाधन मंत्रालय
- युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय आदि।

इन मंत्रालयों के अधीन कई विभाग, संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय, स्वशासित संस्थान, बोर्ड, आयोग, परिषद, सचिवालय तथा संयुक्त उपक्रम भी कार्यरत हैं।

सार्वजनिक उपक्रम

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीनस्थ होते हैं। केन्द्र सरकार के अधीन आनेवाले कुछ संयुक्त उपक्रमों की सूची नीचे दी जा रही है-

- दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड

- सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड

- एस.बि.ऐ. जीवन बीमा निगम लिमिटेड

- मद्रास उर्वरक लिमिटेड

कुछ सार्वजनिक उपक्रमों का नियंत्रक राज्य सरकार है। इनके कुछ उदाहरण है -

- आन्ध्रप्रदेश प्रौद्योगिकी विकास एवं प्रोत्साहन केन्द्र

- गुजरात नर्मदावाली फेर्टिलैज़ेर्ज़ कंपनी लिमिटेड

- सूचना प्रोद्योगिकी केन्द्र, चेन्नै

- सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड

कुछ उपक्रम ऐसे भी हैं जिन्हें केन्द्र तथा राज्य सरकार संयुक्त रूप से चलाती हैं जैसे-

- इंडियन मेडिकल फार्मस्यूटिकल कोरपोरेशन लिमिटेड

- नाशनल ईंस्टिट्यूट आफ स्मार्ट गवेणमेंट

- उत्तर-पूर्व वित्त विकास आयोग

- सिंगरेनी कोल्लेरीस कंपनी लिमिटेड

शोध संस्थान

सरकारी कार्यालयों के कार्यकलापों की तुलना में शोध संस्थानों के काम कुछ अलग से है। वहाँ का मुख्य काम जिस विषय पर शोध आवश्यक है उसीसे संबन्धित है।

शोध संस्थानों के अंतर्गत वैज्ञानिक निकाय, विज्ञान केन्द्र, अनुसंधान संस्थान एवं प्रयोगशालाएँ आदि आ जाते हैं।

❖ वैज्ञानिक निकाय

- नारियल विकास बोर्ड

- भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी

- विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान परिषद

- प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद

- ❖ विज्ञान केन्द्र
    - भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केन्द्र
    - कृषि विज्ञान केन्द्र
    - राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र
    - पूर्वी क्षेत्र जल प्रौद्योगिकी केन्द्र
- ❖ अनुसंधान संस्थान / प्रयोगशाला
    - अघारकर अनुसंधान संस्थान
    - भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
    - केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान
    - प्रगत संगणन विकास केन्द्र
    - वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधन परिषद
    - अनुसंधान अधिकल्प और मानक संगठन
    - भौतिकी संस्थान
    - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्
    - भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान
    - भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन

- इंदिरागाँधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र

- केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला

- केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान शाला

- केन्द्रीय मात्स्यकी प्रौद्योगिकी संस्थान

- केन्द्रीय समुद्री मात्स्यकी शोध संस्थान

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

- भारी पानी बोर्ड

इनके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान, केन्द्रीय विश्वविद्यालय आदि भी हैं।

बैंक

सामान्य सरकारी कार्यालयों से भिन्न है बैंकिंग का क्षेत्र। भारत के सभी राष्ट्रीयकृत बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के अधीनस्थ हैं। बैंकिंग क्षेत्र के कुछ उदाहरण -

❖ भारतीय स्टेट बैंक

- हैदराबाद स्टेट बैंक

- भारतीय स्टेट बैंक

- त्रावणकोर स्टेट बैंक

❖ राष्ट्रीयकृत बैंक

- इलाहाबाद बैंक

- आँध्रा बैंक

- बैंक आँफ बडौदा

- कैनरा बैंक

- युको बैंक

- विजया बैंक

इस प्रकार उन्नीस बैंक इसके अंतर्गत आ जाते है।

❖ सहकारी, कृषि संबन्धी और ग्रामीण बैंक

- बिहार स्टेट सहकारी बैंक लिमिटेड

- कृषि आसूत्रण और सूचना बैंक

- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक आदि

इनके अलावा कई वित्तीय संस्थायें भी है जो बैंकिंग क्षेत्र में ही आ जाती है जैसे

- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

- राजस्थान वित्त निगम

❖ बीमा कम्पनियाँ

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम

- भारतीय साधारण बीमा निगम

- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

- भारतीय जीवन बीमा निगम

❖ प्रतिभूतियों और विनिमय

- देशीय स्टोक विनिमय

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

रिजर्व बैंक के अधीन के राष्ट्रीय बैंक से लेकर कैलिफोर्णिया तथा कैनडा में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखायें और विश्व बैंक तक भारत के बैंकिंग क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत है।

बोर्ड

बोर्ड दो प्रकार के होते हैं। एक वह है जो मंत्रालय, सहकारी, शोध संस्थान आदि के अधीन आ जाते हैं जैसे काँफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड,

स्पाईसेस बोर्ड, चाय बोर्ड, टुबाको बोर्ड (सब वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (सहकारी), नारियल विकास बोर्ड (शोध संस्थान) आदि। दूसरे वह है जो शैक्षणिक संस्थानों को सूचित करता है। जैसे

- राष्ट्रीय परीक्षा भवन
- नवोदया विद्यालय समिति
- प्रौद्योगिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान
- केन्द्रीय विद्यालय संगठन

इनके अलावा राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पारिभाषिक शब्दावली आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय जैसे कई परिषद, आयोग और निदेशालय आदि भी हैं।

सहकारी

इसमें भी केन्द्र तथा राज्य-दोनों प्रकार के कार्यालय आ जाते हैं। उनका परिचय इस प्रकार है -

❖ केन्द्र सहकारी

- कृषक भारती सहकारी
- भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित

- भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ

- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

❖ राज्य सहकारी

- मध्यप्रदेश राज्य सरकारी आवास संघ मर्यादित

- महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्यादित

- उत्तरप्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड

- गिरिजन सहकारी निगम

- जयपूर डेरी आदि

इनके अलावा विभिन्न राज्यों में स्थित सहकारी विभाग तथा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड आदि भी सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं।

भारत जैसे विशाल देश में इस तरह के असंख्य कार्यालयों का होना, जैसे कहा जा चुका है, सहज और स्वाभाविक है। पूरी सूची नहीं दी गई है। कुछ उदाहरण मात्र दिए गये हैं। सभी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन के हेतु हिंदी अनुभाग कार्यरत है। कही कहीं हिन्दी अनुभाग नहीं भी है। इन कार्यालयों में हिंदी संबंधित काम समान नहीं है।

राजभाषा कार्यान्वयन के सन्दर्भ में संस्थाओं में समानता का अभाव

प्रशासनिक स्तर के काम को छोडकर भारत सरकार के अधीन कार्यरत विभिन्न प्रकार के कार्यालयों में कोई समानता नहीं है। एक बॉर्ड और शोध संस्थान में, एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय और सरकारी कार्यालय में बड़ा भारी अंतर है। उनके अपने-अपने कार्य क्षेत्र होते हैं। लेकिन राजभाषा के मामले में कार्यालय के स्वभाव के अनुरूप असमान होना हानिकारक है।

केन्द्र सरकार के मंत्रालय, संबंद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, स्वतंत्र विभागों आदि में कार्यान्वयन मुख्य रूप से राजभाषा अधिनियम 1963 के धारा 3 (3) के अंतर्गत आनेवाले दस्तावेज़ें के अनुवाद के रूप में हो रहे है। इसप्रकार केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा निकाले जानेवाले सभी संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनायों, प्रशासनिक या अन्य प्रेस विज्ञप्तियाँ, परिपत्र आदि द्विभाषिक रूप से तैयार किए जाते हैं। साथ ही पत्र-व्यवहार में मूल लेखन ही हिन्दी में करने का प्रयास भी हो रहे हैं। हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दे रहे है। वार्षिक रिपोर्ट, गज़ट में दी जा रही सूचनायें, संसदीय प्रश्नों का उत्तर आदि भी द्विभाषिक रूप से तैयार किये जाते हैं। इनके अलावा मंत्रालय विशिष्ट विषय संबन्धी तकनीकी पुस्तक भी मूल रूप से हिन्दी में लिखने के लिए पुरस्कार योजना का

प्रावधान भी है। अतः सरकारी कार्यालय तथा मंत्रालयों में राजभाषा कार्यान्वयन का क्षेत्र मुख्य रूप से प्रशासनिक है।

राजभाषा कार्यान्वयन का प्रशासन तक सीमित होना और अनुवाद की समस्याओं में सिमट पाना प्रीतिपद नहीं है।

सार्वजनिक उपक्रमों में भी राजभाषा का कार्यान्वयन प्रशासन तक ही सीमित है। उदाहरण के तौर पर एच.एम.टी जैसे सार्वजनिक उपक्रम में आज मशीन टूलों के निर्माण के साथ-साथ किसानों के लिए ट्रैक्टर का उत्पादन हो रहा है। आम जनता के लिए घाड़ियाँ, बल्ब, छपाई की मशीनें इत्यादि के उत्पादन भी हो रहे हैं। उत्पादित मालों को जनता तक पहूँचाने के लिए जनता की भाषा अपनाना अधिक संगत है। तभी राजभाषा कार्यान्वयन का क्षेत्र अधिक विस्तृत बन सकता है। उत्पादन के साथ-साथ समान महत्व रखनेवाला तत्व है विपणन। कंपनी द्वारा उत्पादित विभिन्न मालों के संबन्ध में विवरण, कीमत सूची तथा विवरणिका, कार्य-संचालन मैनुअल एवं पुस्तिकाएँ आदि हिन्दी में छपवा जाना उन उत्पाद्यों के साधारण उपभोक्ताओं के लिए अधिक सहायक सिद्ध होगा। इसके साथ साथ उत्पादित मालों पर कंपनी का नाम एवं अन्य विवरण द्विभाषी रूप से दिए जा सकते हैं। विपणन की मांग बढाने में विज्ञापन का बहुत बडा हाथ है। लेकिन सार्वजनिक उपक्रमों के उत्पाद्यों के विपणन के लिए राजभाषा हिन्दी का कहाँ तक उपयोग हो रहा है, इस में संदेह है।

सार्वजनिक उपक्रमों के समान बैंक भी एक ऐसा सरकारी विभाग है जिसका सीधा संपर्क बडे पैमाने पर जनसाधारण से है। इसलिए यह स्वभाविक ही था कि बैंकों का कार्य जनसाधारण की भाषा में हो। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3.3 के अनुसार बैंकों द्वारा जारी किए जानेवाले विभिन्न कार्य, करार, रसीदें, रजिस्टर, लेज़र आदि से लेकर सभी दस्तावेज़ें को द्विभाषिक रूप में तैयार करना होता है। इसके अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों के सामान्य आदेशों, नियमों, संकल्पों, अधिसूचनाओं, करारों, अनुज्ञा-पत्रों, निविदा फार्मों सभी द्विभाषिक रूप से तैयार करना पडता है। वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग के अधीन हो रहे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की विभिन्न बैठकों द्वारा बैंकों के आंतरिक कामकाज में भी हिन्दी का प्रयोग करने के कई निर्णय लिये गए हैं। इसके अनुसार चेक / ड्राफ्ट जारी करने में, पास बुक, रजिस्टरों / बहियों, पियन पुक आदि में प्रविष्ट करने में भी हिन्दी का प्रयोग करने का निर्णय कुछ शर्तों के आधार पर लिया गया है। साथ ही तृतीय / चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की फाइलों / सेवा पंजिका में तथा अन्य फाइलों में प्रविष्ट करने के साथ-साथ फाइल पर शीर्षक / विषय, छुट्टी का आवेदन जैसे आवेदन पत्रों का भरना, टिप्पणियों लिखना, लिफाफों पर पता लिखना, विभिन्न बैठकों, सम्मेलनों आदि की कार्यसूची, कार्यविवरण, रिपोर्ट आदि तैयार करना, निमंत्रण पत्र, शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र आदि में भी

अंग्रेज़ी के साथ राजभाषा हिन्दी का प्रयोग हो रहा है। अतः ऐसा ही प्रतीत होगा कि बैंकों में राजभाषा का सही मात्रा में कार्यान्वयन चल रहा है। लेकिन बैंक का पूरा वातावरण अंग्रेज़ियत से भरा है। इसका प्रमुख कारण है कि राजभाषा का कागज़ी होना। प्रशासन के एक अनुभाग की तरह हिंदी अनुभाग तो कार्यरत है। लकिन बैंकिंक नीतियों में उनके व्यवहार में राजभाषा का प्रवेश अभी नहीं हुआ है।

अन्य कार्यालयों की तुलना में शोध संस्थानों में राजभाषा कार्यान्वयन साधारण कार्यालयी पत्र व्यवहार, अनुवाद आदि से मुक्त होकर अलग रास्ते अपनाए हुए हैं। केवल प्रशासनिक स्तर के कार्यों तक सीमित न करके हिन्दी का शोध संबन्धी विषयों में भी प्रयोग कराना राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में हुई सजगता का मापदंड है। शोध के गंभीर विषयों को हिन्दी में प्रस्तुत करने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पडती है। अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाने की संभावना है। शोध संबन्धी कार्यों के प्रपत्र तैयार करने में हिन्दी में मौलिक लेखन की शुरुआत करने में राजभाषा की भूमिका अहम होती जा रही है। प्रत्येक विषय पर कोश ग्रन्थ उपलब्ध कराना, उच्च अधिकारी एवं अन्य वैज्ञानिकों को पारिभाषिक शब्दावली से परिचित कराना आदि से शोध संस्थान इस दिशा में काफी आगे है।

आज हम यह देख रहे हैं कि सार्वजनिक उपक्रम और एक सामान्य कार्यालय में पर्याप्त अंतर है। राजभाषा के कार्यान्वयन पर

इसका असर अधिक पड़ता है। पहले के यहाँ राजभाषा कार्यान्वयन उत्सवधर्मी है तो दूसरे के यहाँ नाम मात्र के लिए है। राजभाषा की नीति संवैधानिक है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन कार्यालयों की विविधता सबसे पहले राजभाषा पर कुल्हाडी मारती है। इसमें एकरूपता लाने को लेकर राजभाषा से संबंधित कोई भी समिति गंभीर नहीं है। इसलिए राजभाषा कार्यान्वयन अनजाने ढंग से चलता है। राजभाषा प्रबंधन की दृष्टि से देखें तो कार्यालयों का वैविध्य सबसे अधिक बाधक सिद्ध होता है। अतः राजभाषा कार्यान्वयन में समानता की आवश्यकता है चाहे वह बडा उपक्रम हो या छोटा कार्यालय।

राजभाषा कार्यान्वयन और बजट प्रावधान में असमानता

राजभाषा कार्यक्रमों को समुचित ढंग से संचालित करने के लिए प्रत्येक संगठन में राजभाषा बजट का प्रावधान किया जाना अनिवार्य है। राजभाषा कार्यकलापों की अनिवार्यता तथा संगठन की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए बजट प्रावधान तो किया जाना चाहिए।

कुल बजट का आबंटन करते समय सिर्फ यह देखा जाना चाहिए कि राजभाषा कार्यान्वयन को नगण्य न समझा जाए और न अनदेखा किया जाए। यहाँ भी कोई स्वीकृत मापदंड नहीं है। बजट के अंतर्गत विचार किये जाने योग्य क्षेत्र हैं

- प्रशिक्षण
- प्रसार कार्यक्रम
- उच्च अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण तथा उसकेलिए यात्रा-व्यय
- प्रकाशन
- भाषा विनिमय के लिए प्रयोगशाला
- संगठनात्मक संप्रेषण पर विचार विमर्श
- कंप्यूटीकरण
- सोफ्टवेयर की उपयोग की अनिवार्यता

संप्रति सभी कार्यालय राजभाषा कार्यशालाएँ चलाते हैं और उसके लाभ तो होते ही हैं। राजभाषा प्रबंधन की दृष्टि से देखते समय इन कार्यशालाओं का कोई वांछित लाभ नहीं है। अतः प्रशिक्षण के रंग-ढंग को परिवर्तित करने का समय आ गया है। जब तक उसके लिए आवश्यक बजट प्रावधान नहीं है तो प्रशिक्षण के बारे में सोचना फिसूल है। अब की असमानता के कारण सब से अधिक नगण्य समझा जाने वाला कार्यक्रम राजभाषा कार्यान्वयन का है। इसमें परिवर्तन अनिवार्य है। उपरोक्त सूचित सभी कार्यकलापों के लिए सभी कार्यालयों में बजट का पर्याप्त प्रावधान होनी चाहिए। बजट में कसौटी सिर्फ

कर्मचारियों की संख्या के कारण है। पचास सदस्यों वाले एक कार्यालय में और हज़ार सदस्योंवाले कार्यालय में अंतर है। बजट की राशी घटती-बढ़ती रह सकती है। लेकिन सभी कार्यकलापों के लिए बजट प्रावधान अनिवार्य है।

बैंकों के वेबसाइट

कंप्यूटीकरण को उदाहरण के रूप में लें तो पता चलेगा बहुत कम कार्यालयों ही उसकी वास्तविक सुविधा का लाभ उठाया गया है। यदि समानता हो तो इस तरह की भिन्नता नहीं हो सकती है।

क्रम सं	बैंक का नाम	वेब साइट	वेब साईट में राजभाषा हिन्दी का विशेष प्रयोग
1.	भारतीय रिज़र्व बैंक	द्विभाषिक	ऑन लाइन बैंकिंग शब्दावली (अंग्रेज़ी-हिन्दी)
2.	स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर और जयपुर	द्विभाषिक	-
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	”	-
4.	भारतीय स्टेट बैंक	”	-
5.	स्टेट बैंक ऑफ इंदोर	”	-
6.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावनकोर	”	-

क्रम सं	बैंक का नाम	वेब साइट	वेब साईट में राजभाषा हिन्दी का विशेष प्रयोग
7.	इलाहाबाद बैंक	"	-
8.	आंध्रा बैंक	"	-
9.	बैंक ऑफ बडौदा	"	-
10.	कनेरा बैंक	"	-
11.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	"	साईट के मुख पृष्ठ में ही राजभाषा विभाग के अलग एक पृष्ठ का लिंक दिया गया है
12.	कोर्पोरेशन बैंक	"	हिन्दी साईट में राजभाषा संबन्धी समाचारों को न्यूज़ फ्लैश (News flash) के रूप में दिया गया है
13.	देना बैंक	"	-
14.	इंडियन बैंक	"	-
15.	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	"	-
16.	पंजाब एण्ड सिंघ बैंक	द्विभाषिक	-
17.	पंजाब नैशनल बेंक	"	-
18.	सिंडिकेट बैंक	"	-

क्रम सं	बैंक का नाम	वेब साइट	वेब साईट में राजभाषा हिन्दी का विशेष प्रयोग
19.	यूको बैंक	"	-
20.	यूनाइटेट बैंक ऑफ इंडिया	"	हिन्दी साइट में हिन्दी में उपलब्ध बैंकिंग साहित्य का लिंक दिया गया है।
21.	विजया बैंक	"	-
22.	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	"	-
23.	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	"	-
24.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	"	-
25.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	"	-
26.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	"	मुख पृष्ट में ही राजभाषा का लिंक देने के साथ-साथ राजभाषा कार्य-विधियाँ भी साईट में उपलब्ध कराया है।

क्रम सं	बैंक का नाम	वेब साइट	वेब साईट में राजभाषा हिन्दी का विशेष प्रयोग
27.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	"	-
28.	भारतीय जीवन बीमा निगम	"	-
29.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड	"	-
30.	विश्व बैंक	"	-

यह सूची अधूरी है। और भी कई वित्तीय संस्थायें हैं जिन्होंने अपने वेबसाइट को द्विभाषिक बना दिया है। इससे पता चलता है कि बैंकिंग क्षेत्र में राजभाषा हिन्दी कार्यान्वयन के विशेष महत्व को समझकर इसके लिए बड़ी राशी लगा रही है।

बैंकों की तुलना में बॉर्डों, शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति कुछ अलग है। नीचे दी गई सूची देखिए-

बॉर्डों का वेबसाइट

क्रम.सं	नाम	वेबसाइट	वेब साइट में राजभाषा हिन्दी का विशेष प्रयोग
1.	नवोदया विद्यालय समिति	द्विभाषिक	-
2.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी पारिभाषिक शब्दावली आयोग	"	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबन्धी पारिभाषिक शब्दावली (हिन्दी) उपलब्ध है
3.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय	"	राजभाषा हिन्दी का कार्यान्वयन ही उद्देश्य है

शैक्षणिक संस्थानों तथा बॉर्डों में राजभाषा हिन्दी का कार्यान्वयन प्रशासनिक तथा किसी हद तक अकादमिक कार्यों तक सीमित है। बजट प्रावधान की अपर्याप्तता इसका एक कारण है।

बॉर्ड के समान सरकारी उपक्रमों में भी वेबसाइटों में हिन्दी की प्रविष्टि इने-गिने संगठनों के वेबसाइटों में हुई है। इसकी तुलना में शोध संस्थानों की स्थिति अच्छी है।

द्विभाषिक वेबसाइटवाली शोध संस्थायें

1. नारियल विकास बोर्ड
2. भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी

3. प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद्
4. भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केन्द्र
5. भाषा, परमाणु अनुसंधान केन्द्र
6. केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान
7. केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान
8. केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला
9. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
10. भारी पानी बोर्ड
11. भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन
12. इंदिरागाँधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र
13. जवहरलाल नेहरू उन्नत अनुसंधान केन्द्र
14. राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी
15. अनुसंधान अधिकल्प और मानक संगठन
16. सत्येन्द्र नाथ बसु राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केन्द्र
17. परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र
18. भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण आदि।

लगभग सारे मंत्रालयों के वेबसाइटों का हिन्दी संस्करण भी उपलब्ध है। पर्यवरण एवं वन मंत्रालय, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय,

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, खान मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय आदि ने अपने राजभाषा कार्यान्वयन संबन्धी कार्यकलापों का विवरण भी वेबसाइट में डाला है। लेकिन वह द्विभाषिक रूप में डाला होता तो ज्यादा उचित लगता।

अपर्याप्त बजट प्रावधान के कारण राजभाषा कार्यान्वयन, बिना बन्दूक का सिपाही (लाठी पुलिस) का जैसा है। वित्तोपार्जन के समान वित्त का समुचित विनियोग भी राजभाषा का सफल कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य तत्व है।

राजभाषा के प्रयोग को सुगम बनाने, हिन्दी की जानकारी बढ़ाने हेतु हिंदी पुस्तकें खरीदने की योजना बनाई गई है। लेकिन पुस्तक खरीद के विवरण को देखें तो पता चलेगा यहाँ की असमानता अधिक प्रकट है। कुछ उदाहरण इस प्रकार है-

क्रम. सं.	कार्यालय	बजट वर्ष	हिन्दी पुस्तकों पर व्यय का प्रतिशत
1.	नैशनल इनफॉमाटिक सेंटर, लोघी रोड, नई दिल्ली	2001-02	0.4%
2.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली	2002-03	0%
3.	राष्ट्रीय जन सहयोग & बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली	2002-0	18%

क्रम. सं.	कार्यालय	बजट वर्ष	हिन्दी पुस्तकों पर व्यय का प्रतिशत
4.	केन्द्रीय अगमार्क प्रयोगशाला, नागपुर	2002-03	11%
5.	भारतीय फिल्म दूरदर्शन संस्थान, पूणे	2002-03	8%
6.	भारतीय रेल लोकनिर्माण संस्थान, पूणे	2002-03	0.6%
7.	भारतीय रसायनी प्रयोगसाला, पूणै	2002-03	1.18%
8.	मुख्य इंजिनियर & प्रशासनिक के कार्यालय, आंदमान, लक्षद्वीप, पोर्ट ब्लेर	2003-04	37%
9.	मरैन इंजिनीयरिंग तथा शोध संस्थान, कोलकत्ता	2003-04	40%

इस सूची से पता चलता है कि केवल शोध तथा वैज्ञानिक संस्थान ही नहीं, शैक्षणिक संस्थान भी राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं।

संसदीय राजभाषा समिति की प्रश्नावली में हर कार्यालय से साधन-संपन्न होने को लेकर प्रश्न शामिल किये गए है। इसलिए समिति के आगमन के बाद कुछ सामग्रियाँ खरीदी जाती हैं। इसमें कोई प्रबंधकीय क्षमता नही है। प्रत्येक कार्यालय के पास राजभाषा के समुचित प्रयोग के लिए अपनी कार्यविधि होनी चाहिए। वह कार्यविधि सिर्फ राजभाषा अधिकारी की अकल की उपज नही होनी चाहिए। वह एक सहभागी नीति के तहत होना उपेक्षित है। उसके अनुसार बजट में तब्दीली भी आवश्यक है।

प्रबंधकीय दृष्टि से विश्लेषण करते समय यह कहना पड रहा है कि जिस कार्य को अगंभीर समझा जाएगा उसका वांछित लक्ष्य तक पहुँचना कठिन है। जो कार्य व्यक्ति के माध्यम कराए जाने की पद्धति जब अपनायी जाती है वह दीर्घ जीवी नहीं होती जबकि सहभागी तौर पर परिकल्पित पद्धतियाँ दीर्घजीवी होती हैं। राजभाषा कार्यान्वय को दीर्घजीवी होना है तो उसे गंभीर होना है और सहभागी तौर पर पुष्ट करना है।

अध्याय - चार

राजभाषा प्रबन्धन : प्रौद्योगिकी की भूमिका

भूमिका

समूचे विश्व में सूचना क्रांति का विस्फोट हो रहा है। जीवन के हर एक पहलू को गतिशील और सूक्ष्म बनाने में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रबंधन के क्षेत्र में भी प्रौद्योगिकी की भूमिका का महत्व है।

आधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास में कंप्यूटर का आविष्कार एक युगांतकारी घटना है। राजभाषा प्रबन्धन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर के उपयोग ने बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है। पहले तो ऐसी एक शिकायत भी थी कि कंप्यूटर की भाषा अंग्रेज़ी है। इसलिए कंप्यूटर से संबन्धित कामों में राजभाषा हिन्दी का कार्यान्वयन संभव नहीं है। वस्तुतः कंप्यूटर मात्र एक उपकरण है। इसकी अपनी एक स्वतंत्र गणितीय भाषा है और उसी में यह हमारी भाषाओं को ग्रहण करके अपने सारे कार्य करता है। अर्थात कंप्यूटर के लिए भाषाई फर्क कोई समस्या नहीं है।

भारत में 1971-72 में आई.आई.टी. कानपुर में एक बहुत सरल कुंजीपटल और उसकी प्रणाली तैयार की गयी, जिसे सभी भारतीय भाषाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। फिर द्विभाषी

कंप्यूटर 'सिद्धार्थ' का निर्माण टैक्नोलॉजी संस्थान, पिलानी और डी.सी.एस. ने मिलकर किया। सन् 1985 में भारत सरकार के उपक्रम सी.एम.सी लिमिटेड ने 'लिपि' नामक बहुभाषी शब्द संसाधक का विकास किया, जिसके द्वारा हिन्दी, अंग्रेज़ी और किसी अन्य भारतीय भाषा में शब्द संसाधन का कार्य किया जा सकता था।

आज पर्सनल कंप्यूटर के आ जाने के बाद स्थिति में बहुत अधिक बदलाव आ गया। आज अधिकांश कंपनियों के द्विभाषी / त्रिभाषी शब्द संसाधन पैकेज बाज़ार में उपलब्ध हैं। इनमें प्रमुख है - सॉफ्टेक कंपनी का 'अक्षर', टाटा कन्सल्टैंसी सर्विस का 'शब्दमाला', हिन्दीट्रोन का 'आलेख', सनाटा का 'मल्टीवर्ड', क्लास का 'सुलेख', एस.आर.जी का 'शब्दरत्न' आदि। शब्द संसाधन वस्तुतः टंकण कार्य का आधुनिक स्वरूप है। कंप्यूटर आधारित शब्द संसाधक की सहायता से संशोधन, परिवर्तन के अलावा हज़ारों पृष्ठों की सामग्री स्मृति कोश में संगृहीत की जा सकती है, साथ-साथ आवश्यकता पडने पर उसे स्क्रीन पर लाकर संशोधित, परिवर्तित और परिवर्धित भी किया जा सकता है। अभी शब्द संसाधन का कार्य लगभग सभी सरकारी कार्यालयों में किया जाने लगा है।

कुछ कार्यालयों में कर्मचारियों का काम जटिल नहीं होता है। जैसाकि रेलवे, एवियेशन आदि में यात्रियों के टिकट, आरक्षण तालिकाओं की छपाई आदि से संबन्धित कामों में राजभाषा का प्रयोग सिर्फ नामों

को लिखने में करना पडता है। लिप्यंतरण के विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से यह सारा कार्य किया जा रहा है। राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर विकास केंद्र, बंबई द्वारा एयर इंडिया के लिए विदेशी नामों को रोमन से हिन्दी में लिप्यंतरित करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर का विकास किया जा रहा है।

राजभाषा कार्यान्वयन में कर्मचारियों की सबसे प्रमुख समस्या भाषा की ही है। जिनको हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान नहीं है, उन्हें राजभाषा के रूप में मूलरूप से हिन्दी का प्रयोग करते समय पारिभाषिक शब्दावली का द्विभाषी कोश कंप्यूटर में उपलब्ध हो तो काम बहुत आसान होगा। उस कोश को समय समय पर नवीनतम भी बनाना चाहिए। वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग ने टाटा कन्सल्टैंसी सर्विसेज़ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर की मदद से ऐसा एक कोश बनाने का श्रम शुरू किया है।

मूलरूप में हिन्दी का प्रयोग करने में असमर्थ कर्मचारियों को मशीनी या कंप्यूटर साधित अनुवाद का सहारा लेने का अवसर भी आज मिल रहा है। इस दिशा में सर्वप्रथम भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर में अंग्रेज़ी से हिन्दी में सरल पाठ सीमित शब्दावली में अनुवाद का सफल प्रयोग किया गया है। राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर विकास केंद्र बंबई में अंग्रेज़ी से हिंदी में जटिल से जटिल वाक्यों को रूपांतरित करने की एक परियोजना आरंभ की गई है।

आज 'ई-लर्निंग' के ज़रिए हिन्दी भाषा शिक्षण का भी प्रावधान है। 'लीला-हिन्दी प्रबोध' (सी.डी) जो सी-डेक पूर्ण की सहायता से तैयार करवाया गया है। 'लीला' (LILA) वस्तुतः 'लर्न इंडियन लैंग्वेजज़ थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' का ही एक्रोनिम है। इसकी सहायता से कर्मचारी और अधिकारी कंप्यूटर की सहायता से प्रबोध स्तर तक की हिन्दी सीख सकते हैं। ऐसे ही और भी कई सोफ्टवेयर होते है जिस के ज़रिए हमें कंप्यूटर द्वारा हिन्दी का शिक्षण मिलता है।

हिन्दी की मुद्रण कला को आधुनिक बनाने के लिए 'डेस्क टॉप प्रकाशन' (DTP) प्रणाली को हिन्दी में लाना नितांत आवश्यक था। आरंभ में यह सुविधा सिर्फ रोमन में ही उपलब्ध थी। किन्तु अब 'इंडिका' 'इजम' और 'सुलेजर' आदि पैकेज भी बाज़ार में उपलब्ध हैं। ये पैकेज 'पेजमेकर' और 'विंडोज' के अलावा कोरल ड्रा जैसे पैकेजों में भी हिंदी में कार्य करने की सुविधा प्राप्त है।

प्रौद्योगिकी का विकास हमें यहाँ तक ले आया कि आज पी.सी (Personal Computer) आधारित टेलेक्स प्रणाली का भी आविष्कार हुआ है। कंप्यूटर पर टेलेक्स कार्ड लगाकर संदेशों का आदान-प्रदान करने की इस सुविधा को हिन्दी में सुलभ करने के लिए टाटा बाइट, सीएमसी, एचसीएल आदि अनेक कंपनियों ने द्विभाषी उपकरण विकसित किए हैं। इसके अलावा 'सुलिपि' नामक सॉफ्टेवेयर पर आधारित एक इंटरफेस को आरके रिसर्च कंप्यूटर फाउंडेशन ने विकसित किया है,

जिसकी सहायता से किसी भी कंप्यूटर पर हिन्दी में संदेशों का आदान प्रदान किया जा सकता है।

फिल्मों के उपशीर्षक हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में लिखने के लिए लिप्स (LIPS) नाम से प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी का विकास सी डैक, पूर्ण के जिस्ट ग्रुप द्वारा किया गया था। इसी प्रौद्योगिकी के दूसरे चरण के रूप में वीडियो वर्क्स के कार्य को भी हिन्दी में प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर का विकास किया जा रहा है। उसकी सहायता से रेलवे आरक्षण, गाड़ियों के आवागमन, हवाई जहाज़ों के आगमन - प्रस्थान आदि से संबन्धित सूचनायें टी.वी मॉनिटर के ज़रिए हिंदी में भी प्रदर्शित की जा सकेंगी।

कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी कार्यान्वयन को सफल बनाने के लिए हमें यह तय करना चाहिए कि जो भी सुविधाएँ प्रौद्योगिकी के ज़रिए आज अंग्रेज़ी में उपलब्ध हो, वे आज हिन्दी में भी उपलब्ध हैं। इसी क्षेत्र में इलक्ट्रॉनिक विभाग, भारत सरकार द्वारा गठित 'भाषा प्रौद्योगिकी मिशन' की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इस मिशन के कार्यों ने सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी में काम-काज निपटाने में प्रगतिशीलता लायी है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि प्रौद्योगिकी ने राजभाषा की प्रगति के क्षेत्र में तेज़ गति प्रदान करने के साथ साथ हमें याद दिलाया है कि भाषा के कार्यान्वयन में समयानुकूल ज़रूरतों के अनुसार प्रगति भी आवश्यक है। सूचना प्रौद्योगिकी के

विकास के साथ संचार प्रणालियों में जो परिवर्तन आया है उससे राजभाषा हिन्दी का क्षेत्र प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से बहुत प्रभावित हुआ है।

राजभाषा प्रबन्धन का प्रौद्योगिकी के साथ संबन्ध

राजभाषा कार्यान्वयन की बड़ी समस्या भाषा की स्वीकृति और उसके उपयोग की है। इस समस्या पर निरंतर बहस करते रहने से कोई फायदा नहीं है। इसमें गति लाने की ज़रूरत है, प्रगति की आवश्यकता है। इसमें समग्र परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे राजभाषा कार्यान्वयन का कार्य सक्षम बन सके। राजभाषा प्रबंधन के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि अन्यथा भी प्रौद्योगिकी का आगमन राजभाषा के क्षेत्र में है। अब प्रश्न यही है कि इसका सदुपयोग और लक्ष्योन्मुख उपयोग कैसे हो?

इसके लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है।

1) आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से राजभाषेतर क्षेत्रों में क्या प्रगति हुई है, इसका लेखा-जोखा लेना अनिवार्य है। तदनुसार इसका राजभाषा के प्रकरण में विचार करना अनिवार्य है।
2) प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण सब के लिए अत्यंत आवश्यक है।
3) राजभाषा के क्षेत्र में जहाँ-जहाँ, जो-जो प्रौद्योगिकी उपयुक्त है उसमें प्रशिक्षण दिलानेवाली संस्थाओं के साथ प्रत्येक कार्यालय को जोडना चाहिए।

4) प्रत्येक कार्यालय के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

5) राजभाषा अधिकारी की भूमिका प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्था और अपनी संस्था के बीच में सेतु बनाने तक सीमित होनी चाहिए।

6) प्रत्येक संस्था के प्रत्येक सदस्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे एक उपयोगी, गतिशील प्रशिक्षण प्राप्त हो गया है जिसका वह राजभाषा कार्यान्वयन में प्रयोग कर सकता है।

7) इसके प्रबन्धन का भी उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

8) राजभाषा कार्यान्वयन को प्रथमतः प्रबन्धन के साथ जोड़ना और उसके बाद उसे अनुबद्ध प्रौद्योगिकियों के साथ जोड़ना है। राजभाषा कार्यान्वयन का जो पारंपरिक स्वरूप है, उसमें समग्र परिवर्तन अनिवार्य है।

सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका

आज हम भूमंडलीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में हो रहे विकास दूरी और समय की सीमाओं को मिटा रहे हैं और पूरी दुनिया को एक छत के नीचे ला रहे हैं। 20 वीं सदी विज्ञान की सदी थी तो 21 वीं सदी सूचना प्रौद्योगिकी की है। सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब है सूचना को एकत्रित और संसाधित कर उसके संप्रेषण की प्रौद्योगिकी को विकसित करना। सूचना प्रौद्योगिकी के दो आधार हैं -

1. प्रिंट मीडिया।

2. इलैक्ट्रॉनिक मीडिया।

सूचना प्रौद्योगिकी पारंपरिक अवस्था को समग्रतः परिवर्तित करने वाली प्रौद्योगिकी है जो उत्पादों को बहुत ही कम समय में व्यापक रूप में प्रचलित बना देती है। आज कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी दोनों एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं और इन दोनों का किसी भाषा को व्यापकता प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान भी है। अखबार, पत्र-पत्रिकाएँ, रेडियो, कंप्यूटर, टीवी, टेलीफोन, फैक्स, ई-मेल, इंटरनेट आदि सभी का भाषा के साथ गहरा संबंध है। इन सारी चीज़ों को जीवन से अलग करके सोचना आज असंभव हो गया है। इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी की इन मीडियाओं में जिस भाषा में ज्यादातर उपयोग होता है, वह सामान्यतः अन्य भाषाओं से ज्यादा प्रबल हो जाती है। कंप्यूटर और अन्य मीडियाओं का आविष्कार पश्चिमी देशों में होने से उन सबकी भाषा पहले तो सिर्फ अंग्रेज़ी ही थी। लेकिन आज 60 से भी अधिक भाषाओं का कंप्यूटर पर प्रयोग हो रहा है।

हिन्दी को आज अंग्रेज़ी की तरह सर्वमान्य स्वीकृति मिली है तो उसे अंग्रेज़ी की तरह प्रौद्योगिकी की भाषा बननी चाहिए। इसके लिए भाषा के मानकीकरण की सबसे अधिक आवश्यकता है। भाषा विकास के लिए मानकीकरण एक अनिवार्य शर्त है। प्रौद्योगिकी के

विकास के साथ-साथ हिन्दी भाषा का भी एक मानकीकृत एवं सरल रूप का विकास होना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसप्रकार प्रौद्योगिकी के विकास से भाषा के रूप में भी गुणात्मक परिवर्तन आ जाना सराहनीय है।

वास्तव में हिन्दी भाषा और सूचना प्रौद्योगिकी एक दूसरे के विकास में मदद कर रही है। हिन्दी न जाननेवालों को हिन्दी का परिचय देना तथा उन्हें प्रशिक्षण देना और हिन्दी की ओर आकर्षित करने में हिन्दी सोफ्टवेयर, इंटरनेट, दूरदर्शन, सिनेमा, रेडियो आदि मदद करते हैं तो अंग्रेज़ी न जाननेवाले साधारण जनता तक प्रौद्योगिकी के नए आयामों को पहूँचाने में जनता की भाषा हिन्दी भी मदद करती है।

राजभाषा हिन्दी का कार्यान्वयन तो होना है सरकारी कार्यालयों में। लेकिन शुरुआत होनी चाहिए जनता के मन में। सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण सिर्फ कार्यालयों में ही नहीं, उसके बाहर भी मिलना चाहिए। हिन्दी अखबार, विज्ञापन, इन सबसे उन्हें हिन्दी का परिचय मिलता है। सामान्यतः हर जगह हिन्दी का एक माहौल बनाने में भी सूचना प्रौद्योगिकी अहम भूमिका निभाती है।

प्रिंट मीडिया

भूमंडलीकरण के इस युग में नए नए बाज़ार तलाशे जा रहे हैं। व्यवसाय का मतलब सिर्फ अपने सामान का ज्यादातर बिक जाने

से है, भाषा से नहीं। जब अंग्रेज़ी भाषा के प्रयोग से माल नहीं बिक पाता है तो विवश होकर देश के अधिकांश लोगों की भाषा हिन्दी का सहारा लेना पडता था। अंग्रेज़ी के अनेक प्रमुख दैनिकों का अपने हिंदी संस्करण निकालना इसका स्वतः प्रमाण है। हिन्दुस्तान नवभारत टाइमस, जनसत्ता, ट्रिब्यून, आउट लुक, इंडिया टुडे, आदि आजकल हिन्दी में भारी मात्रा में प्रकाशित होते हैं। भारतीय प्रेस 2002 की सूचना के अनुसार भारत में सबसे अधिक समाचार पत्र हिन्दी में प्रकाशित होते हैं। दैनिक समाचार पत्रों की संख्या और परिचालन संख्या की दृष्टि से भी हिन्दी का स्थान सबसे ऊपर है। हिंदी की पत्र-पत्रिकाएँ भारत के अनेक राज्यों के साथ-साथ विदेशों से भी निकल रही है जैसे अमेरिका की 'स्पैन' और ब्रिटिश उच्च आयोग द्वारा प्रकाशित 'ब्रिटिश समीक्षा' आदि।

वर्तमान संदर्भ में विज्ञापन एक सशक्त व्यवसाय है। विज्ञापन का उद्देश्य होता है उपभोक्ताओं को आकर्षित करना। जनसंचार एवं विज्ञापनों में प्रयुक्त होनेवाली भाषा व्यापारिक और सामाजिक कार्यों को जनमानस तक पहूँचाने हेतु सक्रिय रहती है और इसी कारण इस क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोजनीयता और भी विकसित होने की संभावनाएँ भी है। हिन्दी का बाज़ार विस्तृत है और वे हिन्दी के लिए शुभ लक्षण भी है। आज सभी चीज़ों के विज्ञापनों में और साबुन के 'कवर' से लेकर बडी बड़ी गाड़ियों की सहायक पुस्तिका तक में हिन्दी का प्रयोग देखने को मिलता है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

सूचना प्रौद्योगिकी की इलेक्ट्रॉनिक मीड़िया में सबसे जनप्रिय दूरदर्शन भी आज हिन्दी को राष्ट्रीय धारा में लाने की दिशा में बहुत आगे आ चुका है। दूरदर्शन अहिन्दी भाषी लोगों को हिन्दी की ओर आकर्षित करता है और लोग हिन्दी पढने समझने की ओर उन्मुख भी हो जाते हैं। केवल मनोरंजन कार्यक्रम ही नहीं, अपितु असंख्य ज्ञानप्रद कार्यक्रम भी हिंदी के माध्यम से संप्रेषित होते हैं। स्टार प्लस, स्टार न्यूज़, सोनी, डिस्कवरी, एनिमल वर्ल्ड आदि तमाम चैनलों के कार्यक्रम पहले सिर्फ अंग्रेज़ी में अवतारित हुए थे, अभी विवश होकर अपने श्रोताओं की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से हिंदी में अवतरित करना शुरू किया है। बी.बी सी ने भी हिन्दी में समाचार देना शुरू किया है। वास्तव में आज दूरदर्शन जनसम्पर्क के विषय में शक्तिशाली माध्यम है और उस अवस्था को पाने का वास्तविक श्रेय हिन्दी को देना है।

वर्तमान युग में रेडियो मनोरंजन के साथ-साथ जनता को जाग्रत करने का शक्तशाली माध्यम है। अपनी सर्वव्यापकता, तथा अपनी बेजोड़ विश्वसनीयता के कारण सामूहिक परिवर्तन में भी रेडियो एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भाषा के प्रचार प्रसार में तथा उसको जन-साधारण तक पहुँचाने की दिशा में आकाशवाणी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

राजभाषा हिन्दी रेडियो का एक सशक्त माध्यम बनी रहती है। वस्तुतः हिन्दी ही आकाशवाणी के द्वारा 'बहुजन-हिताय, बहुजन सुखाय' के लक्ष्य को चरितार्थ कर रही है। हिन्दी और आकाशवाणी दोनों एक दूसरे की सहायता से प्रबल होते जा रहे हैं। संपर्क भाषा एवं राजभाषा के रूप में हिन्दी के उत्तरोत्तर विकास के लिए आकाशवाणी अनेक कार्यक्रमों का प्रसारण करती है। राजभाषा हिन्दी के अखिल भारतीय स्वरूप के निर्माण में आकाशवाणी से प्रसारित समाचार-बुलेटिन का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। रसायन, भौतिकी, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न विज्ञानों के लिए अंग्रेज़ी में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, उनकी पारिभाषिक शब्दावलियों को आकाशवाणी ने अपने समाचार-बुलेटिनों तथा अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से प्रसारित करने का स्तुत्य प्रयास लिया है। राजभाषा हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावलियों को जन साधारण तथा अहिन्दी भाषियों के निकट पहूँचाने से सांविधिक, वैज्ञानिक तथा अन्य प्रशासनिक क्षेत्रों में पत्राचार के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर सकने में उन्हें सहायता मिल जाती है। प्रशासनिक कर्मचारियों को इस तरह के प्रसारण से बडा लाभ हुआ है।

राजभाषा हिन्दी को जनता की भाषा के रूप में विकसित करने तथा अहिन्दीभाषी प्रांतों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए आकाशवाणी ने 18 दिसंबर 1949 से हिन्दी-शिक्षण कार्यक्रम का प्रारंभ किया। दूतावास तथा कार्यालयों के हिन्दी न जाननेवाले कर्मचारियों

के लिए अंग्रेज़ी माध्यम से प्रस्तुत ये पाठमालाएँ बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई। अब आकाशवाणी के 28 केन्द्रों से हिन्दी पाठ का प्रसारण होता है।

हिन्दी के प्रचार-प्रसार में सबसे महत्वपूर्म योगदान सन् 1959 में शुरू की गई विविध भारती का रहा है। उसके सभी कार्यक्रमों की माध्यम हिन्दी है। 1978 में लिए गए सर्वे के अनुसार हिन्दी भाषी प्रांतों की तुलना में अहिन्दी भाषी प्रांतों में हिन्दी में प्रसारित विविध भारती कार्यक्रमों का प्रचार व्यादा है। प्रशासनिक वैज्ञानिक एवं पारिभाषिक शब्दावली के विकास के लिए और उसके प्रचार-प्रसार के लिए आकाशवाणी तरह-तरह के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

आज कंप्यूटर और इंटरनेट सूचना प्रौद्योगिकी का दूसरा नाम बन चुका है। ई-मेल का आगमन तो संदेश भेजने के क्षेत्र में एक क्रांती लाया है। राजभाषा प्रबन्धन के क्षेत्र में भी सूचना प्रौद्योगिकी के ये सशक्त माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इतने पर भी, हिन्दी भाषा के विश्व में गौरवपूर्ण स्थान दिलवाने में हम कंप्यूटर के क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाए हैं। कार्यालयों में हिन्दी में काम करने के इच्छुक अधिकारी और कर्मचरियों की समस्या यह है कि कंप्यूटर पर जिस सरलता, दक्षता और शीघ्रता से अंग्रेज़ी में काम किया जा सकता है, वह सुविधा हिन्दी में गति और स्तरीयता के संदर्भ में उपलब्ध नहीं है।

राजभाषा विभाग ने इस समस्या का हल ढूँढते हुए तथा सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ हिन्दी प्रयोगकर्ता तक पहूँचाने की दिशा में कार्य करना शुरू किया। इस प्रयास के अंतर्गत सी-डेक पूणे के माध्यम से भाषा प्रयोग उपकरण नामक परियोजना को लागू किया गया है। इस परियोजना के फलस्वरूप अब सरलता व निपुणता से हिन्दी में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए कई सोफ्टवेयर उपलब्ध हैं। हिन्दी सीखने के लिए, अंग्रेज़ी दस्तावेज़ों को हिन्दी में अनुवाद करने के लिए सोफ्टवेयर राजभाषा विभाग ने विकसित कराया है। इन सोफ्टवेयरों से एक हद तक समस्याओं का हल संभव है।

सूचना प्रौद्योगिकी के अन्य माध्यमों की तुलना में राजभाषा प्रबन्धन को सबसे ज्यादा मदद मिलने की संभावना कंप्यूटर और इंटरनेट से है। इंटरनेट पर अब हिन्दी अपनी शैशवावस्ता में है। लेकिन वह दिन दूर नहीं है जब हमें अंग्रेज़ी के बराबर हिन्दी की जानकारी इंटरनेट से मिलेगी। ई-मेल की भूमिका भी अभी राजभाषा के क्षेत्र में कम महत्वपूर्ण नहीं है। पलक झपकते ही कम खर्च में दुनिया के किसी भी कोने में संदेश भेजने की यह सुविधा आज हिन्दी पत्राचार का विकल्प है। हिन्दी सोफ्टवेयर और कंप्यूटिंग संबन्धी विस्तृत जानकारी विश्लेषणीय है।

प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से राजभाषा कार्यान्वयन में अनुमानित परिवर्तन

निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण के इस दौर में हिन्दी के सामने अत्यंत कठिन चुनौती है। सन् 1949 में जब राजभाषा हिन्दी को संविधान में स्वीकृति मिली थी, तब से लेकर 60 वर्ष बाद प्रौद्योगिकी में बहुत सारे विकास हो चुके हैं। किसी भी भाषा को सशक्त और प्रयोजनीय बनाने के लिए उसे संस्कृति के साथ जोड़कर संस्कृति का वाहक बनाकर नए-नए रूपों में समाज की बदलती भावनाओं के अनुसार एक नई पहचान देने की ज़रूरत है। ऐसी अवस्था में हिन्दी का रूढिबद्ध रूप अनुपयोगी हो गया है। वर्तमान संदर्भ में हिन्दी को अपने राज भाषा रूप को भी छोडकर एक प्राकार्यात्मक भाषा (Functional Language) का रुप धारण करना ज़रूरी हो गया है। हिन्दी भाषा को समर्थ, सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन और संचार माध्यमों के साथ-साथ व्यावसायिक क्षेत्र में भी प्रतिष्ठित करना अनिवार्य हो गया है। इसी अवसर पर सन् 1999 को राजभाषा हिन्दी के स्वर्ण जयंती समारोह के उद्घाटन के अवसर पर श्री. के.आर. नारायणन् जी ने अपने भाष्ट्रपति पद से जो भाषण दिया था वह महत्वपूर्ण है।

> "आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। इसलिए जन साधारण की भाषा को सामान्य भावों और स्थापित कल्पनाओं

के अलावा इस नए ज्ञान के प्रसार का माध्यम भी बनाना होगा। इसके लिए हिन्दी को विज्ञान से जुड़े नए विचारों और वैज्ञानिक शब्दों को ग्रहण करना होगा। यदि हिन्दी को विश्व की एक प्रमुख भाषा बनाना है तो इसे आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का माध्यम बनाना होगा। लेकिन हिन्दी से लगाव का अर्थ यह नहीं कि दूसरी भाषा का विरोध किया जाए चाहे वह विदेशी भाषा ही क्यों न हो। हमने जो विदेशी भाषा सीखी है, उसे भुलाना नहीं चाहिए बल्कि उस भाषा के अपने ज्ञान को और बढाना चाहिए। विश्वव्यापीकरण के इस युग में विदेशी भाषा का ज्ञान बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। अन्ततः यह ज्ञान हिन्दी और भारत दोनों को समृद्ध बनाएगा।"[1]

राष्ट्रपति के विचारों से यही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं कि प्रतिदिन बदलती प्रौद्योगिकी की ज़रूरतों के साथ राजभाषा हिन्दी को भी आगे बढाना है। इसके लिए बदलाव हिन्दी भाषा के स्वरूप में ही होना ज़रूरी है। अर्थात मानक हिन्दी को आज की भाषा बनाना है तो उसे प्रकार्यात्मक हिन्दी बनाना भी ज़रूरी है। कंप्यूटर जैसे उपकरणों का राजभाषा हिन्दी के प्रयोगों में लाभ उठाना है तो कभी-कभी हमें अग्रेज़ी शब्दों का भी प्रयोग बीच में करना पडेगा। अगर राजभाषा

---

1. राजभाषा भारती (स्वर्णजयन्ती विशेषांक), 2000 - आवरण पृष्ठ

हिन्दी कार्यान्वयन के लक्ष्य को पाने में कभी वह सहायक सिद्ध होता है तो उसे भी आत्मसात करने में हिचक नहीं होनी चाहिए।

आज हिन्दी के बहुत सारे सोफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिनसे हम हिन्दी के प्रयोग को वैज्ञानिक तथा आसान बना सकते हैं। पत्र लेखन, टिप्पणी लेखन, प्रारुप, रिपोर्ट आदि तैयार करना, पत्रिका छापना आदि में सहायता पहुँचाने वाले अनेक सोफ्टवेयर उपलब्ध हैं। इसके अलावा वेतन पर्ची, परीक्षा परिणाम, भविष्य निधि लेखा पर्ची, पुस्तक सूची, समान सूची आदि तैयार करना भी आज हिन्दी सोफ्टवेयरों के माध्यम से संभव है। अमेरिकी सॉप्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने **'हिन्दी वर्ड 2000'** जारी किया है, जिससे हिन्दी में वेब पेज तैयार करना, ई मेल भेजना आदि सेवायें सुविधाजनक बन गई हैं। वर्डवाला डॉट कॉम के माध्यम से हिन्दी उर्दू या अन्य 40 भाषाओं में से किसी में भी ई-पत्र भेजा जा सकता है। पहले बहु भाषी इंटरनेट सुविधा पोर्टल **'नेटजाल डॉट कॉम'** तथा फिर हिन्दी सर्च इंजन **'तलाश'** का आ जाने से अब भारतीय भाषाएँ भी अंग्रेज़ी की सी तेजी और स्पष्टता के साथ इंटरनेट पर उपलब्ध हो गयी हैं।

इस प्रकार देखे तो हमें मालूम हो जाता है कि कार्यालयी कामों के हर एक पहलू में सहायक हिन्दी सोफ्टवेयर आज मौजूद है। फिर भी हिन्दी के कार्यान्वयन में हमें जितना आगे बढना चाहिए था, उतना

हम आ नहीं पाए। पहली समस्या हमारी मानसिकता का ही है। हिन्दी के प्रयोग में सहायक इन सारे सोफ्टवेयरों के होने के बावजूद भी अगर कर्मचारियों को हिन्दी के प्रयोग के लिए हिचक है तो उन्हें बारबार हिन्दी के अनुप्रयुक्त पक्ष काम करने के लिए बाध्य बनाया जाना चाहिए।

सी-डेक पूणे के द्वारा विकसित किए गए श्रुतलेखन - राजभाषा नामक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से जुडे माइक्रोफोन द्वारा हिन्दी स्पीच को हिन्दी टेक्स्ट में लिप्यंतरण करनेवाला सोफ्टवेयर है।

वर्तमान स्थिति - हिन्दी सोफ्टवेयर और कंप्यूटर

इक्कीसवीं सदी कंप्यूटर की सदी है। यह भी सच है कि आज भाषा का हो या विज्ञान का, विकास तो संभव है सिर्फ कंप्यूटर के माध्यम से। इसी संदर्भ में हिन्दी में कम्प्यूटरीकरण को बढावा देने के लिए सरकार तथा गैर सरकारी संस्थाएँ एक साथ सक्रिय हैं। ये कार्य दो स्तरों पर किये जा रहे हैं - राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से तथा जन भाषा के रूप में हिन्दी के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से। राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए जो श्रम हिन्दी कंप्यूटरीकरण के क्षेत्र में हो रहा है इसके फलस्वरूप कार्यालयी कामों में कंप्यूटर के द्वारा हिन्दी के कार्य अधिक सरल बनाना इसका लक्ष्य है। जन भाषा के रूप में हिन्दी के विकास के लिए हिन्दी

कंप्यूटरीकरण का विकास भी इसलिए होना है कि भारत की जनसंख्या में सिर्फ पाँच प्रतिशत लोग अंग्रेज़ी का ज्ञान रखते हैं बाकी 95% लोगों के लिए अंग्रेज़ी में लिखित कंप्यूटर का उपयोग मुश्किल है। इनके लिए अंग्रेज़ी से ज्यादा सरल एक भाषा चाहिए कंप्यूटर पढने के लिए। इसी संदर्भ में हिन्दी में कंप्यूटरीकरण का काम महत्वपूर्ण हो जाता है।

कंप्यूटर पर हिन्दी में कार्य दो प्रकार से संभव है -

1. शब्द संसाधन (word processing) :- पत्र, टिप्पणी, लेख, प्रारुप, रिपोर्ट आदि तैयार करना, पत्रिका छापना आदि।

2. डाटा संसाधन (data processing) :- वेतन पर्ची, परीक्षा परिणाम, भविष्य निधि लेखा पर्ची, पुस्तक सूची, सामान सूची आदि तैयार करना।

इसके अतिरिक्त कंप्यूटरों का प्रयोग कुछ विशेष प्रकार के कार्यों जैसे टेलेक्स संदेशों का आदान-प्रदान, इलैक्ट्रानिकी पत्र व्यवहार, टेली कांफ्रेंसिंग नेटवर्क सुविधा आदि के लिए भी किया जाता है।

कंप्यूटर पर द्विभाषिक शब्द संसाधन के लिए काफी संख्या में शब्द संसाधन पैकेज बाज़ार में उपलब्ध हैं, उनकी क्षमताएँ, विशेषताएँ तथा उपयोगिता सब की एक समान नहीं हैं। इन सोफ्टवेयरों के परिचय देने से पहले हमें जिस्ट शैल, जिस्ट कार्ड और जिस्ट टर्मिनल

से परिचित होना ज़रूरी है। आई.आई.टी. कानपूर द्वारा विकसित एक प्रणाली है जिस्ट। (GIST - Graphics and Intelligence based Script Technology) जिस्ट प्रौद्योगिकी के अंतर्गत 'परसनल कंप्यूटर' के मदर बोर्ड पर एक प्लग इन कार्ड लगा दिया जाता है। इसी कार्ड को **जिस्ट कार्ड** कहा जाता है। इस कार्ड की सहायता से आई.बी.एम. पी.सी कंप्यूटर पर शब्द संसाधन तथा डेटा संसाधन के लिए पाठ्य आधारित एम.एस.डोस अनुप्रयोग की प्रविष्टि, भंडारण, प्रदर्शन तथा भारतीय भाषाओं और अंग्रेज़ी के साथ-साथ मुद्रण भी संभव हो गया है। यूनिक्स, जैनिक्स, बी.एम.एस आदि परिचालन प्रणालियों के लिए जिस्ट कार्ड के बजाय **जिस्ट टर्मिनल** की आवश्यकता होती है। **जिस्ट शैल** की सहायता से अपनी भाषा में अपना पसंदीदा सोफ्टवेयर पैकेज प्रयोग किया जा सकता है। भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त यह सुविधा अरबी-फारसी तिब्बती और रूसी आदि में भी उपलब्ध है।[1] अभी हम आज बाज़ार में उपलब्ध शब्द तथा डाटा संसाधन पैकेज़ों पर थोडा नज़र डालेंगे।

ए.पी.एस. कारपोरेट

इसमें पाठ्य प्रविष्टि, स्प्रैड शीट और फोक्स के द्वारा आँकडों और संसाधक के विकल्प दिए गए है।[2]

---

1. विजय कुमार मल्होत्रा, कंप्यूटर के भाषिक अनुप्रयोग, 1998 - पृ. 96
2. www.tdil.mit.gov.in

फैक्ट

यह एक संपूर्ण बहुभाषी व्यापार लेखा सोफ्टवेयर है और यह एकाउंटिंग, इन्वेंट्री आदि की सुविधा देता है। इसके लिए जिस्ट कार्ड / जिस्ट शैल की आवश्यकता होती है।[1]

सुलिपि

यह एक डाटा संसाधन पैकेज है जिसके माध्यम से वेतन पर्ची, वित्तीय खाता लेखन, वस्तु सूची इत्यादि द्विभाषीय (हिन्दी / अंग्रेज़ी) रूप में तैयार करने की क्षमता प्रदान की गई है। यह हिन्दी में टाइपराइटर अथवा स्वर आधारित कुंजी पटल का विकल्प देता है।[2]

यह सोफ्टवेयर विंडो के लिए बनाया गया है। इसमें लिप्यंतरण और शब्दों / पदबंधों के शब्दकोश की सुविधाएं है, साथ ही वर्तनी जाँच भी की जा सकती है अतः यह एक प्रयोगकर्त्ता अनुकूल (user friendly) सोफ्टवेयर है। इसकी सहायता से परिपत्रों और आदेशों को द्विभाषी रूप में जारी किया जा सकता है।

आकृति

यह विंड़ोज़ का वह अंतर्पृष्ठ (interface) है जिसके ज़रिए विंड़ोज़ 95, विंड़ोज़ 98 आदि में भी हिन्दी में कार्य कर सकते हैं।

1, 2. www.tdil.mit.gov.in

इसमें हिन्दी एवं अंग्रेज़ी को एक ही फांट्स में मिश्रित करने के लिए विशेष फांट्स है और इसे बिना फांट्स बदले एक सही द्विभाषिक सॉफ्टवेयर के रूप में उपयोग किया जा सकता है। प्रस्तुतीकरण को आकर्षक बनाने के लिए उसमें चित्र भी उपलब्ध है।[1]

हिन्दी पी.सी. डॉस

यह एक द्विभाषी ओपरेटिंग सिस्टम है, जो न्यूनतम क्षमतावाली पी सी 386 हार्डवेयर के लिए भी अनुकूल है। टाटा-अई बी एम की यह पहल भारत की बहुसंख्यक हिन्दी भाषी जनता को अपनी भाषा में कंप्यूटर पर कार्य करने की सुविधा प्रदान करके जनभाषा के रूप में हिन्दी को चिरप्रतिष्ठा देने के लिए सहायक सिद्ध होगा।[2]

बैंक मित्र

यह विंडो आधारित द्विभाषिक बैंकिंग साधन है, जो अंग्रेज़ी के साथ प्रमुख भारतीय भाषाओं में काम करता है। इस सॉफ्टवेयर द्वारा ग्राहक सेवा संबन्धी कार्य जैसे चैक बुक, पास बुक संबंधी कार्य, ब्याज लगाना, खातावार स्थायी अनुदेश, उच्च मूल्य समाशोधन, ऋण सीमा पर नज़र रखना आदि काम किए जा सकते हैं।[3]

---

1. www.akruti.com
2. www.rediff.com
3. www.tdil.mit.gov.in

श्रीलिपि

यह विंड़ोज आधारित भारतीय भाषाओं के लिए फाँट पैकेज है। इसमें विभिन्न विंड़ोज आधारित पैकेजों के लिए सहायक 'बिल्ट इन' (built in) कुंजीपटल प्रबन्धक और अन्य सुविधाएं उपलब्ध है। 'सुचिका' ऐसा एक डाटा बेस साँफ्टवेयर है जिसमें श्रीलिपि की सहायता से अंग्रेज़ी में टंकित डेटाओं के हिन्दी में लिप्यंतरित किया जा सकता है।[1]

विंड़ोज़ पर अक्षर

यह कुंजीपटल पर रेमिंग्टन टाइप हिन्दी कुंजीपटल तथा इलैक्ट्रानिक विभाग के मानक कुंजीपटल का विकल्प उपलब्ध कराता है। इसमें रोमन अक्षरों में हिन्दी टाइप करने का, अंग्रेज़ी शब्द के हिन्दी पर्याय ढूँढने का तथा हिन्दी के पाठ में शब्दों को ढूँढने और बदलने का कार्य आसानी से किया जा सकता है।[2]

श्रीलिपि अंकुर

विंड़ोज़ आधारित बहुभाषी सॉफ्टवेयर है जिसमें लिपि संसाधक, शब्द संसाधक और निजी डायरी है। यह सिर्फ सी.डी पर उपलब्ध है। अंकुर रूपा में दिन, तारीख और समय को भारतीय भाषाओं में डाला

1,2. www.tdil.mit.gov.in

जा सकता है, आँटोसेव सुविधा भी है। अंकुर स्मरणिका में व्यक्तिगत सूचनाएँ, जैसे नाम, पते, फोन/फैक्स नंबर, जन्मतिथि आदि रखे जाते है।[1]

लीप ऑफिस

'लीप आफिस' हिन्दी ही नहीं वरन् भारतीय भाषाओं के लिए तैयार किया गया शब्द संसाधक है। इसमें अंग्रेज़ी लिपि के समान ही भारतीय भाषाओं की लिपियों में फॉन्ट भी उपलब्ध है। इस क्रांतिकारी सॉफ्टवेयर के द्वारा अंग्रेज़ी के अतिरिक्त हिन्दी, संस्कृत, असमी, बंगाली, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु - इन दस भारतीय लिपियों में काम किया जा सकता है।[2]

वेबप्राक

यह ऐसा साधन है जिसकी सहायता से देवनागरी और अन्य भारतीय भाषाओं में कार्य किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त भी अनेक अन्य द्विभाषी शब्द संसाधक लोकप्रिय हो रहे हैं जिनमें से कुछ हैं भाषा, शब्दमाला, आलेख, शब्द रत्न सुपर, शब्द सम्राट आदि।[3]

शब्द संसाधन और डेटा संसाधन के लिए सहायक इन सॉफ्टवेयरों के अलवा ऐसा भी कई सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसकी सहायता से हम

---

1. www.tdil.mit.gov.in
2. www.cdac.in
3. www.indiasoftware.com

अंग्रेज़ी एवं भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिन्दी सीख भी सकते हैं। राजभाषा विभाग द्वारा यह पाठ्यक्रम पहले से ही दूरस्थ शिक्षा में चलाया जा रहा है। लीला के माध्यम से आज हिन्दी प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रम असमिया, बंगला, अंग्रेज़ी, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उडिया, तमिल और तेलुगु के माध्यम से विश्व व्यापी वेब पर सीख सकते हैं।

लीला हिन्दी प्रबोध

इसमें 26 अध्याय है और शब्दकोष मॉड्यूल के साथ प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम है।[1]

लीला हिन्दी प्रवीण :

इसमें 31 अध्याय और शब्दकोश मॉड्यूल के साथ द्वितीय स्तर का पाठ्यक्रम है।[2]

लीला हिन्दी प्राज्ञ

तृतीय स्तर के इस पाठ्यक्रम में कार्यालयी पत्राचार के विविध प्रपत्र का आलेखन हिन्दी में सिखाने के लिए विकसित किया गया है जैसे - टिप्पणी, आदेश, ज्ञापन, आवेदन, परिपत्र, अधिसूचना, प्रतिवेदन, कार्यवृत, कार्यवाही, मांग, अनुस्मारक, प्रेस विज्ञप्ति, विज्ञप्ति आदि।[3]

1,2,3. के. विनोद - राजभाषा विभाग द्वारा विकसित कराए गए सॉफ्टवेयर, राजभाषा भारती, अप्रैल-जून, 2007 - पृ. 4

गुरु

यह हिन्दी सीखने के लिए उपयोगी मल्टीमीडिया सी डी रोम है। वास्तविक और प्रत्यक्ष जीवन स्थितियों के माध्यम से इसमें सीखने की सुविधा है जिसके लिए सामान्य प्रयोग में आनेवाले हज़ार शब्दों के अर्थ, उच्चारण (लिप्यंतरण भी) आदि उपयोगी सामग्री जुटाई गई है। इसमें देवनागरी लिपि में लिखने की प्रविधि भी सिखाते हैं। इसके संदर्भ खंड में सामान्य प्रयोग के शब्द, नाम, उनका अंग्रेज़ी अनुवाद, उच्चारण, व्याकरण के नियम आदि दिए गए हैं और मनोरंजन खंड में लोकप्रिय तुकांत कविताएँ, लोक कहानियाँ तथा खेल दिए गए हैं।[1]

आज कंप्यूटर द्वारा अंग्रेज़ी दस्तावेज़ों को हिन्दी में अनुवाद करने के लिए भी सॉफ्टवेयर उपलब्ध है, वह भी व्याकरणिक शुद्धता के साथ। राजभाषा हिन्दी की प्रगति के पथ पर नया मोड लाया है यह आविष्कार। सी-डेक पूणे द्वारा विकसित मंत्र राजभाषा अनुवाद टैक्नोलजी में एक प्रथम प्रयास है।

मंत्र राजभाषा

यह एक मशीन साधित अनुवाद टूल है जो विशिष्ट विषय क्षेत्र के अंग्रेज़ी पाठ का हिन्दी में अर्थात एक भाषा से अन्य भाषा में अनुवाद पूर्ण रूप से भिन्न व्याकरणिक संरचना को आधार बनाकर ही करता है।

---

1. www.worldlanguage.com

"मंत्र राजभाषा प्रशासनिक दस्तावेज़ जैसे राजपत्रित अधिसूचना, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन और परिपत्र वित्त क्षेत्र संबन्धित दस्तावेज़ों का अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवाद करता है। इस कंप्यूटर साधित अनुवाद सिस्टम परियोजना का डिज़ाइन, विकास और प्रसार प्रशासन, वित्त, कृषि और ग्रामीण उद्योगों, लघु उद्योग क्षेत्र संबन्धित पत्राचार / प्रलेख के लिए हो गया है और दो नये क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य सुरक्षा सम्मिलित किए जा रहे हैं।"[1]

मंत्र राजभाषा में हिन्दी व्याकरण को अंग्रेज़ी के साथ-साथ प्रस्तुत करने के लिए ट्री-एडजाइनिंग ग्रामर का उपयोग किया जाता है।

मेट (MAT-Machine Aided Translation System)

मशीन साधित अनुवाद प्रणाली प्राकृतिक भाषा संसाधन प्रयोगशाला द्वारा विकसित अंग्रेज़ी से हिन्दी अनुवाद करने का सॉफ्टवेयर है जो 85 प्रतिशत पद व्याख्या तथा 60 प्रतिशत सही अनुवाद प्रस्तुत करता है। इसमें अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए संपादन सुविधा, 9500 मूल शब्दों का शब्दकोश, द्विभाषी शब्दकोश, हिन्दी वर्तनी जाँचक आदि है। इसमें पाणिनीय पद्धति पर आधारित आधुनिक कृत्रिम बुद्धि भी है। आँकडों का अग्रेज़ी से हिन्दी में परिवर्तन, द्विभाषी वेतन रिपोर्ट, बैंक रिपोर्ट आदि तैयार करना इस सॉफ्टवेयर द्वारा आसान होगया है।

---

1. 'के विनोद - 'राजभाषा विभाग द्वारा विकसित कराए साँफ्टवेयर - राजभाषा भारती - अप्रैल-जून 2007 - पृ. 1

भारत सरकार ने हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्रालय के द्वारा www.tdil.mit.gov.in वेब साईट जारी की है। इस साईट पर दी गई भारतीय भाषाओं के विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक भारतीय भाषाओं के सॉफ्टवेयर इंटरनेट के माध्यम से मुफ्त डाउनलोड किए जा सकते हैं। उस साइट पर निम्नलिखित सॉप्टवेयर मुफ्त डाउनलोड हेतु उपलब्ध है :

देसिका (भाषा आकलन का सहज प्रणाली)

गीता रीडर (धर्मग्रंथ गीता पढने में सहायक)

ए एल पी पर्सनल (भाषा संसाधन प्रणाली)

कॉरपोरा (भारतीय भाषाओं का शब्द संसार)

शब्दबोध (वाक्य विश्लेषण)

श्री लिपि भारती (देवनागरी की बोर्ड ड्रायवर)

बहुभाषिक ईमेल क्लाएँट (दस भारतीय भाषाओं में ई मेल की सुविधा)

आई लीप (बहु उपयोगी सॉफ्टवेयर)

अक्षर (द्विभाषी - साफ्टवार्ड तथा वर्डस्टार)

सुरभि प्रोफेशनल (की बोर्ड इंटरफेस सॉफ्टवेयर)

बुद्धिमान कुंजीपटल सॉफ्टवेयर (Intelligent keyboard manager)

शाब्दिका (शब्द संग्रह)

एच वर्ड (शब्द संसाधक सॉफ्टेवयर)

इंडिक्स (लाईनेक्स प्रणाली पर आधारित सॉफ्टवेयर)

उपर्युक्त मुफ्त सॉफ्टवेयरों को संकलित करके कुछ अन्य फॉट की बोर्ड ड्राईवर, हिन्दी ओ.सी.आर, फॉट परिवर्तन, शब्द संसाधक आदि सुविधाओं को भारत सरकार ने स्वतंत्र वेबसाईट www.ildc.gov.in पर भी रखा है। कंप्यूटर पर हिन्दी भाषा का प्रसार करने की दिशा में भारत सरकार की यह महत्वपूर्ण पहल है।

भाषायी अभिकलन (computing) के विकास का अगला चरण वाक् पहचान से संबन्धित है, जिसका अर्थ है - किसी बोली हुई भाषा का लिखित रूप में स्क्रीन पर प्रस्तुत होते जाना तथा लिखित सामग्री को कंप्यूटर द्वारा उच्चरित रूप में भी प्रस्तुत कर देना। इससे कंप्यूटर को माउस (mouse) के स्थान पर बोलकर भी निर्देश दिए जा सकेंगे। इसी कड़ी में अगला चरण है - स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन। इसके अंतर्गत एक भाषा में कही गई बात को उसी समय हिंदी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में सुना जा सकेगा। सी-डेक पूणे ने भारतीय भाषाओं के लिए बुद्धि संपन्न स्कैन प्रणाली और वाक् पहचान सॉप्टवेयर विकसित करने के प्रयास के फलस्वरूप ऐसा एक सॉफ्टवेयर का विकास किया है जो कंप्यूटर द्वारा हिन्दी स्पीच का हिन्दी टेक्स्ट में लिप्यंतरण करता है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है श्रुतलेखन - राजभाषा।

श्रुतलेखन - राजभाषा

श्रुतलेखन राजभाषा एक इंडिपेंडेंट, हिन्दी स्पीच रिकग्निशन सिस्टम है, जिसके ज़रिए प्रयोगकर्ता माइक्रोफोन के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संपर्क रखता है। हिंदी में बोले गए वक्तव्यों को हिंदी यूनिकोड में टंकित करता है। स्पीच संसाधन के लिए रिकग्नाइज़र एनलॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित किया जाता है। संसाधन के पश्चात् लिखित सामग्री की एक धारा उत्पन्न हो जाती है। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि बोली जाने वाली हिन्दी शुद्ध हिन्दी ही होनी चाहिए।

हिन्दवाणी

पी सी डॉस पर आधारित यह सॉफ्टवेयर लिखित हिन्दी को पढकर सुनाया जा सकता है। नेत्रहीनों के लिए विशेष उपयोगी यह सॉफ्टवेयर रेलवे, हवाई जहाज संबंधी पूछताछ, पर्यटन सूचना आदि के लिए भी विशेष उपयोगी है।

इंटरनेट पर भी आज हिन्दी का प्रयोग शुरू हुआ है। अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसोफ्ट कोर्पेरेशन ने अपना पहला हिन्दी सॉफ्टवेयर **'हिन्दी वर्ड 2000'** जारी किया, जिससे हिन्दी में वेब पेज तैयार करना, ई पत्र भेजना और हिन्दी में इंटरनेट पर गप्पें लडाना संभव होगया है।

इंटरनेट के तेज़ी से प्रसार के लिए ई पत्र (मेल) की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वर्डवाला डॉट काम के माध्यम से हिन्दी, उर्दू या अन्य 40 भाषाओं में से किसी में भी ई-पत्र भेजा जा सकता है। पहले बहुभाषी इंटरनेट सुविधा पोर्टल **'नेटजाल डॉट काम'** तथा फिर हिन्दी सर्च इंजन 'तलाश' के आ जाने से अब भारतीय भाषाएं भी अंग्रेज़ी की तरह तेज़ी और स्पष्टता के साथ इंटरनेट पर उपलब्ध होगी, बगैर डाउन लोडिंगा के। **'नेटकॉम इंडिया'** में हिन्दी की ई पत्र सुविधा के साथ साथ एक वास्तविक इंटरनेट अखबार **नेट दैनिक डॉट कॉम** तथा कंप्यूटर जगत की सबसे पहली हिन्दी और मराठी पत्रिका 'कंप्यूटर संचार सूचना' भी विद्यमान है।

फरीदाबाद के डॉ. मुरलीधर अहूजा नामक वैज्ञानिक ने 'लेखक' नाम से एक ऐसा सोफ्टवेयर तैयार किया है जिसकी विशेषता यह है कि अंग्रेज़ी की मदद के बिना भी हिन्दी मे अपना सारा काम बखूबी लिया जा सकता है।

'अनुसारका' नामक एक मेल सर्वर है जो कन्नड, तेलुगु, मराठी, बंगला और पंजाबी में भेजें संदेश को हिन्दी में अनूदित कर देता है। सी-डेक बंगालूरु द्वारा विकसित 'देशिका' नामक साँफ्टवेयर सभी शास्त्र, वेद, वेदांग, पुराण, धर्मशास्त्र, न्याय, मीमांसा, व्याकरण और अमरकोश को इस रूप में उपलब्ध कराता है कि वह दस भारतीय लिपियों में पढा जा सकता है।

विश्व में हिन्दी का पहला पोर्टल होने का दावा करनेवाला **'वैब दुनिया डॉट काम'** के द्वारा दुनिया के लोग नौ भारतीय भाषाओं में से किसी एक में वार्ता या बातचीत कर सकते है तथा अपना ई-पत्र भी भेज़ सकते हैं। हिन्दी, मराठी, गुजराती, पंजाबी या मलयालम के संदेश को रोमन लिपि में लिख देने पर वैब दुनिया उसे वाँछित भाषा में अपने आप लिख देता है।

इक्कीसवीं सदी में हिन्दी को राजभाषा तथा जनभाषा के दर्जा से भी ऊपर उठाकर विश्वभाषा का दर्जा दिलाने के उद्देश्य से मुंबई के कुछ साहित्यप्रेमियों और संस्थाओं ने पश्चिमी रेलवे के वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्री राजेन्द्र गुप्त के नेतृत्व में 'राजभाषा डॉट कॉम' नामक एक अनूठी वेबसाइट बनानी शुरू कर दी। आज यह वेबसाइट 13 खंडों में हिन्दी से संबन्धित वेबपैजों का अपने आप में समाहित कर रहे है। इन खंडों में हिन्दी राजभाषा संबन्धी प्रमुख बातें, हिन्दी साहित्य, हिन्दी व्याकरण, हिन्दी शब्दकोष, हिन्दी पत्रकारिता, आदि होने के साथ साथ आज हिन्दी में उपलब्ध तकनीकी सेवाएँ, हिन्दी ई-मेल और हिन्दी सीखने के लिए सहायक सामग्रियाँ तक उपलब्ध है। निश्चय ही यह साइट कंप्यूटर में राजभाषा के विकास की दिशा में एक सार्थक तथा प्रभावशाली कदम है।

इसमें संशय नहीं कि कंप्यूटर के क्षेत्र में हिन्दी काफी आगे बढ चुकी है। लेकिन हर पल विकसित होने वाली प्रौद्योगिकी के साथ

बढने के लिए हमें सकारात्मक सोच और आशावादी दृष्टिकोण तथा उत्साहित कदमों के साथ हिन्दी रथ की गति को और भी तेज़ बनानी चाहिए। हिन्दी तकनीकी की कमियों को दूर करके अपनी आवश्यकता के अनुरूप नए संयंत्रों और नए तकनीकों की खोज कर के उसकी सहायता से हिन्दी को राजभाषा, जनभाषा और विश्वभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना हिन्दी प्रेमियों और देशप्रेमियों का कर्तव्य है।

अपेक्षित स्थितियाँ - प्रबन्धकीय परिप्रेक्ष्य

प्रौद्योगिकी के इस आधुनिक युग में हिन्दी जैसी एक भाषा को भारत की राजभाषा बननी है तो उसे सर्वप्रथम अंग्रेज़ी के समान प्रौद्योगिकी की भाषा भी बन जानी चाहिए। सरकारी कार्यालयों में यात्रिक सुविधाओं की उपलब्धता पर ध्यान रखते हुए गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने सरकारी संगठनों को सरकार के इस निर्णय की सूचना दी है कि इन बातों पर ध्यान रखना प्रत्येक कार्यालय के उच्चाधिकारी और राजभाषा प्रबन्धक का दायित्व है। वे निर्णय कुछ इसप्रकार हैं :

1. केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में प्रयोग के लिए सभी तरह की कंप्यूटर प्रणालियाँ (जिनमें कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसर, एडवांस लेज़र पोस्टिंग मशीनें, डाटा एन्ट्री उपकरण आदि शामिल हैं) साधारणतया डाट मैट्रिक्स प्रिन्टरों सहित केवल द्विभाषी ही खरीदे जाएँ।

2. उपर्युक्त द्विभाषी उपकरणों के प्रयोग के संबन्ध में यह सुनिश्चित किया जाए कि राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 तथा इस संबन्ध में राजभाषा विभाग से समय-समय पर जारी आदेशों को ध्यान में रखते हुए जिस काम का हिन्दी में होना अपेक्षित है, वह अनिवार्य रूप से हिन्दी में और जिसका द्विभाषी होना अपेक्षित है, उसे द्विभाषिक रूप में ही किया जाए।

3. कंप्यूटर आदि विदेश से आयात करते समय भी ऐसा प्रबंध किया जाए कि उन पर हिन्दी भाषा में भी काम किया जा सके।

4. 'जिस्ट' कार्ड अथवा 'जिस्ट' टर्मिनल लगाकर अपनी कार्य प्रणालियों में हिन्दी में काम करने की क्षमता उपलब्ध करवाई जाए।

5. ऐसे पुराने कम्पूटर जिनमें द्विभाषी सुविधा उपलब्ध कराना सम्भव न हो, उनकी जगह नवीनतम द्विभाषी कंप्यूटर प्रणाली लगाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

6. केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों एवं कार्यालयों में प्रयोग के लिए केवल द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेज़ी) इलैक्ट्रोनिक टेलीप्रिंटर / टेलेक्स खरीदे जाएँ अथवा लीज पर लिए जाएँ। ऐसे कार्यालयों में जहाँ वर्तमान में रोमन टेलीप्रिन्टर्स / टेलेक्स पहले से लीज पर लिए जा चुके हैं, दूर-संचार विभाग से उनकी जगह द्विभाषी

इलेक्ट्रानिक टेलीप्रन्टर / टेलेक्स लगाने हेतु तत्काल अनुरोध किया जाए।

7. संगठन में खरीदे जानेवाले नए इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर केवल द्विभाषी ही खरीदे जाएं।

8. द्विभाषी पिन प्वाइंट टाइपराइटर, देवनागरी / द्विभाषी पतालेखी मशीन आदि अन्य उपकरणों की खरीद/उपलब्धता में भी देवनागरी की सुविधा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

9. जहां उच्च गति एवं उत्तम प्रकार के रोमन मुद्रण किए जाने की आवश्यकता हो वहाँ पर कुछ प्रिंटर रोमन में भी हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए राजभाषा विभाग से विशेष अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

10. राजभाषा प्रबन्धक को ऐसे प्रयास करने चाहिए कि सम्बन्ध विभाग यह सुनिश्चित करे कि संगठन में जो भी कंप्यूटर, शब्द संसाधन और इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर खरीदे जाएँ, उनके कुंजी पटलों पर सभी अक्षर / आदेश द्विभाषी रूप में उत्कीर्ण हों।

सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के संबन्ध में समय समय पर जो आदेश जारी किए गए हैं उनके समुचित कार्यान्वयन और वार्षिक कार्यक्रम में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनकी पूर्ति के लिए राजभाषा प्रबन्धक को यह प्रयास करना चाहिए कि अपने कार्यालय में

हिन्दी में काम कर सकने के लिए जो साधन ज़रूरी हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में जुटाना तथा उनका उपयोग भी कराना आवश्यक है।

स्पष्ट है, हिंदी में न सोफ्टवेयर की कमी है और न संयंत्रों की। कमी है तो उपयोग की है और फल की। इसका निवारण आवश्यक हो गया है। अन्यथा आगे आनेवाली आधी शती के अंत में भी हम राजभाषा की आशंकित करने वाली स्थिति के बारे में विचार विमर्श करते रहेंगे। प्रौद्योगिकी की निरंतर विकसित स्थिति से विशेषकर राजभाषा के क्षेत्र में उच्च अधिकारियों का अवगत होना आवश्यक है। अर्थात् राजभाषा प्रबंधन को प्रौद्योगिकी प्रबंधन केन्द्रित होना है जिसे सख्त वांछित और योजनाबद्ध तरीके से अमल में लाना आवश्यक है। उसे प्रबन्धकीय क्षमता से देखा जाना भी अनिवार्य है।

राजभाषा प्रबंधन के ज़रिए जब राजभाषा समस्त-परिप्रेक्ष्य का अवलोकन करते हैं तो पता चलता है कि अनेक कारण हैं जिनके कारण मानसिक अवरोध की अवस्था से हम उभर नहीं पाए हैं। मानसिक अवरोध को दूर करना कोई यांत्रिक कार्य नहीं। इसके लिए नीतिगत संकल्पों की सख्त आवश्यकता है। नीतियों जब पूरी सख्ती से बदलती है तो मानसिक अवरोध में परिवर्तन संभव है।

हिंदी सलाहकार समितियों की राजनीति मुक्त पुनर्गठन अनिवार्य है जिससे सृजनात्मक सुझाव मंत्रालयों को मिल सके।

संसदीय राजभाषा समितियों का ऐसा पुनर्गठन अनिवार्य है जो समर्पित भाव से काम करें।

एक राजभाषा आयोग की जरूरत है जो हर वर्ष अपना रिपोर्ट संसद को प्रदान करें। यह आयोग भारत भर के कार्यालयों की राजभाषा प्रगति पर विचार-विमर्श कर सकता है।

प्रत्येक नगरकेंद्रित राजभाषा कार्यालयन कार्यालयों की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि उसका कोई अधिकार नहीं।

जब तक उपलब्ध प्रौद्योगिकी साधनों का समुचित चयन और प्रबन्धकीय दृष्टि से उपयोग नहीं होगा तब तक राजभाषा कार्यान्वयन लक्ष्य तक पहूँच नहीं सकता है। प्रौद्योगिकी ने कई क्षेत्रों में वांछित प्रगति अर्जित की है। लेकिन राजभाषा के कार्यान्वयन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग नाममात्र के लिए ही हो रहा है। इसीलिए ये बातें अनिवार्य है।

1. सरकारी नीतियों में आवश्यक परिवर्तन।
2. विशेषज्ञों के माध्यम से कार्यालयी अधिकारियों को प्रशिक्षण।
3. प्रबन्धन के विशेषज्ञों का प्रशिक्षण।
4. वांछित लक्ष्य का निरंतर प्रयोग और फलप्राप्ति का विश्लेषण।

राजभाषा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी संसाधनों का सही उपयोग तभी हो सकेगा जब उसे प्रबंधकीय क्षमता से जोडा जाए।

❖❖❖

अध्याय - पाँच

राजभाषा प्रबन्धन :
सर्वैधानिक स्थिति में परिवर्तन की आवश्यकताएँ

भूमिका

स्वतंत्रता आन्दोलन के समय हिन्दी ने देश में भावनात्मक एकता की स्थापना की। तत्कालीन राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेश में भारतीय जनता को स्वदेशी वस्तु तथा स्वदेशी भाषा की आवश्यकता महसूस हुई थी। तत्पश्चात् 'एक भाषा एक लिपि' तक की घोषणा हुई गई थी। फलस्वरूप स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाते समय एक लम्बे वाद-विवाद के बाद अन्ततः हिन्दी भाषा तथा देवनागरी लिपि को राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली गयी। साथ ही इसके लिए प्रावधान था कि 15 वर्षों तक अंग्रेज़ी राजभाषा के रूप में चलती रहेगी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, अभी तक के इन 62 सालों में भारत के राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिदृश्य में बहुत बदलाव आ चुके हैं। एक परिवर्तन यह भी है कि जनता तथा नेताओं के मन से धीरे धीरे देश की एकता देश की भाषा से अर्थात् हिंदी से यह भावना भी मिट जाने लगी। बाद में सन् 1963 के राजभाषा अधिनियम द्वारा राजभाषा के रूप में अंग्रेज़ी के प्रयोग को अबाधित कालातीत बना दिया गया। ऐसे में अंग्रेज़ी वर्चस्वी भाषा बन गयी और हिंदी सामान्य स्तर की राजभाषा।

भाषा के आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, तब प्रादेशिक भावनाएँ स्वाभाविक रूप से उभरकर आईं। फलस्वरूप भाषा का प्रश्न एक बार फिर से राजनीतिक हित से जुड़ गया। विशेषकर दक्षिण भारत के राजनेताओं ने राजभाषा हिन्दी को अपने क्षेत्र के लोगों तथा अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए एक अवरोधक शक्ति के रूप में देखा। बाद में जब क्षेत्रीय राजनीतिक दल महत्वपूर्ण होने लगे तब भाषा को भी क्षेत्रीय भावनाओं के उभार का एक आधार बना लिया गया। लेकिन ध्यान देने की महत्वपूर्ण बात यह है कि इन क्षेत्रीय भाषाओं के समर्थकों ने हिन्दी के विरोध में कोई क्षेत्रीय भाषा को नहीं बल्कि अंग्रेज़ी को मान्यता प्रदान की।

स्वतंत्रता के बाद राजभाषा की समस्या का एक आर्थिक पक्ष भी रहा है। आज विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक एवं शासकीय सेवाओं के लिए चाहे वह सरकारी क्षेत्रों में हो या गैर सरकारी क्षेत्रों में, अंग्रेज़ी का ज्ञान आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य भी है। केन्द्र सरकारी सेवा की परीक्षाओं में भी अंग्रेज़ी के जानकारों को प्राथमिकता दी जाती है। विदेश में काम करने के लिए इच्छुक लोगों में भी अंग्रज़ी के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है और हिन्दी के प्रति उपेक्षा का भाव भी। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक ही है कि शैक्षिक क्षेत्र में भी अंग्रज़ी का प्रभुत्व बढ रहा हो।

आज राजभाषा हिन्दी की स्थिति बेहतरीन कहीं नहीं जा सकती। इस स्थिति में परिवर्तन आवश्यक है। राजभाषा प्रबंधन में सवैधानिक प्रावधानों का महत्व है। उसकी कमज़ोरियाँ प्रबंधन में बाधक हो सकती है। वस्तुतः राजभाषा प्रबन्धन का आधार ही हिन्दी को राजभाषा बनाने से संबन्धित उन सांवैधानिक प्रावधानों पर स्थित है। अगर वे आधार ही मज़बूत नहीं हैं तो उन पर आधारित राजभाषा प्रबन्धन का प्रभावशाली बन जाना नामुमकिन है। राजभाषा प्रबन्धन को इच्छित लक्ष्य तक न पहुँचाने वाले उन संवैधानिक प्रावधानों पर विचार करना वांछित प्रतीत होता है।

संविधान के वर्तमान सन्दर्भ में राजभाषा प्रबन्धन

राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हिन्दी से संबन्धित संविधान के उपबंधों, नियमों तथा आदेशों का भलीभांति अध्ययन करके उनके विभिन्न पहलुओं को जानने के साथ-साथ उनकी बारीकियों को समझना भी ज़रूरी है। राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के क्षेत्र में सबसे प्रबल और बारीकी पक्ष संविधान के राजभाषा संबन्धी संवैधानिक उपबंध के अनुच्छेद 343 के खण्ड दो में बताया गया प्रावधान है, जिसके अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी होने को बावजूद भी संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की अवधी तक संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। ऐसी एक व्यवस्था करने के पीछे यह विचार था कि इस अवधि में प्रशासनिक

भाषा के रूप में हिन्दी का समुचित विकास संभव हो सकेगा और इसका प्रयोग करने के लिए सभी प्रकार के अपेक्षित साधन और सुविधाएँ उपलब्ध हो जायेंगी। संविधान में संसद को यह भी अधिकार दिया गया कि यदि वह चाहे तो अधिनियम पास करके सन् 1965 के बाद भी सरकारी कामकाज में अंग्रेज़ी का प्रयोग जारी रखने के संबंध में व्यवस्था कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार संघ के कामकाज में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोगों से संबंधित बातों पर सिफारिश करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा सन् 1955 में राजभाषा आयोग की स्थापना हुई। इस आयोग ने सन् 1956 में अपनी रिपोर्ट दी। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए 30 सांसदों की एक समिति गठित की गई। इस संसदीय समिति ने 8 फरवरी 1959 को अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत कर दी। आयोग और संसदीय समिति, दोनों का विचार था कि 1965 के बाद भी अंग्रेज़ी का प्रयोग चलता रहे। इस सिफारिश को अमल करने की दृष्टि से सन् 1963 में राजभाषा अधिनियम पास किया गया। राजभाषा अधिनियम का प्रमुख उपबंध इस प्रकार हैं -

- संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर भी, हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेज़ी भाषा नियत दिन (26 जनवरी 1965) से ही -

क) संघ के उन सब राजकीय प्रयोजोनों के लिए जिनकेलिए वह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लाई जाती थी; तथा

ख) संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए; प्रयोग में लाई जाती रह सकेगी।[1]

पहले तो राजभाषा संबन्धी संवैधानिक प्रावधान द्वारा और बाद में इसी राजभाषा अधिनियम द्वारा हमारे देश में अंग्रेज़ी को अमरत्व मिल गया। राजभाषा हिन्दी का कार्यान्वयन अभीष्ट स्थिति तक पहूँच न पाने का मुख्य कारण संविधान द्वारा हिन्दी के प्रति यही दोहरी नीति ही है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि कालांतर में अंग्रेज़ी राजभाषा के रूप में अधिक मज़बूत होती गयी और हिन्दी कमज़ोर।

राजभाषा अधिनियम के लागू होने के दो वर्ष बाद ही राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 सामने आया। इस विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह रहा कि जब तक अहिन्दी भाषी राज्य हिन्दी को एकमात्र राजभाषा बनाने के लिए सहमत न हो जाएं तब तक सरकार के कामकाज में अंग्रेज़ी सहभाषा के रूप में बनी रहेगी। अर्थात यदि संघ का कोई एक राज्य भी हिन्दी का विरोध करेग, तो भी हिन्दी को लागू नहीं किया जाएगा।

---

1. राजभाषा अधिनियम, 1963, सरकारी संस्करण

हिन्दी के राजभाषा के रूप में विकास के लिए यह प्रावधान बाधक बन गया। अब इस अधिनियम को लागू हुए करीब 42 वर्ष होने को आ रहे हैं। किन्तु अभी तक यदि अंग्रेज़ी संघ की राजाभाषा के रूप में बनी हुई है, तो वह इसी 1967 के अधिनियम के ही कारण है। तमिलनाडु और हाल ही में महाराष्ट्र में हो रहे प्रादेशिक भाषा प्रेम अंग्रेज़ी को हटाने के लिए सहमति नहीं देता है। संविधान की राजभाषा संबन्धी यह द्विभाषिक स्थिति जब तक कायम रहेगी तब तक राजभाषा प्रबन्धन की लक्ष्यपूर्ती दुष्कर बन जायेगा।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 के अंतर्गत ऐसा भी एक प्रावधान है कि जिन राज्यों ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया है, वे अन्य राज्यों या केंद्र के साथ पत्राचार हेतु स्वतंत्र होंगे। आश्चर्यजनक बात यह है कि अगर कोई हिन्दी भाषी राज्य, हिन्दी न अपनानावाले राज्य को हिन्दी में पत्र लिखता है तो उसके साथ अंग्रेज़ी अनुवाद भी भेजना पडेगा। स्पष्ट है कि इससे काम और खर्च दोनों बढेगा और अंग्रेज़ी की ही शरण में रहना स्वाभाविक होगा। अतएव यही भी कहना समीचीन होगा कि हिन्दी भाषियों का हिन्दी में काम न करने का एक कारण यह भी है।

धारा 3 की उपधारा 2 में प्रावधान किया गया है कि केन्द्र सरकार के कार्यालयों के कर्मचारी को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न होने पर हिन्दी पत्र के साथ अंग्रेज़ी अनुवाद भी भेजना होगा। लेकिन

ऐसा एक प्रावधान न रखा गया कि कब तक यह कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। केन्द्र सरकारी कर्मचारियों को बीच बीच में प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन राजपत्र द्वारा अनुसूचित करने पर भी इस अंग्रेज़ी अनुवाद के प्रावधान को समाप्त करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। वस्तुतः इसके लिए भी एक समयसीमा निर्धारित कर देना आवश्य ही है।

धारा-3 की उपधारा (3) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों, संबद्ध संस्थानों, निगमों आदि से संबद्ध सभी संकल्पों, आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों तथा प्रेस विज्ञाप्तियों, संविदाओं, करारों, अनुज्ञप्तियों आदि के लिए हिन्दी और अंग्रेज़ी प्रयोग में लायी जायेंगी।

लकिन वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार देखने में आया है कि इसके लागू होने के इतने वर्षों के बाद भी भारत सरकार का कोई ऐसा कार्यालय शायद ही हो जिसके द्वारा इसका शतः प्रतिशत अनुपालन किया गया हो। इस सन्दर्भ में प्रायः होता यह है कि "Hindi Translation Follows" - "हिन्दी अनुवाद संलग्न है" लिखा होने पर भी हिन्दी अनुवाद दिया नहीं जाता क्योंकि यह सोच लिया जाता है कि काम तो अंग्रेज़ी से चल ही जाएगा। इस प्रवृत्ति के रहते कर्मचारियों में हिन्दी-प्रयोग की इच्छा या आवश्यकता रेखांकित नहीं होती है।

कहीं-कहीं धारा 3(3) का अनुपालन बेतुका भी लगता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी निगम द्वारा अखबारों में टेंडर नोटिस डालने के लिए एक लाख रुपया खर्च किया जाता है तो दो भाषाओं में दो लाख व्यय स्वाभाविक है। यदि वह केवल हिन्दी में ही हो तो काम भी चलेगा और हिन्दी की तरफ झुकाव भी बढेगा।

राजभाषा प्रबन्धन में राजभाषा अधिनियम धारा 3(3) एक सशक्त हथियार हैं। वह एक नियम है और नियम का अनुपालन ठीक तरह से न करने पर आवश्यक कदम भी उठाना चाहिए। वास्तव में अगर केवल धारा 3 को निश्चित रूप से लागू कर दिया जाए तो हिन्दी कार्यान्वयन का 50 प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा।

राजभाषा अधिनियम, सन् 1963 की धारा-3 की उपधारा (4) तथा धारा-8 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सन् 1976 ई में लागू किए गए राजभाषा नियम के आरम्भ में ही तमिलनाडु राज्य को इस नियम के लागू होने से मुक्त किया गया है। जिस राष्ट्रीय एकता की स्थापना के उद्देश्य में हिन्दी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया और उसे लागू करने के लिए नियम बनाया गया, उसके आरंभ में ही भिन्नता के लक्षण दिखने लगे।

राजभाषा नियम 1976 की धारा 3(1) में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या केन्द्रीय

सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि 'असाधारण दशाओं' को छोड़कर हिन्दी में भेजने के लिए प्रावधान है। लेकिन इस असाधारण दशा का निर्वाचन कहीं पर भी नहीं दिया है। अर्थात् कोई भी व्यक्ति अपने इच्छानुसार किसी भी स्थिति को 'आसाधारण' सिद्ध कर सकता है। इसको छोडकर धारा 3 के सभी उपनियमों में 'क', 'ख', और 'ग' क्षेत्र में पत्राचार के माध्यम के रूप में हिन्दी 'या' अंग्रेज़ी के प्रयोग की छूट है। फलस्वरूप अधिकांश सरकारी पत्र-व्यवहार अंग्रेज़ी में चल रहे हैं।

धारा (4) के खण्ड ख में बताया गया है कि केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र 'क' में स्थित संलग्न अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार, ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखनेवाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उसमें संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर अवधारित करे।

इस धारा में कई बातें हैं जिनपर विचार करना आवश्यक है। आज किसी भी पद में चाहे वह सरकारी क्षेत्र का हो या गैर सरकारी, दाखिल होना है तो अंग्रेज़ी का गहरा ज्ञान आवश्यक है। लेकिन सरकारी कार्यालयों में जहाँ राजभाषा के रूप में हिन्दी और अंग्रेज़ी का समान रूप से स्वीकृति हो, भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेज़ी के गहरे ज्ञान के

साथ हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान तक को अनिवार्य नहीं बना दिया जाता है तो इसका उत्तरदायित्व किसको है। हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान तक न रखने वाले आवेदकों की नियुक्ति करने पर सालों से उनपर कई खर्चा करके प्रशिक्षण दिलवाने की कोशिश करने पर भी उनसे आवश्यक अनुपात में हिन्दी में कार्य न हो पाने से बेहतर अच्छा यह है कि हिन्दी का भी कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले आवेदकों की नियुक्ति करने पर उनसे हिन्दी में काम कराना तथा समय समय पर उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिलवाकर उनके हिन्दी में काम के स्तर को बढ़ाना।

राजभाषा नियम की धारा (7) के अंतर्गत बताया गया है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन आदि के लिए हिन्दी या अंग्रेज़ी का प्रयोग कर सकते हैं। हिन्दी में प्रस्तुत या 'हस्ताक्षरित' आवेदन आदि का उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा। इस प्रावधान में बताए गए 'हिन्दी में हस्ताक्षरित' इस प्रयोग को आधार बनाकर ऐसे हो रहे हैं कि वार्षिक कार्यक्रम में रखे गए हिन्दी पत्रों के अनुपात की लक्ष्यपूर्ति के लिए बहुत सारे सरकारी कार्यालयों में पत्र तो लिखते है अंग्रेज़ी में और हस्ताक्षर डालते हैं हिन्दी में। इसप्रकार आसानी से इस पत्र को हिन्दी में भेजे गए पत्रों में गिने जाते हैं। इसप्रकार अनेक कार्यालयों में सिर्फ दिखावटी रूप से हिन्दी का कार्यान्वयन हो रहे है। लेकिन उनका भी आधार राजभाषा संबन्धी नियमों का अज्ञान ही है।

राजभाषा नियम, 1976 की अंतिम धारा (12) के अनुसार राजभाषा अधिनियम और इन नियमों का नियमानुसार पालन का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख का होगा और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जाँच के लिए उपाय करना भी उनका दायित्व है। लेकिन वास्तव में आज ऐसा हो जाता है कि ये सभी उत्तरदायित्व प्रत्येक कार्यालय के राजभाषा अधिकारी को सौंप जाता है। इसलिए नियम का उद्धरण करके प्रशासनिक प्रमुख को सतर्क रखना भी पडता है।

राजभाषा संकल्प, 1968 में संविधान के अनुच्छेद 343 एवं 351 के अनुसार हिन्दी के प्रसार एवं विकास की गति बढाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार करने का संकल्प लिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि कार्यान्वयन की विस्तृत रिपोर्ट हर वर्ष राज्य सरकारों को भेजने के साथ-साथ संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएगी। इसीके अनुसार संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढावा देने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। इसी के आधार पर सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की प्रगति का मूल्यांकन कर लेता है।

राजभाषा संकल्प, 1968 में राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने के लिए त्रिभाषा-सूत्र (फार्मुला) लागू करने का प्रबन्ध करने का

निश्चय भी किया गया। इस 'त्रिभाषा-सूत्र' के अनुसार हिन्दी-भाषा क्षेत्रों में हिन्दी और अंग्रेज़ी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा पढायी जाए जिसमें दक्षिण भारतीय भाषाओं को तरजीह दी जाए। इसी प्रकार अहिन्दी - भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं और अंग्रेज़ी के साथ-साथ हिन्दी के अध्ययन की व्यवस्था करने का निश्चय किया गया। इस संकल्प से राष्ट्रीय एकता की लक्ष्यपूर्ति के साथ-साथ पूरे भारतवासियों को हिन्दी शिक्षण विद्यालयों में ही मिलने की व्यवस्था किया जा सकता है। लेकिन हिन्दी प्रदेशों में पहले ही दक्षिण भारतीय भाषा की जगह संस्कृत का अध्ययन हो रहा था। हाल ही में हिन्दीतर प्रदेशों में भी आठवीं कक्षा से लेकर सी.बी.एस.ई तथा ऐ.सी.एस.ई पाठ्यक्रम पर आधारित विद्यालयों में हिन्दी और संस्कृत को वैकल्पिक रूप से रखा गया है। अतः विद्यालयों में हिन्दी का अध्ययन न करनेवाले विद्यार्थियों की संख्या बढती है। इस कारण से उन्हें सरकारी कार्यालयों में हिन्दी में काम करने में कठिनाई होती है। यह स्थिति हिन्दी के विकास के लिए बाधक है। हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान तक न रखनेवाली इन कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलावने में कई साल गुज़र जायेंगे। तब तक इनकी पदनिवृत्ति हो जायेगी। फिर भी ऐसे ही हिन्दी के अशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति हो जायेगी और नए सिरे से प्रशिक्षण कार्य शुरू करेंगे।

अगर राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में अभीष्ट प्रगति हासिल करना है तो इस त्रिभाषा सूत्र का सही-सही पालन तथा उसका लक्ष्योन्मुख कार्यान्वयन सुव्यवस्थित रूप से पूरे भारत में कर लेना ज़रूरी है।

इस प्रकार राजभाषा संबन्धी भारत सरकार की संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि राजभाषा प्रबन्धन रूपी इमारत का आधार बहुत ही दुर्बल है। इन्हीं नियमों के आधार पर राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन की लक्ष्यपूर्ति अत्यंत दुष्कर है। किसी नियम के लागू होने के 30-40 साल बाद भी उस नियम का अनुपालन ठीक प्रकार से हो नहीं पा रहा तो समझना है कि समस्या नियम में ही अंतर्निहित है। अगर इन समस्याओं को ठीक तरह से संशोधित न किया जाए तो उसे दूर करना भी आवश्यक है।

संवैधानिक स्थिति में परिवर्तन की आवश्यकताएँ

स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय नेताओं ने हिन्दी को राष्ट्रीयता का आधार मानकर उसे संपूर्ण भारत को एक करने में वर्चस्व प्रदान किया था। आज़ादी के बाद सन् 1950 में संविधान की धारा 343 के अनुसार हिन्दी को राजभाषा का दर्जा तो मिला, लेकिन यह वरदान इस अभिशाप के साथ था कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि हिन्दी है पर हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग भी सरकारी कामकाज

में किया जा सकता है। इसी संदर्भ में कवि अज्ञेय का कथन महत्वपूर्ण है - "जब हम राजनीतिक दृष्टि से पराधीन थे, तब तो हमारे पास स्वाधीन भाषा थी। अब जब हम स्वाधीन हो गये, हमारी भाषाएँ पराधीन हो गईं।"[1]

राजभाषा के रूप में हिन्दी को प्रतिष्ठित करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर नियमों, अधिनियमों, संकल्पों, आदेशों आदि जारी करने के बावजूद भी आज राजभाषा हिन्दी अभीष्ट स्थिति तक पहूँच न पायी है तो इन नियमों की आधिकारिकता पर पुनर्विचार करना समीचीन महसूस होता है। नियम तो बनाते हैं लेकिन पालन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस बात को लेकर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। अभी तक कोई भी नियम ऐसा नहीं बनाया गया होगा कि अगर एक व्यक्ति को एतराज़ है तो वह लागू नहीं होगा। लकिन राजभाषा हिन्दी के मामले में नियम तो ऐसी शर्त पर बनाया गया है कि जब तक देश के सभी राज्य हिन्दी को न मानें, तब तक वह राजभाषा नहीं होगी। संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा देने के साथ यह आश्वासन देना संविधान की खिल्ली उडान के समान है।

आज राजभाषा हिन्दी के क्षेत्र में सबसे बडी समस्या प्रयोग और व्यवहार के स्तर पर उपेक्षा और उदासीनता की है। अधिकांश

---

1. डॉ. रामप्रकाश, डॉ. दिनेश गुप्त - प्रयोजनमूलक हिन्दी : संरचना एवं अनुप्रयोग, 1997 - पृ. 166

सरकारी दस्तावेज़ फार्म, पत्र-प्रपत्र आदि में अंग्रेज़ी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं के प्रयोग की स्थिति औपचारिक रूप से तो है, परन्तु व्यावहारिक रूप से मात्र अंग्रेज़ी का ही प्रयोग हो रहा है। हिन्दी अनुवाद के प्रति विभाग या अधिकारियों का कोई सरोकार नहीं होता है। वे इसका सारा दायित्व केवल राजभाषा विभाग या उसके अधिकारी पर छोड देते हैं। हिन्दी अनुवाद के कारण संस्था को कोई खतरा न आए, इसलिए दस्तावेज़ों में यह भी लिख दिया जाता है कि 'विवाद की स्थिति में इसका अंग्रेज़ी रूप ही मान्य होगा। ऐसी हालत में अनुवादक अनुवाद के साथ कहाँ तक न्याय कर पाता है, यह अपने आप में एक सवाल है। तब यह तो स्पष्ट ही है कि कार्यालयों में अनुवाद की व्यवस्था ही अनावश्यक बोझ माना जाता है। समय और धन का अधिक खर्च होने से सरकारी दस्तावेज़ों में द्विभाषिकता की स्थिति के बारे में कार्यालयों में एक नकारात्मक दृष्टिकोण विद्यमान है। इसी सन्दर्भ में 'क' और 'ख' क्षेत्र के राज्यों के सन्दर्भ में किसी खास मामले के कार्यों को छोडकर अन्य सभी कागज़ातों में द्विभाषिक स्थिति को समाप्त करनेवाला एक संशोधन संविधान में बहुत ज़रूरी है।

हमें यह तो तय करना चाहिए कि आखिर राजभाषा प्रबन्धन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? भारत सरकार के सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए विदेशी भाषा अंग्रेज़ी के प्रयोग को हटाकर वहाँ हिन्दी को प्रतिष्ठित करना ही राजभाषा प्रबन्धन का अंतिम लक्ष्य है।

जब तक भारतीय संविधान में अंग्रेज़ी को प्रमुखता रहेगी, तब तक यह संभव हो नहीं सकता। अब भी हिन्दी प्रगति के पथ पर रेंग रही है। अगर हिन्दी को मात्र राजभाषा बनाने के लक्ष्य की पूर्ती चाहिए तो संविधान में अंग्रेज़ी को प्रमुखता दिये जानेवाला प्रावधानों में संशोधन लाना चाहिए। साथ ही राजकीय प्रयोजनों में अंग्रेज़ी के प्रयोग की अंतिम समय-सीमा निर्धारित करनेवाला एक संशोधन भी ज़रूरी है।

आजकल अधिकतर बडे हिन्दी सम्मेलनों, संगोष्ठियों व अन्य कार्यक्रमों में हिन्दी के प्रति 'श्रद्धांजलि' का रुख ही अधिक रहता है और यदि कोई महत्वपूर्म प्रस्ताव रखा भी जाता है तो लम्बे अरसे तक विचारधीन रहकर वह प्रायः लुप्त हो जाता है। इसका अच्छा उदाहरण है दुनिया के विभिन्न स्थानों में हो रहे विश्व-हिन्दी सम्मेलन। पिछले पचास वर्षों में भारत सरकार ने हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए 250 करोड रुपए से ज्यादा खर्च किए। अभी तक सात विश्व हिन्दी सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। पहला विश्व हिन्दी सम्मेलन सन् 1975 में नागपुर में, दूसरा सम्मेलन सन् 1976 में मॉरीशस में, तीसरा सम्मेलन सन् 1983 में दिल्ली में, चौथा सम्मेलन सन् 1993 में पुनः मॉरीशस में, पाँचवाँ सम्मेलन सन् 1996 में ट्रिनीडाड में हुआ। इन पाँचवाँ सम्मेलन में यह भी स्वीकार किया गया कि पिछले सम्मेलनों में किए गए फैसलों को लागू नहीं किया गया। इसके बाद छठा सम्मेलन सन् 1999 में लंदन में तथा सातवाँ सम्मेलन 9 जून 2003

को सूरीनाम की राजधानी पारामारिबों में संपन्न हुआ। इन सभी विश्व हिन्दी सम्मेलनों में पारित प्रस्तावों को कभी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया गया। अब तक इनमें से केवल एक ही प्रस्ताव लागू हुआ है जो प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन में लिया गया, वर्धा में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का था।

अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे विश्व हिन्दी सम्मेलनों में लिए गए निर्णयों की हालत यह है तो मामूली हिन्दी बैठकों में लिए गए निर्णयों के बारे में क्या कहना है? प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा हिन्दी की प्रगति पर विचार करने के लिए तिमाही बैठकों का आयोजन भी हो रहे हैं और उनमें हिन्दी के प्रयोग को बढावा देने के लिए निर्णय भी अवश्य लिए जाते हैं, किन्तु उनके समुचित अनुपालन हेतु सही रास्ता अपनाने में उच्चाधिकारी हिचकिचाते हैं। कार्यालय में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में निरीक्षण की व्यवस्था भी है, लेकिन निरीक्षण के अंतर्गत अगर यह सिद्ध होता है कि नियमों तथा निर्णयों के ठीक से अनुपालन न हो रहा है, तो इसपर क्या कदम उठाना चाहिए, इसका उत्तर संविधान के राजभाषा संबन्धी प्रावधानों में कहीं भी सूचित नहीं है। नियमों के उल्लंघन पर कुछ न कुछ करने का प्रावधान सभी नियमों के साथ ही होता है। लेकिन राजभाषा संबन्धी संवैधानिक प्रावधानों में नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व कार्यालय के उच्चाधिकारी को देना तक उसकी कार्यवाही सीमित है। अगर उच्चाधिकारी

ही इसका उल्लंघन कर रहे हैं तो क्या करेंगे? इसी सन्दर्भ में नियम को सुस्पष्ट करना, इसकी अधिकारिकता को विश्वसनीय बनाना इसी उद्देश्य से राजभाषा संबन्धी संवैधानिक प्रावधानों में कुछ ऐसा परिवर्तन लाना तर्कसंगत सिद्ध होता है।

राजभाषा होते हुए भी हिन्दी आज अपने ही देश में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं कर पा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि हम सिद्धाँतों की बात तो करते हैं, परंतु व्यवहारिक रूप से उन सिद्धाँतों का पालन नहीं करते। हिन्दी के प्रचार प्रसार और विकास की योजनाएँ तो बनाई जाती हैं, परंतु उन्हें कार्यान्वित नहीं किया जाता। सन् 1968 और 1991 के संसदीय राजभाषा संकल्पों में संघ लोकसेवा आयोग द्वारा विभिन्न प्रशासनिक परीक्षाओं में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को उपयुक्त माध्यम बनाने का प्रावधान होने के बावजूद, इस ओर से सम्बद्ध अधिकारीगण उदासीन हैं। दिसम्बर 1989 में संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा था - "सभी भर्ती परीक्षाओं के लिखित प्रश्नपत्रों में और साक्षात्कार में भी हिन्दी के प्रयोग की सुविधा दी जाए। सभी प्रश्नपत्र हिन्दी में भी अनिवार्य रूप से छपें। जहाँ अंग्रेज़ी का एक पृथक प्रश्नपत्र अनिवार्य है वहाँ उसके विकल्प में हिन्दी भाषा का प्रश्नपत्र भी रखा जाए।" फिर भी अनेक प्रशासनिक परीक्षाओं में हिन्दी का विकल्प नहीं दिया जा रहा। 'सिद्धांत को 'व्यवहार' में कार्यान्वित न करने की यही प्रवृत्ति को संविधान द्वारा

ही समाप्त कर देना राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की अभीष्ट प्रगति की प्राप्ती हेतु ज़रूरी है। इसके लिए सभी नियमों के व्यवहार को सुव्यवस्थित करनेवाला एक नियम को भी बनाए जाना चाहिए। इसप्रकार राजभाषा कार्यान्वयन संबन्धी कुछ प्रभावशाली कार्यों को संविधान में जोड़ देना आवश्यक ही है।

परिवर्तन का प्रबन्धकीय पक्ष

राजभाषा कार्यान्वयन को गतिशील बनाने के लक्ष्य से राजभाषा संबन्धी संवैधानिक प्रावधानों में परवर्तन करने में बड़ी सावधानी अपनानी चाहिए। इसलिए ही प्रबन्धन की आवश्यकता इस संदर्भ में महत्वपूर्ण सिद्ध होता है।

राजभाषा कार्यान्वयन संबन्धी कार्यप्रणालियों में बदलाव लाने के लिए सिफारिशें विद्वानों द्वारा कई सालों से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। लेकिन व्यावहारिक रूप से इसका प्रयोग कहीं पर भी नहीं हो रहा है। स्वतंत्रता की 40 वीं वर्षगांठ पर पं. जवाहरलाल नेहरु की जन्मशती के उपलक्ष्य में 16 सितम्बर 1988 को विज्ञान भवन में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री. राजीव गाँधी उपस्थित थे। इस अवसर पर विचार गोष्ठी का भी आयोजन हुआ जिसमें विषय मर्मज्ञों के गहन विचार विमर्श के बाद निम्न लिखित तथ्य उभरे -

1) राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम अनुपालन उच्च स्तर से सुनिश्चित किया जाए।

2) भर्ती के समय साक्षात्कार हेतु पहले प्रश्न हिन्दी में पूछे जाएँ।

3) कार्यसाधक ज्ञान रखनेवालों को कुछ कार्य अनिवार्य कर दिया जाए।

4) शिक्षा नीति निर्धारित करते समय राजभाषा नीति का भी ध्यान रखा जाए।

5) 'क' और 'ख' क्षेत्रों में धारा 3(3) के कागज़ातों को केवल हिन्दी में जारी किया जाए।

6) केवल द्विभाषी उपकरण ही खरीदे जाएँ।[1]

अगर इन सिफारिशें का अनुपालन समय पर कर दिया होता तो अब हम राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में दुगुनी प्रगति हासिल कर सकते थे। इस सम्मेलन के बाद अब बीस साल बीत चुके हैं। लेकिन राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति अब भी बेहतर कही नहीं सकती।

प्रबन्धकीय दृष्टि से देखें तो परिवर्तन लाना है राजभाषा नीति के आधार से अर्थात् संविधान में ही। अंग्रेज़ी भाषा तथा शिक्षण व्यवस्था के प्रति झुकाव बढते इस ज़माने में संविधान के साथ साथ

---

1. जयशंकर यादव, राजभाषा हिन्दी - प्रगति के विविध आयाम, (2001), पृ. 146

लोगों की मानसिकता में भी बदलाव आना ज़रूरी तो है। लेकिन मानसिकता में बदलाव आना है तो परिवेश बदलना चाहिए। परिवेश बदलने में नियमों की भागीदारी नकारा नहीं सकता। तो अब समय आ गया है कि राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की प्रगति के लिए कुछ व्यावहारिक बदलाव किए जाएं। इसके लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि राजभाषा अधिनियम् 1963 में परिवर्तित परिस्थितियों को देखते हुए यथास्थान उचित संशोधन किए जाएँ। तत्सम्बन्धी कुछ सुझाव इस प्रकार है -

1) राजकीय प्रयोजनों में अंग्रेज़ी के प्रयोग की अंतिम समय सीमा निश्चित की जाए। कम से कम 'क' व 'ख' क्षेत्रों में इसे अनिवार्य रूप से घोषित किया जाए।

2) जिन राज्यों ने अन्य राज्यों तथा केन्द्र से पत्राचार के लिए हिन्दी को अभी तक नहीं अपनाया है, उनके लिए भी इसकी अंतिम समय-सीमा निश्चित की जाए।

   (अन्यथा वह नियम ऐसे ही चलता रहेगा और कभी भी वे राज्य स्वेच्छा से हिन्दी को नहीं अपनाएगा।)

3) राजभाषा अधिनियम, का प्रसार निजी क्षेत्र पर भी किया जाए (विशेषकर 'क' व 'ख' क्षेत्रों में) ताकि इसके प्रयोग की स्थिति में कार्यालयों एवं जनसामान्य के मध्य उचित सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

   (जो भी हो ये निजी क्षेत्र भी भारत देश का ही अंग है)

4) द्विभाषिकता की अनिवार्यता से यथा अपेक्षित छूट का प्रावधान किया जाए।

इसी प्रकार राजभाषा नियम, 1976 में भी कुछ परिवर्तन अपेक्षित हैं -

1) इन नियमों का विस्तार तमिलनाडु राज्य पर भी किया जाए तथा इसके लिए यथाशीघ्र उचित तरीख निश्चित की जाए।

(जब तक तमिलनाडु भारत देश का एक अंग है, देश के नियम से सिर्फ उसे अलग रखना उचित नहीं है। नियम तो पूरे भारत के लिए एक समान होना चाहिए।)

2) इन का प्रसार निजी क्षेत्र पर भी किया जाए।

3) क्षेत्र 'क' व 'ख' से क्षेत्र 'ग' के केन्द्र सरकारी कार्यालयों को हिन्दी में पत्र भेजने की अनुमति दी जाए तथा उनका अनुवाद भेजने की अपेक्षा समाप्त की जाए।

(केन्द्र सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान अनिवार्य करना है। 'ग' क्षेत्र के केन्द्र सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए भी यह नियम बाधक है।)

4) 'क' एवं 'ख' क्षेत्र के राज्यों के संदर्भ में द्विभाषिक स्थिति समाप्त कर दी जाए।

(अब इस छूट के कारण मातृभाषा हिन्दी वाले कर्मचारी / अधिकारीगण भी अंग्रेज़ी प्रयोग को ही वरीयता देते हैं।)

5) कई जगह 'असाधारण स्थिति' में हिन्दी की बजाय अंग्रेज़ी के प्रयोग की छूट है। उसे भी तुरन्त हटा दिया जाना चाहिए (कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी स्थिति को 'असाधारण' सिद्ध कर सकता है।)

इन मूलभूत परिवर्तनों के आधार पर निश्चय ही राजभाषा कार्यान्वयन की गति तीव्र हो सकेगी, क्योंकि वर्तमान स्थिति में आम धारणा यह है कि राजभाषा नीति पूर्ण व्यापक व सक्षम नहीं है और तत्संबंधी नियमों के अनुपालन में चूक करने से किसी प्रकार का अहित नहीं है।

राजभाषा कार्यान्वयन संबन्धी नियमों को सक्षम तथा सख्त बनाने में ये परिवर्तन सहायक होंगे और इनसे राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में अपेक्षित सुधार भी हो सकेगा। लेकिन नियमों में परिवर्तन लाने के साथ साथ लोगों के मन में राजभाषा हिन्दी के प्रति अवरोध को हटानेवाला प्रयास भी कर देना ज़रूरी है। अन्यथा 'हिन्दी थोपे जाने' की शिकायत वे करते रहेंगे। जनता को राजभाषा हिन्दी के प्रति मानसिक अवरोध को दूर करने में सहायक कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं।

1) भाषा की शुद्धि का विशेष आग्रह न करते हुए हिन्दी भाषा के प्रयोग का आग्रह किया जाए। सरकारी कामकाज में इस्तेमाल की जानेवाली हिन्दी सरल और सुबोध होनी चाहिए, जटिल और

बोझिल नहीं। लिपि देवनागरी होने से दूसरी भाषाओं के प्रचलित कामचलाऊ शब्दों का प्रयोग भी उपयुक्त होगा। अधिकांश अहिन्दी भाषा-भाषी सरकारी कर्मचारी हिन्दी में बोलने, लिखने या काम करने में झिझकते हैं कि हमसे गलती न हो जाए। इसलिए संप्रेषण-संचार की सरलता को मुख्य उद्देश्य बना कर सामान्य बोलचाल, बातचीत और कामकाज में प्रचलित शब्दों के प्रयोग करने से अवश्य ही राजभाषा की चेतना आगे बढ सकेगी।

2) ऊपरी औपचारिकता जैसे पत्रशीर्ष, लिफाफे, नामपट्ट आदि पर हिन्दी अंकित होने की अधिक परवाह न करके, उसके भीतर की वास्तविक सामग्री को (बर्तनी या व्याकरण की सामान्य भूलों की परवाह किये बिना) देवनागरी हिन्दी में लिखने पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही प्रतिदिन एक शब्द या एक पदबंध सिखाने के उद्देश्य से कार्यालयों में श्याम पट पर हिन्दी में शब्द या पदबंध अंग्रेज़ी अनुवाद के साथ लिखने के कार्य को भी पुनर्नियोजित करना चाहिए। भाषा मात्र शब्द व पदबंध नहीं है। इसलिए खाना पूरी के रस्म अदायगी के तौर पर इस कार्य को निभाने की रीति पर पुनःविचार करके इस कार्य से कुछ प्रयोजन की सिद्धी को लक्ष्य करके इसमें परिवर्तन लाना चाहिए।

3) हिन्दी-दिवस, हिन्दी समिति, कार्यान्वयन समितियाँ, तिमाही रिपोर्ट एवं जाँच बिंदु आदि खाना पूरी के तौर पर न रहें। इन सब का

वास्तविक लक्ष्य कर्मचारी / अधिकारी वर्ग में देवनागरी - हिन्दी के प्रयोग की मानसिकता बनाने का विशेष प्रयास होना चाहिए। वार्षिक कार्यक्रम बनाते समय यह ध्यान में रखना कि हिन्दी जाननेवालों से शत प्रतिशत काम हिन्दी में ही कर लेने की व्यवस्था होनी चाहिए। हिन्दी में हस्ताक्षर करना कोई हिन्दी में काम करना नहीं है। इसे किसी भी प्रकार की गिनती में न लेना चाहिए।

4) विशेष रूप से सम्बद्ध कार्यालय, विभाग, मंत्रालय, प्रतिष्ठान का अधिकारी वर्ग नौकरशाही परंपरा त्यागकर जनतंत्र केन्द्रित मानसिकता बनाएँ। अंग्रेज़ों की उपनिवेशवादी शासन व्यवस्था में शासक और प्रजा की भाषा में जो अंतर होता है, वही आज भी हमारे देश में मौजूद है। हमें इस तंत्र में परिवर्तन लाकर राजकाज का जनतंत्रीकरण करना होगा। यह तभी संभव होगा जबकि राजकाज जनता की भाषा में चले। जब राजकाज में लगे लोग यह सच्चाई को समझकर हिन्दी को अपनी राजभाषा स्वीकृत करेंगे, तभी संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी का समुचित प्रतिष्ठापन संभव होगा।

5) अंग्रेज़ी के स्थान पर हिन्दी और प्रान्तीय भाषाओं में अधिकाधिक प्रशासकीय काम-काज करने और तदनुकूल वातावरण बनानेवालों का सार्वजनिक अभिनन्दन किया जाए।

आज राजभाषा कार्यान्वयन की समग्र स्थिति का आकलन करने से स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी कार्यान्वयन के लक्ष्य में उपेक्षा की स्थिति और संकोच की प्रवृत्ति; दोनों ही समानरूप से अवरोध उत्पन्न करने वाले तत्व हैं, किन्तु इनमें से भी उपेक्षा की स्थिति को राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन की असफलता के लिए अधिक उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यदि उपेक्षात्मक रुख को परिवर्तित करने हेतु सार्थक पहल किए जा सके तो संकोच की प्रवृत्ति अपने आप ही किसी सीमा तक समाप्त हो सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि सरकारी समारोहों, आयोजनों और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में उच्च नेताओं तथा अधिकारियों द्वारा ही हिन्दी को उचित स्थान दिया जाए, ताकि एक अनुकूल परिवेश निर्मित हो सके और 'ऊपर' से चली यह लहर देश के सभी वर्गों को पूर्णतया आत्मसात कर सके अन्यथा केवल वर्तमान ढाँचे को लेकर चलने से हिन्दी को अपनी लक्ष्यसिद्धी के लिए एक लम्बा और दुरूह मार्ग तय करना होगा। साथ ही नियमों में यथावश्यक परिवर्तन करते हुए यदि एक स्वस्थ मानसिक वातावरण का निर्माण किया जाए तो सच्चे अर्थों में राजभाषा के रूप में हिन्दी स्वयं ही समुचित प्रतिष्ठा अर्जित कर लेगी, इसमें कोई संदेह नहीं।

प्रबन्धन के सृजनात्मक आयाम

सन् 1998, नवम्बर 24 को संसदीय राजभाषा समिति द्वारा विधायक की भाषा तथा न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में प्रयोग की

जानेवाली भाषा से संबंधित प्रतिवेदन का 5वाँ खण्ड राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया था। उसकी सिफारिशों पर विचार करके राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित विषयों पर आदेश जारी किया गया था।

1. राजभाषा विभाग का सुदृढ़ीकरण तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की मानीटरिंग।
2. विधेयकों आदि का पुरःस्थापन के लिए मूल प्रारूपण की भाषा।
3. लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों द्वारा संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन।
4. उच्चतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में राजभाषा नीति का अनुपालन।
5. उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में भाषा का प्रयोग।
6. उच्चतम न्यायालय / उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग।
7. उच्च न्यायालयों में निर्णयों / कार्यवाहियों में भाषाओं का प्रयोग।
8. संघ के न्यायिक कल्प संगठन, प्रशासनिक अधिकरण आदि में राजभाषा नीति का अनुपालन
9. हिन्दी माध्यम से विधि की शिक्षा।[1]

---

1. राजभाषा सं 1/20012/4/92-रा. भा. (नी-1) भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, 1998

सितम्बर, 2004 ई को भी संसदीय राजभाषा समिति द्वारा विदेश स्थित भारतीय दूतावासों, उच्चयोगों, कार्यालयों, उपक्रमों, बैकों आदि में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति तथा केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के कार्यालयों के बीच परस्पर पत्र व्यवहार में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग से संबंधित प्रतिवेदन का छठा खण्ड राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया था। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(3) के अनुसार इसे भी लोकभाषा के पटल पर तथा राज्यसभा के पटल पर रखा गया था। इसकी प्रतियों भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों तथा राज्यों / संघ राज्यपक्षों की सरकारों एवं विभिन्न मंत्रालयों / विभागों से प्राप्त मत पर विचार करने के बाद समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को मूल रूप में या कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार करने का निर्णय भी लिया गया था। तदनुसार राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(4) के अधीन समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों पर राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया। उन सिफारिशों का कुछ उदाहरण निम्नलिखित है -

- उच्च शिक्षा में शिक्षण का माध्यम हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को बनाए जाने संबन्धी सिफारिश पर शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग आवश्यक कार्रवाई करे। (संस्तुति सं. 11.4.1.5)

- राजभाषा संकल्प, 1968 के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न भर्ती नियमों की समीक्षा संबंधी सिफारिश पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग शीघ्र अपेक्षित कार्रवाई करे। (संस्तुति सं. 11.4.3.10)

- गोपनीय रिपोर्ट में राजभाषा के संबंध में प्रविष्ठियाँ किए जाने संबंधी सिफारिश पर कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग शीघ्र समुचित कार्रवाई करे। (संस्तुति सं. 11.4.4.1)

- लिपिक / टंकक / आशुलिपिक की भर्ती करते समय हिन्दी टंकण / हिन्दी आशुलिपि का ज्ञान रखनेवाले को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। (संस्तुति सं. 11.10.11)

- 'क' क्षेत्र में स्थित मंत्रालय / विभाग / कार्यालय आदि द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों से अंग्रेज़ी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाए। (संस्तुति सं. 11.10.24)[1]

13 जुलाई, 2005 को भी राजभाषा विभाग द्वारा संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों पर राष्ट्रपति का आदेश जारी किया गया था। उस प्रतिवेदन के विषय थे सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग हेतु प्रचार-प्रसार, सरकारी कामकाज में प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों से जुडे प्रकाशकों की हिन्दी में उपलब्धता, राज्यों में

---

1. सं. 12021/02/2003-रा.भा (का.-2), भारतसरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, 2004

राजभाषा हिन्दी की स्थिति, वैश्वीकरण और हिन्दी, कंप्यूटरीकरण एक चुनौती आदि[1], इनमें से भी अधिकांश सिफारिशों को मूल रूप में या कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार करने का निर्णय लिया गया था।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3), राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5, हिन्दी में पत्राचार, प्रकाशन कोड-मैनुअल एवं प्रशिक्षण इत्यादि से संबंधित राष्ट्रपति के आदेशों के अनुपालन की स्थिति का मंत्रालयवार / क्षेत्रवार मूल्यांकन, केन्द्र सरकार के कार्यालयों में पुस्तकों की खरीद, कंप्यूट्टरीकरण और हिन्दी, भर्ती नियमों में हिन्दी ज्ञान की अनिवार्यता शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थाओं में हिन्दी माध्यम की उपलब्धता, हिन्दी विज्ञापनों पर व्यय तथा सार्वजनिक उपक्रमों के वाणिज्यिक कार्यों में हिन्दी के प्रयोग आदि से संबंधित प्रतिवेदन का आठवां खण्ड राष्ट्रपति जी को दिनांक 16.08.2005 को प्रस्तुत किया गया। इनमें से सभी सिफारिशों को स्वीकृत न करने पर भी अधिकांश सिफारिशों को मूल रूप से या कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार 2 जुलाई, 2008 ई. को राष्ट्रपति का आदेश भी जारी किया गया। इन सिफारिशों में से स्वीकृत तथा अस्वीकृत सिफारिशों के कुछ उदाहरण नीचे दिया गया है।

---

1. सं. 11011/5/2003 रा. भा (अनु) भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 2005

क्र.सं. स्वीकृति सिफारिशों	क्र.सं. अस्वीकृत सिफारिशों
1. 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में उच्च शिक्षा अर्थात् विश्वविद्यालयों में इंजीनियरी, कंप्यूटर शोध, तकनीकी विषयों आदि की शिक्षा हिन्दी माध्यम से भी दी जाए एवं पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकें भी हिन्दी में तैयार की जाएं।	1. समिति ने चौथे खंड में सिफारिश की थी कि 'क' क्षेत्र में केवल संसद के समक्ष रखे जाने वाले कागज़ानों को छोडकर सभी कागज़ात केवल हिन्दी में जारी किए जाएं। 'क' क्षेत्र में अद्यतन स्थिति को देखते हुए समिति पुनः यह सिफारिश करती है कि उपरोक्त कागज़ातों के अतिरिक्त राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आनेवाले सभी कागज़ातों के संबंध में अंग्रेज़ी की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाए। जिन राज्यों में अभी तक हिन्दी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, गृह मंत्रालय द्वारा पहल करके उनसे चर्चा की जाए कि वह अपने राज्य की राजभाषा के
2. क्रेडिट कार्ड, ए.टी.एम. आदि सेवाओं को भी हिन्दी अथवा द्विभाषी करवाया जाये।	
3. जब भी कोई मंत्रालय/विभाग या उसका कोई कार्यालय या उपक्रम अपनी वेबसाइट तैयार करे तो वह अनिवार्य रूप से द्विभाषी तैयार किया जाए195। जिस कार्यालय का वेबसाइट केवल अंग्रेज़ी में है उसे द्विभाषी बनाए जाने की कार्रवाई की जाए।	
4. सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनिवार्य रूप से हिन्दी विभाग	

खोले जाएँ और उनमें स्नातकोत्तर स्तर के हिन्दी पाठ्यक्रम उपलब्ध होने चाहिए। 5. उपक्रमों / निगमों के ब्रोशर, बिल-वाउचर जैसी मुद्रित सामग्री और प्रचार-प्रसार संबंधी समस्त सामग्री अनिवार्य रूप से हिन्दी अथवा द्विभाषी रूप में प्रकाशित की जाए। 6. विदेश मंत्रालय सभी पासपोर्ट कार्यालयों में उपलब्ध कंप्यूटरों पर द्विभाषी रूप में काम करने की सुविधा उपलब्ध करवाए ताकि पासपोर्टों में प्रविष्टियाँ द्विभाषी हों और उन्हें द्विभाषी जारी किया जा सके।	साथ-साथ हिन्दी को भी राजभाषा का दर्जा प्रदान करें। 2. वर्ष 2008 से केन्द्रीय सरकारी सेवा में आने से पहले ही 'क', 'ख', 'ग' तथा 'घ' सभी वर्गों में होनेवाली सीधी भर्ति के दौरान ही हिन्दी संबन्धी ज्ञान की न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जाय ताकि बाद में प्रशिक्षण संबंधी तमाम परेशानियों एवं बाध्यताओं से बचा जा सके। हिन्दी संबंधी न्यूनतम योग्यता भी 'क', 'ख' तथा 'ग' वर्ग के मामले में कम-से-कम दसवीं कक्षा अथवा उसमें अधिक हो सकती है। वर्ग 'घ' के लिए यह योग्यता मिडिल/आठवीं कक्षा तक शिथिल की जा सकती है।[1]

1. संख्या 1/20012/07/2005 - श. भा (नीति-1) भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

इसप्रकार समय समय पर राजभाषा हिन्दी की प्रगति को लक्ष्य करके राष्ट्रपति के कई आदेश जारी किए जा रहे हैं। लेकिन जारी करने के साथ साथ उसका कार्यान्वयन पर भी ध्यान रखना आवश्यक है। क्योंकि राजभाषा संकल्प के चौथे भाग में केन्द्र सरकार की नौकरियों में परीक्षा माध्यम पर हुए निर्णय को सन् 1991 में संसद में दोहराने पर भी अभी तक लागू नहीं हुआ है। इसलिए ऊँचे स्तर पर राष्ट्रपति के आदेशों के अनुपालन की कार्रवाई पर निगरानी रखने और इनका कार्यान्वयन कराने के लिए राजभाषा विभाग को दायित्व है। साथ ही मंत्रालयों / विभागों और उनसे संबंधित कार्यालयों, उपक्रमों, संस्थानों आदि में कार्यरत राजभाषा प्रबन्धक को नए रूप से जारी किए जा रहे इन आदेशों से अवगत होना तथा कार्यालय के उच्च अधिकारी को भी इन आदेशों के बारे में अवगत करना राजभाषा प्रबन्धन की सफल कार्यवाही के लिए ज़रूरी है।

❖❖❖

उपसंहार

उपसंहार

अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जानेवाली तथा प्रचलित भाषा होने के नाते स्वाधीनता आँदोलन की दौर में भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी स्वीकृत हो चुकी थी। गाँधीजी की प्रेरणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में उस समय सभी प्राँतों के विद्वानों, साहित्यकारों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने हिन्दी में बोलने व भाषण देने की पहल की। परिणामस्वरूप स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। संविधान द्वारा इस महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा के बाद साठ साल बीतने को है। पिछले उनसठ वर्षों से भारत भर के सरकारी कार्यालयों में हिन्दी राजभाषा के रूप में प्रयुक्त भी है। लेकिन उसकी जो वाँछित प्रगति होनी चाहिए थी, वह अभी तक हुई नहीं है।

इस अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि इस समस्या का सबसे प्रमुख कारण है राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में प्रबन्धकीय भूमिका का अभाव। यदि किसी कार्य में हम लक्ष्य पाना चाहते हैं तो उसे सुचारू रूप से कार्यान्वित करना ही होगा। अतः इस शोध कार्य में राजभाषा कार्यान्वयन को प्रबन्धकीय दृष्टि से विश्लेषित करके यह सुझाने का कार्य किया गया

है कि राजभाषा प्रबन्धन को कैसे अधिकाधिक प्रभावशाली बना दिया सकता है और राजभाषा कार्यान्वयन अपना इच्छित लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है।

26 जनवरी 1950 में पारित भारतीय संविधान के भाग 5, 6 तथा 17 में राजभाषा संबन्धी अनेक प्रावधान हैं। इनमें भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद की 'भाषा' से संबन्धित,भाग 6 के अनुच्छेद 210 में राज्य के विधानसभाओं से सम्बन्धित निर्देश दिए गए हैं। 17 वें भाग के अन्तर्गत चार अध्यायों में अनुच्छेद 343 से 351 तक कुल 9 अनुच्छेदों में संघ की राजभाषा सम्बन्धी उपबन्ध प्रस्तुत किए गए हैं।

इन संवैधानिक उपबंधों के अलावा राजभाषा संबन्धी नीति निर्णयों को राजभाषा अधिनियम 1963 (यथा संशोधित 1967), राजभाषा संकल्प 1968, राजभाषा नियम 1976 (यथा संशोधित 1987) राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए निदेशों द्वारा भी प्रकाशित किए गए हैं।

इन संवैधान प्रावधानों का निष्प्राण कार्यान्वयन से राजभाषा का सही कार्यान्वयन नहीं हो सकता है। इसके लिए राजभाषा संबन्धी कार्यों में प्रबन्धकीय दृष्टि अपनाकर नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वयन तथा नियंत्रण आदि प्रबन्धन के तत्वों तथा सिद्धांतों का प्रयोग भी राजभाषा कार्यान्वयन क्षेत्र में अनिवार्य हो गया है।

राजभाषा प्रबन्धन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत राजभाषा हिन्दी के अभीष्ट प्रयोग के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राजभाषा से सम्बद्ध समस्त कार्यव्यापारों का निरूपण, प्रवर्तन एवं पुनर्विलोकन जैसे कार्यों को सुव्यवस्थित रूप से समेकित किया गया है।

राजभाषा प्रबन्धन का क्षेत्र मात्र प्रशासनिक मामलों जैसे गैर तकनीकी पत्राचार, टिप्पण और अनुवाद तक सीमित न होकर उसे वैज्ञानिक, व्यावसायिक, प्रौद्योगिक, शोध, विज्ञापन, शिक्षा आदि क्षेत्रों में भी प्रयोग में लाना चाहिए। तभी सही मायने में राजभाषा हिन्दी का कार्यान्वयन हो सकता है।

संगठन विशेष के राजभाषा कार्यक्रमों की गतिशीलता, प्रभावोत्पादकता एवं कार्य-निष्पादन क्षमता को प्रत्यक्षतः एवं सर्वाधिक प्रभावित करनेवाली बात है कि कार्यरत राजभाषा प्रबन्धकों का उच्चविचार, सकारात्मक एवं गतिशील क्रियान्वयन, व्यवहार कुशलता आदि। अतः राजभाषा हिन्दी के सफल कार्यान्वयन की लक्ष्य प्राप्ति में राजभाषा प्रबन्धक को भी अहम भूमिका निभानी है।

इस अध्ययन के ज़रिए आज राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में जिन मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड रहा है, इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके तथा उन समस्याओं का प्रबन्धकीय स्तर पर विश्लेषण करके इनका समाधान ढूँढने की कोशिश की गयी है। सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढावा देने के उद्देश्य से आज प्रोत्साहन, प्रशिक्षण, निरीक्षण आदि बहुत अधिक प्रावधान उपलब्ध हैं। उनका

सदुपयोग करने से तथा राजभाषा संबन्धी सभी नीति-नियमों से कार्यालय के सभी कर्मचारियों को अवगत कराने से इन समस्याओं को किसी हद तक समाप्त किया जा सकता है। लेकिन वे ही पर्याप्त नहीं है उन्में औपचारिक यांत्रिकता का बोझ है। उससे मुक्त होना भी आवश्यक है।

भारत सरकार के अधीन विभिन्न प्रकार के कार्यालय कार्यरत हैं जैसे विभिन्न मंत्रालयों के विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, शोध संस्थान, बैंक, बोर्ड आदि। प्रत्येक कार्यालय के अपने नियम होते हैं। लेकिन राजभाषा कार्यान्वयन के प्रकरण में विचार करते समय यह असमानता कई प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न करती हैं। प्रत्येक कार्यालय के गठन के पीछे कुछ मुख्य उद्देश्य होते हैं। उसके अनुरूप एक कार्यालय दूसरे से भिन्न होता है। यदि अपने-अपने ढंग से ये सभी कार्यालय राजभाषा हिन्दी का कार्यान्वयन करें तो अपेक्षित लक्ष्य तक पहूँच पाना मुश्किल है। राजभाषा कार्यान्वयन को लेकर समानता की सख्त ज़रूरत है, चाहे कार्यान्वयन शोध संस्थान में संपन्न हो रहा हो, सामान्य सरकारी कार्यालय में हो या किसी बैंक में। यह समानता हिन्दी पदों की नियुक्ति से लेकर कार्यान्वयन के समस्त कार्यकलापों में आवश्यक है। राजभाषा का प्रसंग राष्ट्र की भाषिक नीति से संबन्धित है। उसके सही कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त गंभीरता और समर्पण की भावना अनिवार्य है। इसलिए सभी कार्यालयों में समान ढंग से उसको क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी का है। अतः राजभाषा प्रबन्धन भी उससे अछूता नहीं रह सकता। राजभाषा प्रबन्धन को व्यवस्थित करने

में, उसमें गति लाने में, उसको सरल बनाने में, साधन संपन्न बनाने में, लक्ष्योन्मुख बनाने में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। द्विभाषी कंप्यूटर का आविष्कार राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में नया मोड ला सका। रोमन लिपि से देवनागरी में लिप्यंतरण, अनुवाद आदि के लिए विशेष सोफ्टवेयरों के साथ साथ द्विभाषी शब्दसंसाधक भी आज बाज़ार में उपलब्ध हैं। ई-लेर्निंग के ज़रिए हिन्दी भाषा शिक्षण, कंप्यूटर द्वारा हिन्दी स्पीच को हिन्दी टेक्स्ट में लिप्यंतरण करनेवाला सोफ्टवेयर आदि का भी आज विकास किया गया है। राजभाषा प्रबन्धन के क्षेत्र में हिन्दी सोफ्टवेयर और कंप्यूटिंग की वर्तमान स्थिति बहुत आशाजनक है। लेकिन प्रतिदिन बदलती प्रौद्योगिकी के साथ राजभाषा हिन्दी को भी आगे बढाना है तो हिन्दी को अपनी सामान्य भूमिका को छोडकर एक प्राकार्यात्मक भाषा का रूप धारण करना होगा। साथ ही साथ राजभाषा संबन्धी संवैधानिक प्रावधानों में भी वर्तमान युगीन सामाजिक तथा राजनैतिक परिवेश के अनुरूप कुछ बदलाव लाना ज़रूरी है।

भारत सरकार के राजभाषा संबन्धी संवैधानिक उपबद्ध के अनुच्छेद 343, खण्ड (2) के अंतर्गत ऐसा एक प्रावधान रखा गया है कि संघ की राजभाषा हिन्दी होने के बावजूद भी संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की अवधि तक संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। इसी अनुच्छेद के खण्ड तीन में उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात् भी विधि द्वारा अंग्रेज़ी भाषा को शासकीय

प्रयोजनों के लिए प्रयोग का उपबंध किया गया है। बाद में इन्हीं उपबंधों के आधार पर बनाया गया राजभाषा अधिनियम 1963 द्वारा अंग्रेज़ी को अबाधित कालातीत अधिकार मिल जाने का प्रावधान किया गया।

राजभाषा हिन्दी का कार्यान्वयन अभीष्ट स्थिति तक पहूँच न पाने का मुख्य कारण हिन्दी के प्रति यही दोहरी नीति ही है। इसलिए राजभाषा प्रबन्धन को सफल बनाने के लिए संविधान में संशोधित करके शासकीय प्रयोजनों में अंग्रेज़ी के प्रयोग की अंतिम समय-सीमा निश्चित की जाने तथा कम से कम 'क' एवं 'ख' क्षेत्र के राज्यों के सन्दर्भ में कुछ खास मामलों के कार्यों को छोडकर अन्य शासकीय कार्यकलापों में द्विभाषित स्थिति को समाप्त कर देना ज़रूरी है।

इस अध्ययन में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन की समस्याओं को प्रबन्धकीय तरीके से सुलझाने के प्रयास के दौरान निम्नलिखित सुझाव विचारार्थ प्रस्तुत किये गये हैं :

- **राजभाषा संबन्धी संवैधानिक प्रावधानों में दो प्रमुख संशोधन।**
- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निर्देशों में समग्र परिवर्तन।
- भिन्न स्वभाव के सभी कार्यालयों में राजभाषा नीति और राजभाषा कार्यान्वयन में समानता।
- **संसदीय राजभाषा समिति के कार्यों में परिवर्तन।**
- राजभाषा कार्यान्वयन को पूर्णतः प्रौद्योगिकी से जोड़ देना।

- नए हिन्दी सोफ्टवेयरों के आविष्कार के लिए प्रयत्नरत होना।
- प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा प्रबन्धन को प्रबन्धकीय ढंग से प्रभावशाली बनाने का उत्तरदायित्व सर्वोच्च अधिकारी को सौंप देना।
- राजभाषा प्रशिक्षण सभी कार्यालयों के सभी विभागाध्यक्षों को दिया जाना।
- इन समस्त कार्यकलापों का निर्धारित समयावधि के भीतर प्रगति संबन्धी निरीक्षण करना।
- निरीक्षण के उपरांत पाए जानेवाले कमज़ोर पक्षों पर पुनर्विचार और कार्यान्वयन विधि में आवश्यक परिवर्तन लाना।

प्रबंधन के प्रयोजनों को राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में भी उपलब्ध कराने के लिए भारतीय प्रबन्धन संस्थान के विशेषज्ञों के माध्यम से समस्त राजभाषा कार्यान्वयन का पुनः विश्लेषण और निर्धारित समय सीमा में उनके द्वारा निर्देशित सुझावों का कार्यान्वयन बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। अगर उन निर्देशों का यथोचित गौरव के साथ कार्यान्वयन करेंगे तो बहुत जल्द ही हम राजभाषा कार्यान्वयन में वाँछित प्रगति हासिल कर पाएँगे। राजभाषा कार्यान्वयन को राष्ट्र की सांस्कृतिक दृष्टि के प्रकरण में ही देखना है। उसकी यह अस्मिता का सवाल है। यदि हम 2020 तक प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता हासिल करने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो उसमें निहित तथ्य भी देश की अस्मिता से संबन्धित है। उसी तरह की आत्मनिर्भरता राजभाषा के लिए भी अनिवार्य है।

❖❖❖

संदर्भ ग्रंथसूची

1. हिन्दी भाषा का समाजशास्त्र — रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव
राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड
2/38 अंसारी मार्ग
दरियागंज, नई दिल्ली-110002

2. प्रयोजनमूलक हिन्दी : विविध परिदृश्य — डॉ. रमेश चन्द्र त्रिपाठी
डॉ. पवन अग्रवाल
अलका प्रकाशन
34/6, एच.ए.एल. कॉलेनी
रामादेवी, कानपुर-208007
सं. 2001

3. प्रयोजनमूलक हिन्दी : संरचना एवं अनुप्रयोग — डॉ. रामप्रकाश
डॉ. दिनेश गुप्त
राधाकृष्ण प्राइवेट लिमिटेड
2/38, अंसारी मार्ग
दरियागंज, नई दिल्ली-110002
सं. 1997

4. राजभाषा हिन्दी : प्रगति और प्रयाण	डॉ. इकबाल अहमद (संपादक) राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 2/38, अंसारीमार्ग, दरियागंज नई दिल्ली-110002 सं. 2000
5. हिन्दी भाषा अतीत से आज तक	डॉ. विजय अग्रवाल वाणी प्रकाशन 21 ए दरियागंज नई दिल्ली-110002 सं. 1996
6. व्यावहारिक हिन्दी : भाषा और व्याकरण	डॉ. उमेश चन्द्र मिश्र साहित्य रत्नालय 37/50, गिलिस बाज़ार कानपुर-208001 सं. 1990
7. राजभाषा हिन्दी - विकास की मंज़िलें	डॉ. के.पी. सत्यनाथन नायर पूर्णा पब्लिकेषनस जी.एच. रोड, कलिकट सं. 1992
8. हिन्दी आन्दोलन	लक्ष्मीकांत वर्मा (सम्पादक) प्र.सं. 1964

9. संपूर्ण गाँधी वाङ्मय

10. प्रयोजनमूलक हिन्दी — विनोद गोदरे
वाणी प्रकाशन
4697/5, 21-ए
दरियागंज
नई दिल्ली-110002
सं. 1991

11. कांस्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स (सरकारी संस्करण)

12. हिन्दी की भगीरथ यात्रा — कन्हैयालाल गाँधी
प्रभात प्रकाशन
4/19 आसफअली रोड
नई दिल्ली-110002
प्र.सं. 1998

13. भारतीय संविधान — सरकारी संस्करण, 1950, 1951

14. हिन्दी : राष्ट्रभाषा : राजभाषा : जनभाषा — शंकर दयाल सिंह
किताबघर प्रकाशन
24, अंसारी रोड
दरियागंज
नई दिल्ली-110002
प्र.सं. 2002

15. प्रबंधन के सिद्धाँत	बसंत देसाई ग्रंथ अकादमी 1686 पुराना दरियागंज नई दिल्ली-10002 सं. 2000
16. मानेजमेंट ऑफ एन इंटरप्राइज़	सी. कैंनबाय बाल्डरस्टन प्रेंटिस हॉल न्यूयाँर्क सं. 1935
17. ऑनवर्ड इंडस्ट्री - प्रिंसिपल्स ऑफ आर्गेनइज़ेशन	जेम्स डी. मूने एवं एलन सी रेले हॉर्पर एंड. रो न्यूयाँर्क सं. 1931
18. एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन - द टेक्नीक ऑफ आँर्गनाइज़ेशन एंड मैनेजमेंट	विलियम न्यूमेन प्रेंटिस हॉल एंजिलवुड क्लिक्स सं. 1951
19. मैनेजमेंट	विलियम एफ ग्यूलेक होल्ट सांडर्स इंटरनेशनल टोकियो सं. 1980

20. मैनेजमेंट — हिक्स एच.जी एवं गुलिट सी. रे
मँकग्रो हिल इंटरनेशनल
बुक कं, चतुर्थ संस्करण
सं. 1981

21. राजभाषा प्रबंध — गोवर्धन ठाकूर
मैथिली प्रकाशन
सिकन्दराबाद
सं. 1993

22. कंप्यूटर के भाषिक अनुप्रयोग — विजय कुमार मल्होत्रा
वाणी प्रकाशन
21-ए, दरियागंज
नई दिल्ली-110002
सं. 1998

पत्र-पत्रिकाएँ

1. कलकत्ता हिन्दी क्लब बुलेटिन (सितंबर 1908)
2. नवजीवन (21 जून 1931)
3. राजभाषा भारती (2000 स्वर्ण जयंती विशेषांक)
4. राजभाषा भारती - अप्रैल-जून (2007)

शोध ग्रंथ

1. राजभाषा हिन्दी - प्रगति के विविध आयाम - जयशंकर यादव, कर्नाटिक विश्वविद्यालय, 2001

वेबसाइट

1. www.tdil.mit.gov.in
2. www.akruti.com
3. www.rediff.com
4. www.cdac.in
5. www.indiasoftware.com
6. www.worldlanguage.com